

Rajeev Bansal's®  
— SBPD —



# वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) GOODS AND SERVICES TAX (GST)





(iii)

- Unit-II : Levy and Collection of Tax :** Tax Liability on Composite and Mixed Supply, Levy and Collection of Tax, Composition Levy, Exemption from Tax.
- Unit-III : Valuation of Supply :** Valuation of Supply where the consideration is not wholly in money.
- Unit-IV : Input Tax Credit :** Eligibility and Condition, Apportionment of credit in case of taxable and exempt supply.
- Unit-V : General Procedures :** Registration, Amendments and cancellation of registration, Tax Invoice, Credit & Debit Notes, Accounts and Records, Period of retention of accounts, Filing of Returns.

**H.N.B. Garhwal University, Srinagar**  
**B. Com. Semester-V**

- Unit-I : Introduction :** Indirect Tax before the GST, Concept of VAT : Meaning and methods, Major Defects in the structure of Indirect Taxes prior of GST, Need of GST in India, Genesis and salient features of GST, Taxes subsumed in GST, Advantages and challenges of GST, Innovation and best practices, Structure of GST including SGST, CGST, UTGST and IGST, Procedure of registration, Compulsory registration, Deemed registration, Cancellation and revocation of registration.
- Unit-II : Levy and Collection of GST :** Taxable event, Supply of Goods and Services, Place of Supply : Within State, Interstate, Import and Export, Time of Supply, Valuation of GST, Valuation rules, Taxability of reimbursement of expenses, Exemption from GST, Small supplies and Composition Scheme, Classification of Goods and Services, Composite and Mixed Supplies.
- Unit-III : Input Tax Credit :** Eligible and Ineligible Input Tax Credit, Apportionment of Credit and Blocked Credits, Tax Credit in respect of Capital Goods, Recovery of Excess Tax Credit, Availability of Tax Credit in special circumstances, Transfer of Input Credit (Input Service Distribution), Payments of Tax, Refund, Doctrine of unjust enrichment, TDS, TCS. Reverse Charge Mechanism, Job work.
- Unit-IV : Procedures :** Tax Invoice, Credit and Debit Notes, Returns, Audit in GST, Assessment : Types of Assessment, Summary and Scrutiny, Payment of Taxes, Maintenance of Records and Submission of Return.



(iv)

**Unit-V : Special Provisions :** Taxability of E-Commerce, Anti-Profiteering, Avoidance of dual control.

**C.S.J.M. University, Kanpur**  
**B. Com. IInd Year**

**Unit-I : Overview of Goods and Services Tax :** Overview implementation of GST, Liability of Tax payer, GST Network, GST council, Heavy of GST, GST A big deal. Salient features of dual GST model, Impact of GST on the economy.

**Unit-II : Introduction of GST :** Meaning and Scope of Supply under Section 7 of the CGST-Act Inward and Outward Supply Composite Supply-Principal Supply Mixed Supply, Time of Supply, Value of Supply.

**Unit-III : GST Registration :** Persons liable for registration Aggregate turnover, Persons not liable for registration Compulsory registration cases under Section 24 of the CGST Act, Applicability of Composition Levy, Rate of Tax of the Composition Levy, Conditions and restrictions for opting for Composition Levy.

**Unit-IV : Levy and Collection of GST :** Taxable event Supply of Goods and Services, Place of Supply, Within state, Interstate, Import and Export, Time of supply, Valuation of GST Valuation rules, Taxability of reimbursement of expenses, Exemption from GST : Small supplies and Composition Scheme, Classification of Goods and Services : Composite and Mixed Supplies.

**Unit-V : Input Tax Credit :** Eligible and Ineligible Input Tax Credit, Apportionments of Credit and Blocked Credits, Tax Credit in respect of Capital Goods, Recovery of Excess Tax Credit, Availability of Tax Credit in special circumstances, Transfer of Input Credit (Input Service Distribution), Payment of Taxes, Refund, Doctrine of unjust enrichment, TDS, TCS, Reserve Charge Mechanism, Job work. Matching of Input Tax Credit.

**Unit-VI : Procedures :** Tax Invoice, Credit and Debit Notes, Returns, Audit in GST, Assessment : Self-Assessment, Summary and Scrutiny.

**Unit-VII : Input Service Distributors :** Concept of input Service Distributor, Powers and duties of 150 under GST Law. Reverse Charge Meaning, Conditions and mechanism, Input Tax Credit on Reverse Charge.



(v)

**Unit-VIII: Matching of Input Tax Credit :** GST Returns and GST R-2 and its significance, Annual return filing rules, HSN and GST in, GST Compliance Rating System Use and benefits.

**NOTE :** In Case of any subsequent notifications & amendments regarding GST by the Government, the syllabus would be updated accordingly.

**M.G.K.V. Varanasi**  
**B. Com. IIIrd Year**

**Unit-I : Indirect Tax :** Meaning, Features, Difference between Direct & Indirect Tax, Types of Indirect Tax before GST, Shortcoming of Indirect Tax system during pre GST Era. **GST :** Meaning, advantages, disadvantages, Evolution of GST, Structure of GST : CGST/IGST/SGST/UTGST, Important definition under GST Act. **Machinery under GST :** GST council, GST network, GST Authority. **Concept of Supply :** Meaning, Features, Types, Inter-state, Intra-state, Mixed composite, Exempt supply.

**Unit-II : Time of Supply (TOS) :** Meaning, TOS of Goods & Services, TOS under Reverse Charge Mechanism, Invoicing provisions, Provisions related with changes in GST rate. **Place of Supply (POS) :** Meaning, POS of Goods & Services, Intra State & Inter State supply. **Value of Supply :** Meaning, Provisions related with determination of value of supply of Goods & Services, Determination of GST Liability.

**Unit-III : Input Tax Credit (ITC) :** Meaning, Manner of utilization of ITC, Block credit, Supply not eligible for ITC, Matching, Reversal & Reclaim of ITC. **Payment under GST :** Manner of Payment of GST liability, Concept of Electronic Cash, Credit & Liability Ledger, Refund of excess GST. **Return :** Meaning, Purpose & Importance, Different type of return, Due date of filing return. **Assessment under GST :** Meaning, Types-self assessment, Provisional assessment, Summary assessment, Best judgment assessment.

**Unit-IV : Registration :** Meaning, Optional registration, Compulsory registration, Procedure for new registration, Amendment & cancellation of registration. **Composition Scheme :** Condition & restriction for composition scheme. **Accounts & Records :** Manner of maintenance of accounts, Period of retention of relevant records, **Invoice :** Format, Types-Debit & Credit Note, Vouchers. **Audit :** Meaning, Types-Mandatory, Departmental & special audit. Penalty under GST, E-way bill.

# विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ-संख्या

1. जीएसटी का अवलोकन ..... 1—20  
[Overview of GST]  
कर क्या है?, करों के दो रूप, वैट क्या है?, अप्रत्यक्ष कर की मुख्य विशेषताएँ, भारतीय जीएसटी और समग्र दुनिया की जीएसटी के कुछ ऐतिहासिक पहलू, कनाडियन जीएसटी/एचएसटी, ऑस्ट्रेलियन जीएसटी, केलकर शाह मॉडल, बागची पोद्दार मॉडल, भारत में जीएसटी की उत्पत्ति/जीएसटी का विकास, जीएसटी के घटक, भारत के संविधान के प्रावधान, संविधान (101 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016, विधानों की संख्या, CGST 2017 के कई प्रावधान IGST और UTGST पर भी लागू हैं, GST का लाभ, GST के अवगुण, GST की अवधारणा, GST की आवश्यकता, GST के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें, अभ्यास प्रश्न।
2. महत्वपूर्ण परिभाषाएँ ..... 21—30  
[Important Definitions]  
महत्वपूर्ण परिभाषाएँ, कारोबार, कारोबार का कार्यक्षेत्र, प्रतिफल, वस्तु का अर्थ, सेवाओं का अर्थ, पूँजीगत वस्तु, इनपुट का अर्थ, इनपुट सेवा का अर्थ, इनपुट टैक्स का अर्थ, आवक आपूर्ति, जावक आपूर्ति, प्रधान, अभिकर्ता, सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के स्थान, सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का स्थान, व्यापार का स्थान, व्यक्ति, अभ्यास प्रश्न।
3. जीएसटी के अन्तर्गत आपूर्ति ..... 31—56  
[Supply under GST]  
आपूर्ति का अर्थ और दायरा, सेवा का आयात, गतिविधियाँ या लेन-देन जिन्हें न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा (अनुसूची-31), संयुक्त और मिश्रित आपूर्ति का अर्थ और उन पर कर देयता, समग्र आपूर्ति पर कर देयता, मिश्रित आपूर्ति पर कर देयता, प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न, क्रियात्मक प्रश्न (हल सहित)।
4. कर की उगाही एवं संग्रह ..... 57—72  
[Levy and Collection of Tax]  
राज्य के अन्दर आपूर्ति, अन्तर-राज्य आपूर्ति, जीएसटी की उगाही एवं संग्रह, जीएसटी की दरें, रिवर्स चार्ज तन्त्र, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कर का भुगतान, कर/शुल्क की छूट, व्ययों की प्रतिपूर्ति पर GST, प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न, क्रियात्मक प्रश्न (हल सहित)।



(ii)

अध्याय

पृष्ठ-संख्या

5. जीएसटी से छूट ..... 73—104  
[Exemption from GST]  
जीएसटी से करमुक्त वस्तु, जीएसटी से करमुक्त सेवाएँ, चेरिटेबल संस्था द्वारा सेवा, केन्द्र/राज्य/संघशासित प्रदेश/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवाएँ, धार्मिक सेवाएँ, होटल आदि द्वारा की गई सेवाएँ, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र द्वारा की गई सेवाएँ, कानूनी सेवाएँ, एक शिक्षण संस्थान द्वारा दी गई सेवाएँ, निर्माण क्षेत्र में जीएसटी से छूट, माल के परिवहन में जीएसटी से छूट, कृषि सेवाओं से सम्बन्धित छूट, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से सम्बन्धित छूट, मनोरंजन क्षेत्र से सम्बन्धित छूट, परिवहन क्षेत्र से सम्बन्धित छूट, सरकार द्वारा दी गई सेवा से सम्बन्धित छूट, अन्य सरकारी क्षेत्र से सम्बन्धित छूट, अन्य सेवाओं से छूट, प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न, क्रियात्मक प्रश्न (हल सहित)।
6. कम्पोजीशन लेवी ..... 105—119  
[Composition Levy]  
कम्पोजीशन लेवी, कौन-कौन से व्यक्ति कम्पोजीशन लेवी लेने का विकल्प चुन सकते हैं, कम्पोजीशन विकल्प अपनाने में अपात्र व्यक्ति, कम्पोजीशन लेवी के लिए शर्तें और प्रतिबन्ध, शर्तों के उल्लंघन के मामले में दण्ड का प्रावधान, यदि कुल कारोबार कम्पोजीशन कारोबार की सीमा से अधिक है तो सामान्य योजना पर स्विच करना, प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न, क्रियात्मक प्रश्न (हल सहित)।
7. आपूर्ति की प्रकृति और स्थान ..... 120—141  
[Nature and Place of Supply]  
आपूर्ति की प्रकृति का निर्धारण, माल/सेवा की अन्तर-राज्य आपूर्ति, माल/सेवाओं की राज्य के भीतर आपूर्ति, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का स्थान, सेवाओं की आपूर्ति का स्थान जहाँ आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का स्थान भारत में है, अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित सेवाएँ, प्रशिक्षण और कार्य निष्पादन से सम्बन्धित सेवाएँ, परिवहन से सम्बन्धित सेवाएँ, सेवाओं की आपूर्ति का स्थान जहाँ आपूर्तिकर्ता का स्थान या प्राप्तकर्ता का स्थान भारत के बाहर है, अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित सेवाएँ, ऑन लाइन जानकारी और डेटाबेस पहुँच या पुनः प्राप्ति सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा कर के भुगतान के लिए विशेष प्रावधान, वाहन पर लादा गया माल, प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न।
8. आपूर्ति का समय ..... 142—160  
[Time of Supply]  
आपूर्ति का समय, फॉरवर्ड चार्ज के तहत वस्तु की आपूर्ति का समय, फॉरवर्ड चार्ज के तहत सेवाओं की आपूर्ति का समय, सेवाओं की आपूर्ति का समय, माल की आपूर्ति का समय, रिवर्स चार्ज के तहत माल की आपूर्ति या समय, वाउचर के मामले में आपूर्ति का समय, माल और सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में कर की दर में परिवर्तन होने पर आपूर्ति का समय, प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न, क्रियात्मक प्रश्न (हल सहित)।



(iii)

अध्याय	पृष्ठ-संख्या
9. आपूर्ति का मूल्य ..... 161—204 [Value of Supply] आपूर्ति का मूल्य, व्यवहार मूल्य, व्यवहार मूल्य में शामिल की जाने वाली मर्दे, व्यवहार मूल्य में शामिल न की जाने वाली मर्दे, आपूर्ति का मूल्य धारा 15 (1) के तहत निर्धारित न किया जाना या सरकार द्वारा अधिसूचित आपूर्ति का मूल्य, आपूर्ति के मूल्य के निर्धारण के लिए नियम, एजेन्ट के माध्यम से आपूर्ति, सप्लायर की निर्दिष्ट श्रेणी द्वारा आपूर्ति, प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न, क्रियात्मक प्रश्न (हल सहित)।	
10. आगत कर छूट ..... 205—246 [Input Tax Credit] इनपुट कर क्रेडिट लेने के लिए पात्रता और शर्तें, क्रेडिट और ब्लाकड क्रेडिट का विभाजन, क्रेडिट का विभाजन, बैंकिंग कम्पनी और वित्तीय संस्थान के मामले में क्रेडिट का विभाजन, विशेष परिस्थितियों में क्रेडिट की उपलब्धता, पंजीकृत व्यक्ति के गठन में बदलाव के कारण ITC का स्थानान्तरण, इनपुट सेवा वितरक का अर्थ, इनपुट सेवा वितरक द्वारा क्रेडिट का वितरण, रिटर्न दाखिल करना, प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न, क्रियात्मक प्रश्न (हल सहित)।	
11. पंजीकरण ..... 247—275 [Registration] पंजीकरण लेने के लिए कौन उत्तरदायी है?, व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, पंजीकरण के लिए प्रक्रिया, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी व्यक्ति, पंजीकरण प्रमाण-पत्र में संशोधन, पंजीकरण प्रमाण-पत्र का रद्दीकरण, प्रमाण-पत्र के रद्दीकरण को वापस लेना, डीमड पंजीकरण, नाम पटल पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र और GSTIN को प्रदर्शित करना, प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न, क्रियात्मक प्रश्न (हल सहित)।	
12. कर बीजक, क्रेडिट और डेबिट नोट्स ..... 276—289 [Tax Invoice, Credit and Debit Notes] (कर बीजक इत्यादि, कर बीजक के विवरण, बीजक जारी करने की रीति, संशोधित बीजक, संयुक्त कर चालान, आपूर्ति का बिल जारी करना, प्राप्ति वाउचर जारी करना, रिफण्ड वाउचर जारी करना, रिवर्स चार्ज के तहत कर चुकाने के लिए उत्तरदायी आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा जारी किया गया बीजक और भुगतान वाउचर, आपूर्ति पूर्ण होने से पहले सेवाओं का समाप्त हो जाना, माल को बिक्री के अनुमोदन या वापसी के आधार पर भेजना, विशेष मामलों में कर बीजक, डिलीवरी चालान द्वारा माल का परिवहन, कर के अनाधिकृत संग्रह का निषेध, कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में कर की राशि का उल्लेख होना, क्रेडिट और डेबिट नोट्स, जीएसटी के तहत ई-बीजक की अवधारणा, प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न।)	



13. ई-वे बिल ..... 290—297  
[E-Way Bill]  
माल का संचलन और ई-वे बिल के सर्जन से पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, एक वाहन के प्रभारी द्वारा साथ रखे जाने वाले दस्तावेज और उपकरण, दस्तावेजों और वाहनों का सत्यापन, माल का निरीक्षण और सत्यापन, वाहन की रोकथाम के सम्बन्ध में जानकारी अपलोड करने की सुविधा, बिना पारेषण की सीमा को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य ई-वे बिल, ई-वे बिल जारी करने के परिणाम, ई-वे बिल का परिवहन विभाग के वाहन प्रणाली के साथ एकीकरण, ई-वे बिल प्रणाली का ई-चालान प्रणाली के साथ एकीकरण, ई-वे बिल (EWB) उत्पादन सुविधा को अवरुद्ध करना, प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न।
14. कर का भुगतान ..... 298—311  
[Payment of Tax]  
इलेक्ट्रॉनिक लेजर, कर योग्य व्यक्ति की देयता का निर्वहन क्रम, ई-लेजर के उपयोग का ढंग, कैश लेजर में राशि का अन्तर-शीर्षक समायोजन, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि के उपयोग की शर्तें, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि के उपयोग पर प्रतिबन्ध, कर के भुगतान की देय तिथि, ई-लेजर्स में शेष राशि की वापसी, देर से भुगतान पर ब्याज, प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न, क्रियात्मक प्रश्न (हल सहित)।
15. विवरणी ..... 312—327  
[Returns]  
जीएसटी के अन्तर्गत रिटर्न फाइल की आवश्यकता, रिटर्न फाइल करने के माध्यम, जीएसटी के तहत रिटर्न के प्रकार, जावक आपूर्ति के विवरण प्रस्तुत करना, आवक आपूर्ति के विवरण प्रस्तुत करना, जीएसटी-3 में मासिक रिटर्न की फर्निशिंग, कम्पोजीशन डीलर द्वारा मासिक रिटर्न प्रस्तुत करना, अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक द्वारा मासिक रिटर्न की प्रस्तुति, टीडीएस काटने वाले व्यक्ति द्वारा मासिक रिटर्न की प्रस्तुति, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, प्रथम रिटर्न, इनपुट कर क्रेडिट का दावा और अस्थायी स्वीकृति, वार्षिक रिटर्न, अन्तिम रिटर्न, रिटर्न डिफाल्टर्स को नोटिस देना, नए जीएसटी रिटर्न का परिचय, विलम्ब शुल्क का उद्ग्रहण, अन्य प्रावधान, जीएसटी प्रैक्टिशनर, प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न।
16. जॉब वर्क ..... 328—334  
[Job Work]  
प्रासंगिक परिभाषा और शर्तें, जॉब वर्क, जॉब वर्कर, जॉब वर्क एक सेवा की आपूर्ति है या माल की आपूर्ति, जॉब वर्क प्रक्रियाएँ, जॉब वर्कर को माल भेजने के सम्बन्ध में जॉब वर्क प्रक्रिया, जॉब वर्क में इनपुट का क्रेडिट, प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न।





अध्याय	पृष्ठ-संख्या
17. स्रोत पर कर कटौती और संग्रहण ..... 335—339 [Tax Deduction and Tax Collection at Source] टीडीएस से सम्बन्धित मुख्य प्रावधान, TDS के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, TDS की दर, TDS का लागू न होना, TDS कटौतीकर्ता का पंजीकरण, TDS जमा करने के लिए समय सीमा, TDS प्रावधानों का पालन नहीं करने के नतीजे, क्रेडिट का दावा, स्रोत पर एकत्र कर, TCS से सम्बन्धित मुख्य प्रावधान, अभ्यास प्रश्न।	
18. खाता, कर निर्धारण और लेखा परीक्षा ..... 340—351 [Account, Assessment and Audit] लेखा और अन्य अभिलेख, कर निर्धारण, रिटर्न की जाँच, लेखा परीक्षा, अभ्यास प्रश्न।	
19. निरीक्षण, तलाशी, जब्ती तथा गिरफ्तारी ..... 352—354 [Inspection, Search, Seizure and Arrest] निरीक्षण, आवाजाही में निरीक्षण, तलाशी और जब्ती, गिरफ्तार, अभ्यास प्रश्न।	
20. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम ..... 355—358 [The Integrated Goods and Service Tax Act] परिचय, आईजीएसटी की विशेषताएँ, परिभाषाएँ, विशेष आर्थिक क्षेत्र, उगाही और संग्रह, अभ्यास प्रश्न।	
21. कर की वापसी ..... 359—367 [Refunds] धन वापसी क्या है? , धन वापसी की दशाएँ, धन वापसी की अनुमति न होना, कर, ब्याज, जुर्माना, फीस या किसी अन्य राशि की वापसी के लिए आवेदन, धन वापसी दावे दाखिल करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता, धन वापसी आदेश, धन वापसी पर ब्याज, अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धान्त, उपभोक्ता कल्याण निधि, अभ्यास प्रश्न।	
22. मुनाफाखोरी निरोधक उपाय ..... 368—369 [Anti-Profiteering Measure] प्राधिकरण के कर्तव्य, प्राधिकरण का कार्यकाल, अभ्यास प्रश्न।	
23. दोहरे नियन्त्रण से बचाव ..... 370—370 [Avoidance of Dual Control] दोहरे नियन्त्रण से बचाव की आवश्यकता, जीएसटी कौंसिल द्वारा दोहरे नियन्त्रण से बचाव का सिद्धान्त, अभ्यास प्रश्न।	



अध्याय	पृष्ठ-संख्या
24. माँग तथा वसूली .....	371—375
[Demand and Recovery]	
परिचय, कर का निर्धारण : गैर भुगतान/अल्प भुगतान/गलती से धन वापसी/ITC गलत तरीके से उपलब्ध किया/प्रयुक्त किया ( धारा 73 और धारा 74 ), धोखाधड़ी/तथ्यों की स्वेच्छाचारी गलत व्याख्या या गोपन के अलावा अन्य कारणों के आधार पर कर का गैर भुगतान/अल्प भुगतान आदि, धोखाधड़ी/तथ्यों की स्वेच्छाचारी गलत व्याख्या या गोपन के आधार पर कर का गैर भुगतान/अल्प भुगतान आदि, कर की वसूली, कर की वसूली के तरीके ( धारा 79 ), अभ्यास प्रश्न।	
25. विविध प्रावधान तथा परिवर्ती प्रावधान .....	376—382
[Miscellaneous Provisions and Transitional Provisions]	
विविध प्रावधान, वस्तु एवं सेवा कर प्राधिकारी, वस्तु एवं सेवा कर प्राधिकारियों के अधिकार, वस्तु एवं सेवाकर अनुपालन रेटिंग, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता, बर्डन ऑफ प्रूफ, परिवर्ती प्रावधान, ई-कॉमर्स का कराधान, परिवर्ती प्रावधान, मौजूदा करदाताओं का प्रवासन, अभ्यास प्रश्न।	
26. अर्थदण्ड .....	383—391
[Penalties]	
परिचय, धारा 122 : कुछ अपराधों के लिए अर्थदण्ड, धारा 125, सामान्य अर्थदण्ड, धारा 126 : अर्थदण्ड से सम्बन्धित सामान्य नियम बद्धता, धारा 129 : पारगमन में माल एवं वाहन का अवरोध, जब्ती और नियुक्ति, धारा 130 : माल एवं वाहन की जब्ती और अर्थदण्ड की उगाही, धारा 132 : कुछ अपराधों के लिए सजा, अभ्यास प्रश्न, क्रियात्मक प्रश्न ( हल सहित )।	

समय पर अपने करों का भुगतान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, लेकिन हममें से ज्यादातर लोग आश्चर्य करते हैं कि हम करों में इतनी अधिक रकम क्यों देते हैं। यहाँ सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम कर का भुगतान क्यों करते हैं—

- भारत को अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए धन की आवश्यकता है।
- सरकार को अच्छे बुनियादी ढाँचे को विकसित करने और उसे बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता है।
- विभिन्न सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए धन की आवश्यकता है।
- करों के रूप में प्राप्त धन से भारत को अपने ऋणों का भुगतान करने में मदद मिलती है।
- स्थानीय और राष्ट्रीय आपात (Emergencies) स्थिति को संभालने के लिए राष्ट्र को मौद्रिक निधि की आवश्यकता होती है।

### ■ 1.1 कर क्या है? (What is Tax ?)

कर आमतौर पर व्यक्तियों पर या निगमों पर लगाए गए एक अनैच्छिक शुल्क होते हैं जिसे स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सरकार की इकाई द्वारा सरकारी गतिविधियों को वित्त प्रदान करने के लिए लागू किया जाता है।

अर्थशास्त्र में, कर का बोझ किसी भी इकाई पर जो व्यापार कर रही हो या सामान के अंतिम उपभोक्ता पर पड़ सकता है।

यह एक मौद्रिक बोझ है जो व्यक्तियों या संपत्ति मालिकों द्वारा सरकार को समर्थन करने के लिए दिया जाता है। यह एक स्वैच्छिक भुगतान या दान नहीं है, बल्कि यह सरकार के द्वारा लागू किया जाता है।

सरल शब्दों में, लोगों के द्वारा सरकार को कर का भुगतान करना पड़ता है जिसका उपयोग सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए तथा सामाजिक व वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

### ■ 1.2 करों के दो रूप (Two Forms of Taxes)

मुख्य रूप से करों के दो रूप होते हैं—प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कानून सरकार को सीधे उपभोक्ताओं से कर एकत्र करने की अनुमति देता है जबकि अप्रत्यक्ष कर सरकार को समाज के माध्यम से स्थिर और आश्वासित रिटर्न देना सुनिश्चित करता है।

#### 1.2.1 प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

प्रत्यक्ष कर सीधे करदाता पर लगाया जाता है और जिस पर इसे लगाया जाता है वह सरकार को सीधे भुगतान करता है। प्रत्यक्ष कर को करदाता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। भारत में लगाया गया एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर आयकर है।

#### 1.2.2 अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो कि मध्यस्थ द्वारा कर के अंतिम आर्थिक बोझ (Ultimate economic burden) को सहन करने वाले व्यक्ति से एकत्र किया जाता है। यह कर करदाता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है। एक अप्रत्यक्ष कर माल या सेवा की कीमत में वृद्धि करता है और उपभोक्ता उन उत्पादों को क्रय करने के लिए अधिक कीमत का भुगतान करते हैं।

भारत में कई अप्रत्यक्ष कर लगाए गए थे जैसे कि उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर (CST), मूल्यवर्धित कर, प्रवेश कर, खरीद कर, मनोरंजन कर, लॉटरी पर कर, सट्टेबाजी और जुआ, लगजरी कर, विज्ञापनों पर कर इत्यादि।

हालांकि, भारत में अप्रत्यक्ष कराधान में 01 जुलाई, 2017 को एक आदर्श बदलाव आया है जिसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों को एक कर-वस्तु और सेवा कर (Goods & Service Tax) में मिलाया गया है। भारत में अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए GST का आगमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि GST लागू होने के बाद भी सीमा शुल्क अधिनियम जारी रहेगा।

## 1.2.3 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मध्य अंतर (Difference between Direct and Indirect Taxes)

प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
प्रत्यक्ष कर सीधे करदाता द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है।	अप्रत्यक्ष कर अंततः वस्तु और सेवाओं के अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है।
करों का बोझ स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।	करों का बोझ स्थानांतरित किया जा सकता है।
यह मुद्रा स्फीति को कम करने में मदद कर सकता है।	यह मुद्रा स्फीति को बढ़ाता है।
कर की चोरी संभव हो सकती है।	कर की चोरी कम संभव होती है क्योंकि यह वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है।
उच्च प्रशासनिक लागत शामिल है।	कम प्रशासनिक लागत शामिल है।
प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील (Progressive) है।	अप्रत्यक्ष कर प्रतिकूल (Regressive) है।

## ■ 1.3 वैट क्या है? (What is VAT)

यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के प्रत्येक चरण में वर्धित मूल्य पर कर है। वैट का भुगतान करने वाली किसी भी फर्म के लिए, किसी विशेष वस्तु के लिए 'वर्धित मूल्य' वह राशि है जिसके द्वारा उत्पाद का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बनाने के लिए खरीदे गये सभी उत्पादों की लागत से अधिक हो जाता है। चूंकि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कर का भुगतान किया जाता है और अक्सर ग्राहकों के अंतिम बिल पर मदवार नहीं किया जाता, कुछ लोग व्यवसाय पर कर के रूप में वैट को चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं। परंतु अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि 'मूल्यवर्धित कर' अनिवार्य रूप से उपभोक्ता खरीद पर एक विक्री कर है जो चरणों में एकत्र किया जाता है।

वैट एक कर है जो उत्पादन एवं संचालन के प्रत्येक चरण पर वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि पर लगाया जाता है। वैट उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के विक्री मूल्य तथा उनके लागत के बीच के अंतर पर लगाया जाता है अर्थात् आउटपुट तथा इनपुट के बीच का अंतर। दूसरे शब्दों में, वैट बहु-बिन्दु विक्री कर है। यह उत्पादन के प्रत्येक चरण में चार्ज एवं एकत्रित होता है।

## 1.3.1 वैट की गणना के तरीके (Methods of Computation of VAT)

एक फर्म द्वारा वैट की गणना करने के लिए कई तरीके हैं। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली तीन विधियाँ हैं—जोड़, घटाव और टैक्स क्रेडिट।

## 1.3.2 जोड़ विधि (Addition Method)

यह विधि, कुल वर्धित मूल्य पर आने के लिए, मुनाफे सहित सभी कारक भुगतानों को सम्मिलित करती है, जिस पर कर की गणना के लिए दर लागू होती है। इस प्रकार की गणना मुख्य रूप से आय वैट के साथ उपयोग की जाती है। यह विधि, गंतव्य सिद्धांत के तहत निर्यात को छूट देने और आयात के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विधि का एक और दोष यह है कि यह चोरी का पता लगाने के लिए बीजक के मिलान की सुविधा प्रदान नहीं करती है।

## 1.3.3 घटाव विधि (Subtraction Method)

फर्म द्वारा वर्धित मूल्य पर आने के लिए, विक्री से कुल खरीद को घटाया जाता है। यह सबसे सरल विधि है और पहली नजर में यह टैक्स क्रेडिट विधि की तरह दिखती है। इस विधि में, मूल्यवर्धन पर दर लागू करके कर एकत्र किया जाता है।

## ■ 1.4 अप्रत्यक्ष कर की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of Indirect Taxes)

यह सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है (Promotes Social Welfare)	मादक उत्पादों, तंबाकू उत्पादों आदि जैसे हानिकारक उत्पादों पर उच्च कर लगाए जाते हैं।
राजस्व का प्रमुख स्रोत (Major Source of Revenue)	यह सरकारों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। भारत में, अप्रत्यक्ष कर सरकारों के कुल कर राजस्व का 50% से अधिक योगदान करते हैं।
मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति (Inflationary in Nature)	यह सीधे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करता है और मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति (Inflationary trend) को जन्म देता है।

करों के बोझ का स्थानांतरण (Shifting of Burden)	माल के सप्लायर द्वारा भुगतान किया गया GST खरीददार से वसूल किया जाता है, क्योंकि वह करों के बोझ को उपभोक्ता को स्थानांतरित कर सकता है।
विस्तृत श्रृंखला (Wider Tax base)	अप्रत्यक्ष करों को एक विस्तृत श्रृंखला (Wide range) में फैलाया जा सकता है। केवल एक बिंदु पर प्रत्यक्ष कराधान सामाजिक और आर्थिक जीवन पर हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकता है। चूंकि अप्रत्यक्ष कर व्यापक रूप से फैल सकते हैं, अतः ये अधिक लाभकारी और उपयुक्त हैं।
स्वभाव में प्रतिकूल (Regressive in Nature)	अप्रत्यक्ष कर न्यायसंगत नहीं हैं। चाहे एक अमीर आदमी किसी वस्तु को खरीदे या गरीब व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदे, बाजार में कीमत दोनों के लिए समान है। कर वस्तु और सेवाओं की कीमत में अंतर्निहित होते हैं इसलिए, अमीर और गरीब एक ही राशि का भुगतान करते हैं, जो स्पष्ट रूप से अनुचित है।

■ **1.5. भारतीय जीएसटी और समग्र दुनिया में जीएसटी के कुछ ऐतिहासिक पहलू (Indian GST and some Historical Aspects of GST all over the World)**

जीएसटी की अवधारणा दुनिया के लिए नई नहीं है क्योंकि 160 देशों ने पहले ही एकल कर में व्यक्तिगत रूप से कर की दर लाने के लिए इस विधा को चुना है। हालांकि भारत में इसे एक नई प्रणाली के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी जड़ें दुनिया के कुछ अन्य देशों में काफी पहले से हैं। वर्ष 1954 में जीएसटी को लागू करने वाला फ्रांस पहला देश था और तब से दुनियाभर में लगभग 160 देशों ने इस कर प्रणाली को किसी-न-किसी रूप में अपनाया है। जीएसटी वाले कुछ देशों के नाम हैं—कनाडा, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यू.के., स्पेन, इटली, नाइजीरिया, ब्राजील और दक्षिण कोरिया। यू.एस.ए. में जीएसटी नहीं है क्योंकि यह राज्यों के लिए उच्च स्वायत्तता सुनिश्चित करता है और कर की एक अनुठी वैट प्रणाली का पालन करता है। फ्रांस एक पश्चिमी यूरोपीय देश, जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम देश था और वर्तमान में जीएसटी की दर 19.6 प्रतिशत है। अधिकांश यूरोपीय देशों ने 1970-80 के दशक में जीएसटी को अपनाया। आजकल, एकल एकीकृत कर प्रणाली एक वैश्विक राजकोषीय प्रवृत्ति है। जीएसटी के भारतीय मॉडल और अन्य देशों में समरूप करों के बीच एक बड़ा अंतर दोहरी जीएसटी मॉडल है। दुनिया के अनेक देशों में एकल एकीकृत जीएसटी प्रणाली है। ब्राजील और कनाडा जैसे देशों में दोहरी जीएसटी प्रणाली है जहाँ जीएसटी को संघीय और राज्य या प्रांतीय दोनों सरकारों द्वारा लगाया जाता है। यह 1991 में लागू किए गए दोहरे जीएसटी (केंद्रीय एवं राज्य) का कनाडाई मॉडल है, जो अप्रत्यक्ष कर सुधार के भारतीय मॉडल के साथ समानताएँ पाता है। कनाडा ने वर्ष 1991 में 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी की शुरुआत की तथा कनाडियन जीएसटी मॉडल प्रांतों को राज्य या केंद्रीय जीएसटी चुनने का विकल्प देता है। भारत में दोहरी जीएसटी प्रणाली विद्यमान है जहाँ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST), वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के प्रत्येक लेनदेन के कर-योग्य मूल्य पर लगाया जाता है।

■ **1.6. कनाडियन जीएसटी/एचएसटी मॉडल (Canadian GST/HST Model)**

जीएसटी के कनाडियन मॉडल में, कनाडा में वस्तु या सेवा की अंतिम बिक्री पर कर लगाया जाता है, जिसे 'बिक्री कर' कहा जाता है। कनाडा में बिक्री कर के तीन अंग होते हैं—

1.6.1. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) [Goods and Services Tax (GST)]

यह कर संघीय सरकार द्वारा कनाडा के प्रत्येक प्रांत में लगाया जाता है यह कर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के समरूप है, जो भारत में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की राज्य के भीतर आपूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है।

1.6.2. प्रांतीय बिक्री कर (पीएसटी) [Provincial Sales Tax (PST)]

जीएसटी के अलावा, प्रत्येक प्रांत एक प्रांतीय कर लगाता है जिसे 'प्रांतीय बिक्री कर' (पीएसटी) कहा जाता है। यह कर राज्य वस्तु एवं सेवा कर के समरूप है, जो भारत में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की राज्य के भीतर आपूर्ति पर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है।

1.6.3. एचएसटी (जीएसटी + पीएसटी संयुक्त) [HST (GST + PST Combined)]

जीएसटी और पीएसटी के संयोजन को एचएसटी (सामंजस्यपूर्ण बिक्री कर) कहा जाता है। यह एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के समरूप है जो CGST (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) और SGST (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) का संयोजन है। संबंधित कर के प्रांत या क्षेत्र के आधार पर कर एकत्र किया जाता है।

#### 1.6.4. पंजीकरण (Registration)

कोई भी व्यक्ति जो कनाडा में कोई व्यवसाय चलाता है या कनाडा में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करता है तथा पिछली चार तिमाहियों के लिए उसका कुल कारोबार CAD \$ 30,000 से अधिक है, तो उसे वस्तु एवं सेवा कर/सामंजस्यपूर्ण बिक्री कर में पंजीकरण करवाने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति वस्तु एवं सेवा कर/सामंजस्यपूर्ण बिक्री कर के लिए पंजीकरण करवाता है, तो उसे एक व्यवसाय संख्या (BN) प्राप्त होगी जिसे उसके द्वारा किये गये बीजकों पर उसे प्रदर्शित करना होगा।

#### 1.6.5. कर-योग्य और गैर कर-योग्य वस्तुएँ (Taxable and Non-taxable Goods)

कनाडा में समस्त बिक्री को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है—कर-योग्य, छूट-प्राप्त तथा शून्य-रेटेड (जो 0% पर कर-योग्य है)।

### ■ 1.7. ऑस्ट्रेलियन GST (Australian GST)

#### 1.7.1. परिचय (Introduction)

ऑस्ट्रेलियन वस्तु एवं सेवा कर को भौतिक एवं डिजिटल वस्तुओं पर लगाया जाता है, जिनका ऑस्ट्रेलिया के भीतर उपभोग के लिए व्यापार किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में व्यावसायिक उपस्थिति रखता है तथा उसके व्यवसाय में बिना कर के AUD \$ 75,000 से अधिक की सकल आय है, तो उसे जीएसटी के लिए अपना व्यवसाय पंजीकृत करना आवश्यक है।

इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति का ऑस्ट्रेलिया के बाहर पंजीकृत व्यवसाय है तथा ऑस्ट्रेलिया के लिए डिजिटल उत्पादों/सेवाओं को बेचता है, तो उसे जीएसटी एकत्र करना होगा और उसे सरकार को भेजना होगा।

#### 1.7.2. जीएसटी दरें (GST Rates)

जीएसटी 10% की सपाट दर पर निर्धारित किया गया है तथा उत्पाद या सेवा के बीजक में शामिल किया जाना आवश्यक है।

#### 1.7.3. जीएसटी बीजक (GST Invoices)

ग्राहक को भेजे जाने वाले बीजक में निम्नलिखित विवरणों का शामिल होना आवश्यक है—

1. दस्तावेज का शीर्षक कर बीजक होना चाहिए, 2. विक्रेता की पहचान, 3. विक्रेता का ऑस्ट्रेलियन व्यवसाय संख्या (ABN), 4. जिस दिन बीजक जारी किया गया था, 5. मात्रा, कीमत, देय जीएसटी राशि सहित बेची गई वस्तुओं का संक्षिप्तविवरण।

#### 1.7.4. रिवर्स चार्ज तंत्र (Reverse Charge Mechanism)

यदि कोई व्यापारी, जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर पंजीकृत है, ऑस्ट्रेलिया में किसी व्यावसायिक ग्राहक को उत्पाद/सेवाएँ बेचता है, तो रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत जीएसटी का भुगतान किया जायेगा।

### ■ 1.8. केलकर-शाह मॉडल (Kelkar-Shah Model)

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के इस मॉडल ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और राज्य वैट को एक सामान्य आधार में मिला दिया है।

कनाडा में एचएसटी (सामंजस्यपूर्ण बिक्री कर) मॉडल की तरह, दो अलग-अलग दरें हैं जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती हैं। कर का संग्रह केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

इस मॉडल के अनुसार, केंद्र सरकार बड़े उद्योगों से कर एकत्र करता है जबकि राज्य सरकार छोटे उद्योगों से कर एकत्र करता है।

इसके अलावा, यह मॉडल प्रस्तावित करता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर केंद्रीय सरकार द्वारा एकत्र किया जायेगा तथा वैट (बिक्री कर) राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किया जायेगा।

### ■ 1.9. बागची-पोद्दार मॉडल (Bagchi-Poddar Model)

केलकर-शाह मॉडल की भाँति यह मॉडल केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट के संयोजन की परिकल्पना करता है, ताकि इसे केंद्र और राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला वस्तु एवं सेवा कर का एक सामान्य आधार बनाया जा सके। इसका अर्थ है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम समाप्त कर दिया जायेगा और वस्तुओं की बिक्री पर वस्तु कर लागू होगा। इसमें सेवा कर सम्मिलित किया जायेगा।

इसे कानूनी भाषा में बताने के लिए, जीएसटी के लिए "कर-योग्य घटना" वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री का कार्य होगा। निर्माण की अवधारणा गायब हो जायेगी। बागची-पोद्दार तथा केलकर-शाह मॉडलों के बीच अंतर यह है कि बागची पोद्दार मॉडल में, कर-संग्रहण दो स्तरों पर है अर्थात् केंद्र और राज्यों द्वारा जबकि केलकर-शाह मॉडल में, कर-संग्रहण केवल केंद्र द्वारा है।

बागची-पोद्दार मॉडल स्पष्ट रूप से परिकल्पना करता है कि समवर्ती सूची के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर-शक्ति लाने के लिए तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच कर-शक्ति के वर्तमान विभाजन को समाप्त करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन आवश्यक है।

बागची-पोद्दार मॉडल में संयुक्त जीएसटी के विरुद्ध तर्क निम्नलिखित हैं—

1. इस मॉडल में परिकल्पित संविधान का संशोधन तुरंत व्यावहारिक नहीं होगा तथा यह किसी भी मामले में देश में भारी राजनीतिक उथल-पुथल पैदा करेगा।

2. **राजस्व** : राजस्व का कुल संग्रह समान रहेगा। कोई कारण नहीं है कि हमें केवल एक सैद्धांतिक अनुसरण के लिए ऐसी उथल-पुथल पैदा करनी चाहिए।

3. राज्य एक ही सेवा पर सेवा कर की विभिन्न दरें लगा सकते हैं।

4. अखिल-भारतीय स्वभाव वाली सेवा को विभिन्न राज्यों में अलग-अलग व्यवहार मिलेगा। यहाँ तक कि स्वयं मॉडल भी स्वीकार करता है कि इसकी सफलता सभी राज्यों में दरों एवं प्रक्रियाओं की पूर्ण समानता पर आधारित है, जिसके होने की संभावना नहीं है।

■ **1.10 भारत में GST की उत्पत्ति/ GST का विकास (Genesis of GST in India/Evolution of GST)**

2004	2004 में केलकर टास्क फोर्स (Kelkar Task Force) ने राष्ट्रीय GST का विचार किया था।
2008	केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने अपने बजट (2007-08) में घोषणा की कि GST 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया जायेगा।
2014	19-12-2014 को एनडीए (NDA) सरकार ने संसद में GST पर संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 पेश किया।
2015	06-05-2015 को लोकसभा ने विधेयक पारित किया।
2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 03-08-2016 को राज्यसभा ने विधेयक पारित किया।</li> <li>➤ 50% से अधिक राज्यों द्वारा विधेयक के अनुमोदन के बाद, संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 को 8 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 बन गया।</li> </ul>
2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 27-03-2017 को                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक, 2017 (Central GST Act, 2017),</li> <li>✓ एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक, 2017 (Integrated GST Act, 2017),</li> <li>✓ संघ शासित प्रदेश सामान और सेवाएँकर विधेयक, 2017 (Union Territory GST Act, 2017) और</li> <li>✓ सामान और सेवा कर (राज्यों के लिए मुआवजा) विधेयक, 2017 [GST (Compensation to States) Act, 2017] लोकसभा में पेश किए गए थे।</li> </ul> </li> <li>➤ 29-03-2017 को लोकसभा ने इन बिलों को पारित किया और 12 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के साथ बिल लागू किए गए।</li> <li>➤ 01-07-2017 को देश में GST लागू कर दिया गया।</li> </ul>

**नोट**—फ्रांस 1954 में GST लागू करने वाला पहला देश था। इसके आने के 62 वर्षों के अन्दर दुनिया भर के 160 देशों ने GST अपनाया है।

■ **1.11 जीएसटी के घटक (Component of GST)**

- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST)
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST)/ संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (UTGST)
- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST)


■ **1.12 भारत के संविधान के प्रावधान (Provisions of the Constitution of India)**

**अनुच्छेद 265** : यह बताता है कि कोई भी कर “कानून के अधिकार” के बिना लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता।

**अनुच्छेद 246** : यह अनुच्छेद कर लगाने के लिए **संघ और राज्य सरकारों** को अधिकार देता है। संसद पूरे भारत या भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है जबकि राज्य विधान मंडल राज्य के पूरे या किसी हिस्से के लिए कानून बना सकते हैं।

**अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची** : इसमें तीन सूचियाँ हैं जो उन मामलों को गिनती (enumerate) करती हैं जिनके अन्तर्गत संघ और राज्य सरकारों के पास कानून बनाने का अधिकार है।

#### भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची



**संघ सूची (Union List)**—इसमें वह मामला शामिल है जिसके संबंध में केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है।

**राज्य सूची (State List)**—इसमें वह मामला शामिल है जिसके संबंध में राज्य सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है।

**समवर्ती सूची (Concurrent List)**—इस मामले में केंद्रीय और साथ ही साथ राज्य सरकारों के पास कानून बनाने की शक्ति है।

#### ■ 1.13 संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 [Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016]

##### 1.13.1 संविधान में संशोधन के लिए आवश्यकता (Requirement for Amendment in Constitution)

संविधान कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अलग शक्ति देता है, जिसके कारण भारत के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी ताकि सभी करों जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसमें अतिरिक्त सीमा शुल्क (additional duties of customs) भी शामिल हैं, राज्य वैट (State VAT), केंद्रीय बिक्री कर (CST) और कुछ राज्य विशिष्ट कर (State specific taxes), केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया सेवा कर (Service tax) को वस्तु एवं सेवा कर में एकीकृत किया जा सके।

##### 1.13.2 संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के महत्वपूर्ण प्रावधान [Significant Provisions of Constitution (101st Amendment) Act, 2016]

###### 1.13.2.1 अनुच्छेद 246 A : GST के संबंध में कानून बनाने की शक्ति (Power to make Laws with respect to GST)

जहाँ पर वस्तु या सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्य (Inter-state) व्यापार या वाणिज्य के अंतर्गत आपूर्ति होती है, वहाँ पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है।

प्रत्येक राज्य के विधान मंडल (The Legislature of every State) को संघ द्वारा या राज्यों द्वारा लगाए गए वस्तु और सेवा कर (GST) के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

###### 1.13.2.2 अनुच्छेद 269 A: अंतर-राज्य आपूर्ति पर GST लगाना और संग्रह करना (Levy and Collection of GST on Inter-State Supply)

(1) अंतर-राज्य (Inter-State) व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा की आपूर्ति पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा।

(2) वस्तु और सेवा कर परिषद् (GST Council) की सिफारिशों के आधार पर करों को संघ और राज्यों के बीच संसद द्वारा विभाजित किया जाएगा।

(3) वस्तु या सेवाओं या दोनों के आयात को अंतर-राज्य (Inter-State) व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और/या सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।

(4) अंतर-राज्य (Inter-State) व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा की आपूर्ति पर लगाये गए कर में से राज्य को विभाजित राशि भारत के संचित कोष (Consolidated Fund of India) का हिस्सा नहीं बनती है।

(5) राज्य के वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के रूप में एकत्र की गई राशि का उपयोग किया गया है या इसके विपरीत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए, राज्य के वस्तु एवं सेवा कर के रूप में एकत्र की गई राशि का उपयोग किया गया है तब ऐसी राशि भारत के संचित कोष (Consolidated Fund of India) का हिस्सा नहीं बनती है।

(6) संसद, कानून द्वारा अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के सिद्धांतों को तैयार कर सकती है।



1.13.2.3 अनुच्छेद 279 A—जीएसटी परिषद् का गठन (Constitution of GST Council)

वस्तु और सेवा कर परिषद् (Goods and Services Tax Council)	राष्ट्रपति, संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के शुरू होने की तारीख से 60 दिनों के अन्दर वस्तु और सेवा कर परिषद् का गठन करेंगे।
GST परिषद् में सदस्य (Members in GST Council)	<p>जीएसटी परिषद् में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे—</p> <p>A. अध्यक्ष (Chairperson)—केंद्रीय वित्त मंत्री (The Union Finance Minister)</p> <p>B. राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री (The Union Minister of State in charge of Revenue or Finance)</p> <p>C. वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई भी अन्य मंत्री (The Minister in charge of Finance or Taxation or any other Minister nominated by each State Government.)</p>
GST परिषद् की सिफारिश (Recommendation of GST Council)	<p>जीएसटी परिषद् संघ और राज्यों को निम्नलिखित बातों के लिए सिफारिश करेगी—</p> <p>A. संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए जो-जो कर, उपकर (Cess) और अधिभार (surcharges) वस्तु और सेवा कर (GST) में सम्मिलित किये जायेंगे;</p> <p>B. किन वस्तुओं और सेवाओं को कर से मुक्त किया जा सकता है या किन पर कर लगाया जा सकता है;</p> <p>C. मॉडल GST कानून, करारोपण के सिद्धांत, GST का विभाजन और वे सिद्धांत जो आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करते हैं;</p> <p>D. कुल कारोबार आपूर्ति (Aggregate turnover) की वह सीमा जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं को GST से मुक्त किया जा सकता है।</p> <p>E. CGST और SGST केन्द्र और राज्यों द्वारा सयुक्त रूप से तय की गई दरों पर लगाया जायेगा जिसे GST परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित(notify) किया जायेगा।</p> <p>F. किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें।</p> <p>G. अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान; तथा</p> <p>H. GST से संबंधित कोई अन्य मामला, जिस पर परिषद् निर्णय ले सकती है।</p>
पेट्रोलियम, डीजल आदि पर कर लगाने की तारीख (Date of levy of Tax on Petroleum, Diesel etc.)	GST परिषद् उस तारीख की सिफारिश करेगी जिस पर पेट्रोलियम, कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटरस्परिट (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन पर GST लगाया जाएगा।
वस्तु और सेवाओं के सुसंगत ढाँचे (Harmonised Structure of Goods and Services)	इस खंड (Article) द्वारा प्रदान किए गए कार्यों को करने के लिए GST परिषद् को वस्तु और सेवा कर की सामंजस्यपूर्ण संरचना (harmonised structure) और वस्तु और सेवाओं के लिए सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार (harmonised national market) के विकास के लिए निर्देशित किया जाएगा।

### ■ 1.14 विधानों की संख्या (Number of Legislations)

भारत में 35 GST अधिनियम हैं;

अधिनियम का नाम	अधिनियम की संख्या
केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (The Central Goods and Services Tax Act, 2017)	1
राज्य वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (State Goods and Services Tax Act, 2017) [29 राज्य और 2 संघीय क्षेत्र यानी दिल्ली और पुडुचेरी (Puducherry)]	31
संघ शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (The Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017)	1
एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017)	1
वस्तु और सेवा कर (राज्यों के मुआवजे) अधिनियम, 2017 [The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017]	1

### ■ 1.15 CGST 2017 के कई प्रावधान IGST और UTGST पर भी लागू हैं (Many Provision of CGST, 2017 are also Applicable to IGST and UTGST)

CGST अधिनियम, 2017 के कई प्रावधान IGST अधिनियम, 2017 की धारा 20 के अनुसार IGST पर और इसी तरह UTGST अधिनियम, 2017 की धारा 21 के अनुसार UTGST पर भी लागू हैं।

### ■ 1.16 GST का लाभ/फायदे (Benefit/Advantages of GST)

सरकार को लाभ (Benefit to Government)	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और "मेक इन इंडिया" अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत आम राष्ट्रीय बाजार (Unified Common National Market);</li> <li>(ii) निर्यात/निर्माण की गतिविधि में वृद्धि, अधिक रोजगार उत्पन्न होना, गरीबी को कम करना और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना;</li> <li>(iii) देश में निवेश के वातावरण में सुधार, जो राज्यों के विकास के लिए लाभदायक होगा;</li> <li>(iv) कर चोरी को कम करने के लिए समान SGST और CGST की दरों का होना।</li> </ul>
ग्राहक को लाभ (Benefit to Customer)	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) सरल कर प्रणाली;</li> <li>(ii) बारम्बारता (cascading) के दोषों के निवारण के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी;</li> <li>(iii) पूरे देश में समान मूल्य;</li> <li>(iv) कराधान प्रणाली में पारदर्शिता।</li> </ul>
व्यापार और उद्योग के लिए लाभ (Benefit to Trade and Industry)	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) करों की बहुतायत (multiplicity) में कमी;</li> <li>(ii) व्यापक/दोहरे कराधान के दोषों में निवारण (mitigation);</li> <li>(iii) आम राष्ट्रीय बाजार का विकास।</li> </ul>

### ■ 1.17 GST के अवगुण/नुकसान (Demerit/Disadvantages of GST)

रिटर्न भरने की जटिल प्रक्रिया	जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। एक पंजीकृत व्यक्ति को मासिक आधार पर कई रिटर्न दाखिल करने होते हैं जैसे—GSTR-1, GSTR-3B, त्रैमासिक रिटर्न जैसे—ITC-04; जीएसटी रिटर्न में मिलान की अवधारणा बहुत जटिल है।
-------------------------------	--

<p>करों का कैस्केडिंग</p>	<p>जीएसटी को क्रेडिट के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने और करों के कैस्केडिंग प्रभाव को समाप्त करने के लिए पेश किया गया था। परंतु, हमने देखा कि कई अवसरों पर क्रेडिट का मुक्त प्रवाह प्रतिबंधित है। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, कई इनपुट का क्रेडिट जीएसटी कानून के तहत अवरुद्ध है, भले ही यदि आवक आपूर्ति व्यवसाय के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है।</p>
<p>कार्यशील पूँजी की रुकावट</p>	<p>जीएसटी के तहत, 'आपूर्ति' की अवधारणा मान्यता प्राप्त है, भले ही यह एक ही स्थापना के विभिन्न राज्यों में दो शाखाओं के बीच हो। संस्था की एक शाखा दूसरे राज्य में शाखा को आपूर्ति करते समय GST चार्ज करेगी जिसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूँजी की रुकावट होगी।</p>
<p>जीएसटी के तहत विविध राज्यवार पंजीकरण</p>	<p>भूतपूर्व सेवा कर व्यवस्था के तहत, एक संस्था का एकल केंद्रीकृत पंजीकरण हुआ करता था और अनुपालन को एकल बिन्दु पर करना होता था। जीएसटी में, राज्यवार पंजीकरण की अवधारणा है। अतः यदि किसी संस्था के दस राज्यों में कार्यालय हैं, तो उसे सभी दस स्थानों पर पंजीकरण करवाना होगा। ऐसे मामले में, अनुपालन की लागत बहुत अधिक होगी।</p>
<p>रोजमर्रा की व्यावसायिक गतिविधियों में हस्तक्षेप</p>	<p>जीएसटी में एक नियम है कि यदि आपूर्ति का भुगतान आपूर्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो संबंधित ITC को प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स करना होगा। उसे इस तरह के रिवर्सल पर ब्याज सहित कर चुकाना होगा। यह व्यवसायियों की रोजमर्रा व्यावसायिक गतिविधियों में सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप है। सरकार के कर संग्रह करने से संबंधित होना चाहिए, न कि लोगों के व्यापार करने के तरीकों से। 180 दिनों से अधिक भुगतान में देरी के लिए दोनों पक्ष सहमत हो सकते हैं और जीएसटी को व्यवसाय के संचालन के तरीकों को परिभाषित नहीं करना चाहिए।</p>
<p>आपूर्तिकर्ता के दोष के मामले में ITC का लाभ उठाने में समस्या</p>	<p>इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए, क्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपूर्तिकर्ता ने सरकार को करों का भुगतान किया है। जिस क्रेता ने आपूर्तिकर्ता को करों सहित पूर्ण भुगतान किया है, उसे क्रेडिट न देना, अब बहुत कठोर होगा। उसे क्रेडिट से वंचित कर दिया जाता है क्योंकि उसके आपूर्तिकर्ता को सरकार को करों का भुगतान करना पड़ता है। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह गलती करने वाले नागरिकों को दंडित करे। आपूर्तिकर्ता के दोष के लिए क्रेता को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।</p>
<p>जीएसटी के कार्यान्वयन में जल्दबाजी ने पेशेवरों एवं व्यवसायों के मध्य भ्रम को बढ़ावा दिया</p>	<p>जीएसटी को वित्त वर्ष 2017 के मध्य में जुलाई 1, 2017 को पेश किया गया था। इसने व्यवसायियों के लिए एक नई कर व्यवस्था पर तुरंत स्थानांतरित होने की कठिनाई पैदा कर दी। 2017 की पहली तिमाही के लिए पिछली व्यवस्था के कर नियम और शेष तिमाहियों के लिए नये शुरू किये गये जीएसटी का पालन करने से अनुपालन मुद्दे उत्पन्न हुए।</p>
<p>एकल या दोहरी दर GST प्रणाली के बजाय, मानक दरें एवं CESS की विविध दरें हैं</p>	<p>अधिक सरलीकृत कर संरचना के बजाय, GST परिषद् ने भारत में GST को पाँच मानक दरों के साथ जारी किया। कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यह संरचना को सरल बनाने के बजाय जटिल बनाता है। प्रत्येक के पास GST दरों के सम्बन्ध में अपने मुद्दे हैं। हर कोई चाहता है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए कम दरें लागू की जायें। इससे GST परिषद् ने GST के तहत अनेक करों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया।</p>

	जीएसटी को पहले 28% के उच्च कर दर के साथ पेश किया गया था। हालांकि, GST परिषद लगातार दरों को कम कर रही है और दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएँ अब 0% से 5% टैक्स ब्रैकेट में आती हैं।
--	--

### ■ 1.18 GST की अवधारणा (Concept of GST)

1. लागू होना (Applicability)	GST जम्मू-कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है।
2. उगाही (Levy)	GST वस्तु के निर्माण या वस्तु की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर (कर की वर्तमान प्रणाली के मुकाबले वस्तु या सेवाओं की 'आपूर्ति') लागू होगी। यह प्रतिफल या बिना प्रतिफल के किए जाने वाली सेवाओं के आयात पर लागू होता है। वस्तु का आयात कस्टम ड्यूटी और जीएसटी के अधीन है।
3. टैक्स क्रेडिट की निरंतर शृंखला (Continuous Chain of Tax Credit)	GST प्रत्येक चरण पर टैक्स क्रेडिट प्रदान करती है अर्थात् कर केवल मूल्य वृद्धि पर लगाया जायेगा।
4. अंतिम उपभोक्ता पर बोझ (Burden on Final Consumer)	प्रत्येक चरण में आपूर्तिकर्ता (supplier) को वस्तु या सेवाओं या दोनों की खरीद पर भुगतान किए गए GST के क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति है। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर देय GST में से इस क्रेडिट को समायोजित (सेट-ऑफ) कर सकते हैं। इस प्रकार केवल अंतिम उपभोक्ता पर GST का बोझ पड़ता है।
5. गंतव्य पर आधारित कर प्रणाली (Destination based Consumption Tax)	GST गंतव्य पर आधारित कर प्रणाली है जबकि पिछली कर प्रणाली उत्पत्ति पर आधारित कर प्रणाली थी। इसका अर्थ यह हुआ कि GST में उपभोग (Consumed) करने वाले राज्य द्वारा कर राजस्व लगाया जाएगा और एकत्र किया जाएगा।
6. करों की कोई भी बारम्बारता नहीं (No cascading of Taxes)	प्रत्येक स्टेज में मूल्य की वृद्धि पर GST के अन्तर्गत कर लगाया जाता है इसलिए करों पर कर बार-बार नहीं लगता।

### ■ 1.19 GST की आवश्यकता (Need for GST)

#### 1.19.1 मौजूदा कर व्यवस्था में कमियाँ/चुनौतियाँ/दोष (Deficiency/Challenges/Short-coming in Existing Tax Regime)

#### 1. राज्य वैट में कई स्थानीय करों के इनपुट टैक्स क्रेडिट का न मिलना (Non-creditable of Several Local Levies in State VAT)

मनोरंजन कर, लज्जरी कर, प्रवेश कर इत्यादि जैसे कई राज्य द्वारा लगाये गए करों का क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं है।

#### 2. कर की बारम्बारता अर्थात् कर के ऊपर कर (Cascading of Taxes)

(a) CST का करारोपण—अंतर-राज्य खरीद पर भुगतान किए गए CST पर क्रेडिट की अनुमति नहीं है फलस्वरूप CST लागत का हिस्सा बन जाती है।

(b) VAT (Sales tax) की गणना करते समय उत्पाद शुल्क (Excise Duty) शामिल किया गया है।

उदाहरण के लिए—

➤ बिक्री कर की गणना उत्पादक आधार मूल्य जमा उत्पाद शुल्क पर करता है। इसमें बिक्री कर लगाने के लिए उत्पाद शुल्क को शामिल किया गया है जिसकी वजह से कर के ऊपर कर लग गया।

➤ वैट डीलर उत्पादक से माल क्रय करने के बाद अगर उसे राज्य के अन्दर बेचना है तो वह उस पर (संबंधित राज्य में लागू) कर लगाता है जो कि निर्माता द्वारा चार्ज किया गया मूल + उत्पाद शुल्क (Excise Duty) + डीलर द्वारा कमाया गया लाभ पर लगेगा। इसमें भी कर के ऊपर कर लग रहा है।

#### 3. वैट और सेवा कर का समायोजन न होना (Non-Integration of VAT & Service Tax)

CENVAT (Excise Duty) और राज्य स्तरीय VAT अनिवार्य रूप से मूल्यवर्धित (value added) कर हैं। यदि किसी एक का कोई कर देय है तथा किसी दूसरे का क्रेडिट उपलब्ध है तब भी क्रेडिट को कर देय से समायोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि CENVAT केंद्र सरकार लगाती है और VAT राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है।

## उदाहरण के लिए—

उपलब्ध इनपुट क्रेडिट	आउटपुट (output) देयता	विवरण
केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर राज्य वैट (राज्य के भीतर)	केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर राज्य वैट (राज्य के भीतर)	केंद्रीय कर केवल केंद्रीय इनपुट कर के द्वारा समायोजित किया जा सकता है और राज्य कर केवल राज्य इनपुट कर के द्वारा समायोजित किया जा सकता है।

## 4. दोहरा कर (Double Taxation)

कई बार किसी गतिविधि को वस्तु और सेवाओं दोनों के रूप में मानकर उस पर दोहरा (double) कर लगा दिया जाता है जैसे की खानपान की सेवाओं (रेस्तरां सेवाओं और केटरिंग सेवाओं) पर एक ही मूल्य पर सेवा कर के साथ साथ बिक्री कर भी लगता है।

## 1.19.2 मौजूदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की कमियों का इलाज (Cure of Ills of Existing Indirect Tax Regime)

## 1. बहुत सारे करों को GST में सम्मिलित करना (Taxes Subsume in GST)

## (A) राज्य कर जो GST में सम्मिलित हुए हैं (State Taxes Subsumed in GST)

(a) राज्य वैट; (b) केंद्रीय बिक्री कर; (c) खरीद कर; (d) लगजरी टैक्स; (e) प्रवेश कर (सभी रूप); (f) मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर को छोड़कर); (g) विज्ञापनों पर कर; (h) लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ पर कर; (i) राज्य उपकर और प्रतिभार (State cesses and Surcharges) जो वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं।

## (B) केंद्रीय कर जो GST में सम्मिलित हुए हैं (Central Taxes Subsumed)

(a) केंद्रीय उत्पाद शुल्क; (b) उत्पाद शुल्क (दवाइयों और प्रसाधन पदार्थ (Drugs and toilet)); (c) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के सामान); (d) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़े की वस्तुएँ); (e) अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क (आमतौर पर CVD के रूप में जाना जाता है); (f) अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क (SAD); (g) सेवाकर; (h) केंद्रीय उपकर और प्रतिभार (Central cesses and surcharges) जो वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं।

## 2. एकल कर योग्य घटना (Single Taxable Event)

GST के आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार दोनों आपस में करों में समायोजन (Set-off) दिलवाने के उद्देश्य के लिए वस्तु और सेवाओं पर करों को एकीकृत (integrate) करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि CENVAT और सेवा कर के बारम्बारता (cascading) के प्रभाव को हटा दिया जाये तथा साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेंगी कि सेट-ऑफ की निरंतर शृंखला मूल निर्माता/सेवा प्रदाता से लेकर खुदरा विक्रेता के स्तर/उपभोक्ता के स्तर तक बिना रुकावट के चलती रहे।

**ध्यान दें**—सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, अनुसंधान और विकास उपकर, स्टाम्प ड्यूटी, एंटी-डॉपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, वाहन कर, शराब पर उत्पाद शुल्क, बिजली की खपत और बिक्री पर कर, टोल कर, मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा करारोपण), सड़क कर, व्यावसायिक कर आदि GST अधिनियम में सम्मिलित नहीं हैं।

## ■ 1.20 GST के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें (Other Important Points under GST)

## 1. दोहरा GST मॉडल (Dual GST Model)

इस मॉडल में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक साथ एक आधार पर दोहरा कर लगाया जायेगा।

केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी (CGST) कहा जाएगा और राज्यों (including Union Territories with Legislature i.e. Delhi and Puducherry) द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को राज्य जीएसटी (SGST) कहा जाएगा।

विधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories without Legislature) द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को संघीय क्षेत्र जीएसटी (UTGST) कहा जाएगा। (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़)।

वस्तु या सेवाओं के अंतर-राज्य (Inter-State) आपूर्ति पर एक एकीकृत जीएसटी (IGST) लगाया जाएगा। यह केंद्र द्वारा एकत्र किया जाएगा ताकि क्रेडिट शृंखला बाधित न हो।

**नोट—1.** IGST की दर लगभग CGST और SGST/UTGST की दर के योग (sum) के बराबर होगी।

2. जहाँ तक संभव हो सके कर योग्य घटना, कर योग्य व्यक्ति की परिभाषा, वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण और मूल्यांकन, कर के लेवी और संग्रह की प्रक्रिया या अन्य प्रक्रिया सभी GST कानूनों में समान होगी। इस तरह के समान प्रावधान दोहरी GST के अस्तित्व को बनाये रखने में सहायक होगा।

## 2. कम्पोजीशन (Composition Levy)

यह योजना छोटे डीलर, छोटे निर्माता और छोटे सेवा प्रदाता के लाभ के लिए बनाई गई है। इस योजना में इन लोगों के लिए GST के कुछ प्रावधानों में कटौती की गई है। उदाहरण के लिए- रिटर्न की कम संख्या, अन्य डीलर की तुलना में किताबों और अभिलेखों के रिकार्ड्स को कम रखना।

इस योजना के तहत, यदि एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर (aggregate turnover) ₹ 150 लाख (विशेष श्रेणी के राज्य अपने राज्य में कम्पोजीशन की सीमा तय करेंगे) से अधिक नहीं है, तो उसके पास कम दर पर कर चुकाने का विकल्प होता है परन्तु उसे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता।

## 3. इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग का अनुक्रम (Sequence of Utilisation of ITC)

सेक्शन 49 (Relevant Part)

Credit of	Utilisation Order Sec. 49 A		
IGST	1. IGST	2. CGST	3. SGST / UTGST
GST	1. IGST	2. CGST	
GST /UTGST	1. IGST / UTGST	2. SGST/UTGST	

## 4. सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए लागू (Applicable to all Goods and Services)

मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को छोड़कर GST सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगा।

निम्नलिखित पाँच निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों पर वस्तु और सेवाकर GST परिषद् द्वारा सिफारिश की गई तिथि से लागू होगा।

- |                      |                 |        |
|----------------------|-----------------|--------|
| ✓ कच्चा तेल          | ✓ पेट्रोल       | ✓ डीजल |
| ✓ विमानन टरबाइन ईंधन | ✓ प्राकृतिक गैस |        |

उपर्युक्त उत्पादों पर और भारत में निर्मित या उत्पादित तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) लगेगा तथा केंद्र सरकार इन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को लागू करने की शक्ति अपने पास बनाए रखेगी।

## 5. वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN (Goods and Services Tax Network)

केंद्रीय और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को GST के कार्यान्वयन के लिए आईटी (information technology) की आधारभूत संरचना और सेवाएँ प्रदान करने के लिए वस्तु और सेवा नेटवर्क (GSTN) तैयार किया गया है। GSTN के कार्यों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं—

- पंजीकरण की सुविधा;
- केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों को रिटर्न अग्रोषित (forward) करना;
- बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरणों का मिलान करना;
- करदाता की रिटर्न जानकारी के आधार पर केंद्रीय और राज्य सरकारों को विभिन्न रिपोर्ट प्रदान करना;
- करदाताओं के प्रोफाइल का विश्लेषण प्रदान करना; तथा
- इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिलान, उलटने और पुनः दावा करने के लिए उसी के अनुकूल इंजन का संचालन करना।

## 6. राज्य के अन्दर आपूर्ति पर कर (Tax on Intra-State Supply)

यदि वस्तु और/या सेवाओं की आपूर्ति में, आपूर्तिकर्ता का स्थान और वस्तु/सेवाओं की आपूर्ति की जगह एक ही राज्य या उसी संघ क्षेत्र में है तो इसे राज्य के अन्दर आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।

राज्य के अन्दर की आपूर्ति में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (CGST) और राज्य वस्तु और सेवा कर (SGST) दोनों लगते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि महाराष्ट्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर ने महाराष्ट्र के ही डीलर को ₹ 10,00,000 के लैपटॉप बेचे हैं और मान लीजिये कि जीएसटी दर 18% है, तो इस लेनदेन पर ₹ 90,000 का CGST और ₹ 90,000 का SGST लगेगा।

**7. अंतर-राज्य आपूर्ति (Inter-State Supply)**

अंतर-राज्य वस्तु और/या सेवाओं की आपूर्ति का अर्थ उस आपूर्ति से है जहाँ आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति की जगह अलग-अलग राज्यों (different States), दो अलग-अलग केंद्र क्षेत्र (two different union territory) या राज्य और संघ क्षेत्र (state and union territory) में है।

अंतर-राज्य आपूर्ति में एकीकृत वस्तु और सेवा कर (IGST) लगता है।

उदाहरण के लिए, यदि महाराष्ट्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर ने कर्नाटक में एक डीलर को ₹ 10,00,000 के लैपटॉप बेचे हैं और मान लीजिये कि जीएसटी दर 18% है, तो इस लेनदेन पर ₹ 1,80,000 का IGST लगेगा।

**Illustration 1****राज्य के अन्दर आपूर्ति (Intra-State Supply)**

वस्तु/सेवाओं की राज्य के अन्दर पूर्ति के मामले में, आपूर्तिकर्ता आपूर्ति पर निर्दिष्ट दरों पर दोहरा GST यानि, CGST और SGST चार्ज करेगा।

**I. राम के द्वारा जॉन को राज्य के अन्दर वस्तु की आपूर्ति (Supply of Goods by Ram to John)**

(माना कर की दर 9% है)

	Amount (₹)
वस्तु/सेवाओं की आपूर्ति के लिए चार्ज किया गया मूल्य (Value charged for supply of goods)	5,000
Add : CGST@ 9%	450
Add : SGST@ 9%	450
वस्तु की राज्य के अन्दर आपूर्ति के लिए जॉन से राम द्वारा ली गई कुल कीमत (Total price charged by Ram from John for local supply of goods/services)	5,900

**II. मान लीजिए उपरोक्त वस्तु/सेवाओं को जॉन ने सीता को राज्य के अन्दर आपूर्ति की है—मूल्यवर्धन @ 20% (Suppose above goods/services are supplied by John to Sita)**

	Amount (₹)
वस्तु/सेवाओं की आपूर्ति के लिए चार्ज किया गया मूल्य (Value charged for supply of goods/services) [5,000 × 120%]	6,000
Add : CGST@ 9%	540
Add : SGST@ 9%	540
वस्तु की राज्य के भीतर आपूर्ति के लिए सीता से जॉन द्वारा ली गई कुल कीमत (Total price charged by John from Sita for intra-state supply of goods/services)	7,080

जॉन को माल/सेवाओं की खरीद पर भुगतान किए गए CGST और SGST का क्रेडिट प्राप्त हो जायेगा और वह इसका उपयोग सीता को बेचे गए वस्तु/सेवाओं पर देय होने वाले CGST और SGST का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं।

**सरकार को जॉन द्वारा देय CGST, SGST की गणना**

(Computation of CGST, SGST payable by John to Government)

	Amount (₹)
CGST देयता (CGST Payable)	540
घटायें : CGST का क्रेडिट (Less : Credit of CGST)	450
केंद्रीय सरकार को देय CGST (CGST Payable to Central Government)	90
SGST देयता (SGST Payable)	540
घटायें : SGST का क्रेडिट (Less : Credit of SGST)	450
राज्य सरकार को देय SGST (SGST Payable to State Government)	90

**केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का विवरण**  
(Statement of Revenue Earned by Central and State Government)

लेनदेन (Transaction)	केंद्रीय सरकार को राजस्व (Revenue to Central Government)	राज्य सरकार को राजस्व (Revenue to State Government)
जॉन को राम द्वारा वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति (Supply of goods/services by Ram to John)	450	450
सीता को जॉन द्वारा वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति (Supply of goods/services by John to Sita)	90	90
कुल (Total)	540	540

**Illustration 2****अंतर-राज्य आपूर्ति (Inter-State Supply)**

माल/सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति के मामले में, सप्लायर आपूर्ति पर निर्दिष्ट दरों पर IGST चार्ज करेगा।

I. हरियाणा के रणबीर द्वारा हरियाणा के सुखबीर को वस्तु/सेवाओं की आपूर्ति (Supply of Goods/Services by Ranbir of Haryana to Sukhbir of Haryana)

	Amount (in ` )
वस्तु/सेवाओं की आपूर्ति के लिए चार्ज किया गया मूल्य (Value charged for supply of goods/services)	10,000
Add : CGST@ 9%	900
Add : SGST@ 9%	900
वस्तु/सेवाओं की अंतर-राज्य पूर्ति के लिए सुखबीर से रणबीर द्वारा ली गई कुल कीमत (Total price charged by Ranbir from Sukhbir for Intra-State supply of goods/services)	11,800

रणबीर वस्तु/सेवाओं का पहला सप्लायर है और इसलिए उसके पास कोई भी CGST/SGST/UTGST का क्रेडिट नहीं है।

II. मान लीजिए उपरोक्त वस्तु/सेवाओं को हरियाणा के सुखबीर ने दिल्ली के आशीष को आपूर्ति कर दी (Supply of Goods/Services by Sukhbir of Haryana to Ashish of Delhi)

	Amount (in ` )
वस्तु/सेवाओं की पूर्ति के लिए चार्ज किया गया मूल्य (Value charged for supply of goods/services)	12,000
Add : IGST@18%	2,160
वस्तु/सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए आशीष से सुखबीर द्वारा लगाई गई कुल कीमत (Total price charged by Sukhbir from Ashish for inter-State supply of goods/services)	14,160

**सरकार को देय IGST की गणना**  
(Computation of IGST Payable to Government)

	Amount (in ` )
IGST देयता (IGST Payable)	2,160
घटायें : CGST का क्रेडिट (Less : Credit of CGST)	900



घटायें : SGST का क्रेडिट ( <i>Less : Credit of SGST</i> )	900
केंद्रीय सरकार को देय IGST (IGST Payable to Central Government)	360

हरियाणा राज्य केंद्र सरकार को ₹ 900 के SGST क्रेडिट का हस्तांतरण करेगा जिसको IGST के भुगतान में उपयोग किया गया है।

III. मान लीजिए उपरोक्त वस्तु/सेवाओं को दिल्ली के आशीष ने दिल्ली के ही नीरज को Supply किया है (Supply of Goods/Services by Ashish of Delhi to Neeraj of Delhi)

आशीष वस्तु/सेवाओं की खरीद पर उनके द्वारा चुकाए गए IGST का क्रेडिट प्राप्त करेंगे और CGST और SGST के भुगतान के लिए ऐसे क्रेडिट का उपयोग करेंगे जो नीरज को उनके द्वारा किए गए वस्तु/सेवाओं की स्थानीय आपूर्ति पर देय है।

	Amount (in ` )
वस्तु/सेवाओं की आपूर्ति के लिए चार्ज किया गया मूल्य (Value charged for supply of goods/services)	15,000
Add : CGST@ 9%	1,350
Add : SGST@ 9%	1,350
स्थानीय आपूर्ति के लिए नीरज से आशीष द्वारा ली गई कुल कीमत (Total price charged by Ashish from Neeraj for local supply of goods/services)	17,700

**सरकार को देय CGST, SGST की गणना**  
(Computation of CGST, SGST payable to Government)

	Amount (in ` )
CGST देयता (CGST Payable)	1,350
घटायें : IGST का क्रेडिट ( <i>Less : Credit of IGST</i> )	1,350
केंद्रीय सरकार को देय CGST (CGST Payable to Central Government)	शून्य (Nil)
SGST देयता (SGST Payable)	1,350
घटायें : IGST का क्रेडिट [ <i>Less : Credit of IGST (₹ 2,160 – ₹ 1,350)</i> ]	810
राज्य सरकार को देय SGST (SGST Payable to State Government)	540

केंद्र सरकार ₹ 810 के IGST क्रेडिट को आयात राज्य को स्थानांतरित करेगी जो उसने SGST के भुगतान में उपयोग किया है।

नोट : CGST, SGST एवं IGST की दरों को क्रमशः 9%, 9% एवं 18% माना गया है (Note : Rates of CGST, SGST and IGST have been assumed to be 9%, 9% and 18% respectively)

**केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का विवरण**  
(Statement of Revenue earned by Central and State Governments)

लेन-देन (Transaction)	केंद्रीय सरकार को राजस्व (Revenue to Central Government) ( ` )	राज्य 1 की सरकार को राजस्व (Revenue to Government of State 1) ( ` )	राज्य 2 की सरकार को राजस्व (Revenue to Government of State 2) ( ` )
सुखवीर को रणवीर द्वारा वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति (Supply of Goods/Services by Ranbir to Sukhbir)	900	900	

आशीष को सुखबीर द्वारा वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति (Supply of Goods/Services by Sukhbir to Ashish)	360		
केंद्रीय सरकार को हरियाणा सरकार द्वारा स्थानांतरण (Transfer by Haryana Govt. to Centre Govt.)	900	(900)	
नीरज को आशीष द्वारा वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति (Supply of Goods/Services by Ashish to Neeraj)			540
दिल्ली सरकार को केंद्रीय सरकार द्वारा स्थानांतरण (Transfer by Centre to Delhi Govt.)	(810)		810
<b>कुल (Total)</b>	<b>1,350</b>	<b>Nil</b>	<b>1,350</b>

**कुछ सामान्य वस्तुओं पर GST कर की दरें**  
(GST rates on some common items)

कर की दर (Tax rate)	उत्पाद (Product)
0%	खाद्यान्न सहित उपभोक्ता मूल्य श्रेणी का 50% (50% of the consumer price basket, including foodgrains)
3%	कीमती पत्थर, सोने और चाँदी के गहने (Precious stons, Gold and Silver ornaments)
5%	घरेलू आवश्यकताएँ जैसे खाद्य तेल, चीनी, मसाले, चाय और कॉफी (तत्काल को छोड़कर) शामिल हैं। कोयला, मिष्टी/मिठाई ( भारतीय मिठाई) और जीवन रक्षक दवाएँ भी इस जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आती हैं [Household necessities such as edible oil, sugar, spices, tea, and coffee (except instant) are included. Coal, Mishti/Mithai (Indian Sweets), and Life-saving drugs are also covered under this GST slab]
12%	इसमें कंप्यूटर और प्रोसेस्ड फूड शामिल है (This includes computers and processed food)
18%	केश तेल, टूथपेस्ट और साबुन, पूँजीगत वस्तुएँ तथा औद्योगिक मध्यस्थ इस स्लैब में शामिल हैं (Hair oil, toothpaste and soaps, capital goods and industrial intermediaries are covered in this slab.)
28%	लगजरी उत्पाद जैसे छोटी कार, ए.सी. और रेफ्रिजरेटर, प्रीमियम कार, सिगरेट और वातित पेय, हाई-एंड मोटरसाइकिल, आदि इसमें शामिल हैं (Luxury items such as small cars, consumer durables like AC and Refrigerators, premium cars, cigarettes and aerated drinks, High-end motorcycles are included here.)

**GST के साथ वैट, सेवा कर और उत्पाद शुल्क के बीच अंतर**  
(Differences between VAT, Service Tax & Excise Duty with GST)

पुराने कर व्यवस्था के वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, आदि तथा जीएसटी के बीच कई अंतर हैं। जीएसटी ने पुरानी कर व्यवस्था के दोषों को कम करने की कोशिश की है। वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क तथा जीएसटी के बीच कुछ उल्लेखनीय अंतर अग्रलिखित हैं—

तुलना का आधार	वैट	सेवा कर	उत्पाद शुल्क	जीएसटी
अर्थ	वस्तुओं के मूल्यवर्धन पर लगाये गये कर को वैट के रूप में जाना जाता है।	प्रदान की गई सेवाओं पर लगाये गये कर को सेवा कर के रूप में जाना जाता है।	उत्पाद शुल्क, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर है। (सीमा शुल्क के विपरीत, जो देश से बाहर के माल पर शुल्क लिया जाता है।)	वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाये गये कर को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के रूप में जाना जाता है।
अधिनियम	संबंधित राज्य अधिनियम	वित्त अधिनियम 1994	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
दर	विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए परिवर्तनशील	सभी सेवाओं के लिए समान	विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए परिवर्तनशील	जीएसटी परिषद ने जीएसटी के तहत 5%, 12%, 18% एवं 28% के चार टैक्स स्लैब के तहत 1300 से अधिक वस्तुओं और 500 सेवाओं को निर्धारित किया है। सोने पर लगने वाले कर को 3% रखा गया है तथा मोटे कीमती एवं अर्द्ध-कीमती पत्थरों को जीएसटी के 0.25% की विशेष दर पर रखा गया है।
द्वारा लगाया गया	राज्य सरकार	केंद्रीय सरकार	केंद्रीय सरकार	राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार
क्षेत्र	राज्य के भीतर	देश-भर में (कुछ छूटों के अधीन)	राज्य के भीतर	देश-भर में

### अभ्यास प्रश्न

#### दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से आपका क्या अभिप्राय है और संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के मुख्य प्रावधान को भी समझाये (What do you mean by direct and indirect tax and also explain the main provision of Constitution (101st Amendment) Act, 2016 ?) (Ranchi, 2019)
2. जीएसटी की मुख्य विशेषताएँ और आवश्यकताएँ क्या हैं और जीएसटी की अवधारणा को भी समझाइए (What is the salient feature and need of GST and also explain the concept of GST ?) (Varanasi, 2019)
3. माल एवं सेवा कर की अवधारणा समझाइए। जीएसटी लागू किए जाने की आवश्यकता एवं गुण-दोष को बताइए। (Discuss the concept of Goods and Service Tax. Point out reasons for adoption of GST and discuss its merits and demerits.) (Kolhan, 2020)
4. भारत में माल एवं सेवा कर की संरचना को समझाइए एवं इसके प्रकार बताइए। (Discuss the structure of Goods and Service Tax in India and mention its types.) (Kolhan, 2020)

**लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)**

1. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बीच क्या अंतर है? अप्रत्यक्ष कर की विशेषताओं के बारे में भी समझाइए (What is the difference between Direct and Indirect tax ? Also explain feature of indirect tax ?)
2. अनुच्छेद 246A/269A और 279A के संबंध में संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रावधान की व्याख्या कीजिए (Explain the provision of Constitution (101st Amendment) Act, 2016 in respect of Article 246A/269A and 279A.)
3. जीएसटी की क्या आवश्यकता है (What is the need of GST ?)
4. जीएसटी के क्या लाभ हैं और यह भी समझाएँ कि दोहरी जीएसटी मॉडल क्या है (What is the benefit of GST and also explain what is dual GST Model ?) *(Jabalpur, 2019)*
5. जीएसटी परिषद के कार्य क्या हैं? (What are the functions of GST Council ?) *(Ranchi, 2019)*
6. जीएसटी प्रणाली अपनाने के कारण बताइये। (Mention the causes for adoption of G.S.T. system.) *(Varanasi, 2019)*
7. केन्द्रीय जीएसटी एवं राज्य जीएसटी क्या है? (What are the Central GST and State GST ?) *(Jabalpur B.Com II, 2019)*
8. जीएसटी से छोटे व्यावसायियों की उत्पन्न समस्याएँ बताइए। (Point-out difficulties faced by small traders from GST.) *(Jabalpur, 2019)*
9. भारत में दोहरी जीएसटी क्यों लागू किया गया? (Why dual GST is implemented in India ?) *(Jabalpur, 2019)*
10. माल और सेवाकर क्या है? (What is Goods and Service tax ?) *(Jamshedpur, 2019)*
11. जीएसटी परिषद की विवेचना करें। (Explain GST Council.) *(Jamshedpur Women College, 2019)*
12. जीएसटी की कोई पाँच विशेषताएँ समझाइए। (Discuss any five characteristics of GST.) *(Kolhan, 2020)*
13. जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के भीतर पूर्ति और अन्तर्राज्यीय पूर्ति में अन्तर स्पष्ट करें। (Distinguish between Intra State Supply and Inter State Supply under GST Act.) *(Kolhan, 2020)*

**बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)**

1. IGST के कर की दर क्या है? (What is rate of tax of IGST ?)
  - (a) सीजीएसटी दर (CGST rate)
  - (b) एसजीएसटी दर (SGST rate)
  - (c) सीजीएसटी + एसजीएसटी दर (CGST + SGST rate)
  - (d) वैट दर (VAT rate)
2. संविधान के अनुच्छेद.....के अन्तर्गत अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य की आपूर्ति पर GST भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा और एकत्र किया जाएगा। (Under ..... Article.....of the Constitution, GST on supplies in the case of Inter-state trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India) :
  - (a) 246A
  - (b) 269A
  - (c) 254
  - (d) 279A
3. जो IGST लगाया और एकत्र किया जाता है उसको.....कर दिया जाता है। (IGST is levied and collected is.....):
  - (a) केवल केंद्र के लिए आबंटित (Allotted to centre only)
  - (b) केवल राज्यों को आबंटित (Allotted to states only)
  - (c) केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए आबंटित (Allotted to UT's only)
  - (d) केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित (Apportioned between centre and states)
4. जीएसटी में, केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों के पास किस पर GST को लगाने के लिए एक साथ शक्ति होनी चाहिए: (In GST, both Central and State Governments should have simultaneous power to levy GST on):
  - (a) केवल राज्य के अन्दर की आपूर्तियों पर (Intra-state Supplies Only)
  - (b) केवल अंतर-राज्य आपूर्ति पर (Inter-state Supply Only)
  - (c) आयात पर (Import)
  - (d) राज्य के अन्दर और अंतर-राज्य आपूर्ति दोनों पर (Both Intra-state and Inter-state Supply)

5. IGST अधिनियम ..... द्वारा पारित किया गया है (IGST Act is passed by.....) :
- (a) राज्य विधान (State Legislative) (b) संसद (Parliament)  
(c) संघ शासित प्रदेश (Union Territory) (d) विधान परिषद् (Legislative Council)
6. मानव उपभोग के लिए मादक शराब किसके अधीन है (Alcohol liquor for human consumption is subjected to) :
- (a) राज्य उत्पाद शुल्क (State excise duty) (b) संसद (Parliament)  
(c) दोनों (a) एवं (b) [Both (a) and (b)] (d) विधान परिषद् (Legislative Council)
7. जीएसटी में शामिल कर हैं (Taxes subsumed in GST are) :
- (a) सेवा कर (Service tax) (b) लज्जरी कर (Luxury tax)  
(c) वैट (VAT) (d) ये सभी (All of these)
8. GST लगाया जाता है (GST is imposed by) :
- (a) भारत सरकार द्वारा (Govt. of India) (b) राज्य सरकार द्वारा (State Government)  
(c) दोनों सरकार द्वारा (Both Government) (d) स्थानीय निकाय द्वारा (Local Body)
9. जी. एस. टी. परिषद का चैयरमैन होता है (Chairperson of GST Council is) : (Jabalpur, 2019)
- (a) प्रधानमंत्री (Prime Minister)  
(b) केन्द्रीय वित्तमंत्री (Union Finance Minister)  
(c) नीति आयोग का अध्यक्ष (President of NITI AYOOG)  
(d) अप्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner of Indirect Tax)
10. जी. एस. टी. पद्धति में कर लगता है (Tax imposed in GST system) : (Jabalpur, 2019)
- (a) एक बिन्दु (Single point) (b) बहु बिन्दु (Multiple point)  
(c) प्रथम बिन्दु (First point) (d) अन्तिम बिन्दु (Last point)
11. सोने-चाँदी के आभूषणों पर जी. एस. टी. की दर है (GST rate is applicable on Gold and Silver Ornaments) : (Jabalpur, 2019)
- (a) 0.25% (b) 1% (c) 2% (d) 3%
12. निम्नांकित में से कौन-सा जीएसटी में समाहित नहीं है? (Which of the following tax has not Subsumed in GST?) (Jamshedpur Women College, 2019)
- (a) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (Central excise duty)  
(b) सेवाकर (Service tax)  
(c) मूल सीमा शुल्क (Basic custom duty)  
(d) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (Special additional duty of customs)
13. जीएसटी से बाहर कौन-सी वस्तु है? (Which is the commodity kept outside the purview of GST?) (Jamshedpur Women College, 2019)
- (a) तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादन (Tobacco and tobacco product)  
(b) पेट्रोलियम उत्पाद (Petroleum product)  
(c) खाद्य तेल (Edible oil)  
(d) घरेलू एलपीजी (Domestic LPG)
14. जीएसटी परिषद का सदस्य होना चाहिए (Member of the GST Council should be) : (Jamshedpur Women College, 2019)
- (a) केन्द्रीय वित्तमंत्री (Union Finance Minister) (b) केन्द्रीय गृहमंत्री (Union Home Minister)  
(c) राज्य का मुख्यमंत्री (State Chief Minister) (d) इनमें से कोई नहीं (None of them)
15. जीएसटी है (GST is a) : (Kolhan, 2020)
- (a) केन्द्रीय कर (Central Tax) (b) संघीय कर (Federal Tax)  
(c) प्रांतीय कर (State Tax) (d) स्थानीय कर (Local Tax)
16. भारत में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हुआ (GST was imposed in India on) : (Kolhan, 2020)
- (a) 1 अप्रैल, 2016 (1<sup>st</sup> April, 2016) (b) 1 अप्रैल, 2017 (1<sup>st</sup> April, 2017)  
(c) 30 जून, 2017 (30<sup>th</sup> June, 2017) (d) 1 जुलाई, 2017 (1<sup>st</sup> July, 2017)

17. अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर लगता है (The following is applicable on Inter State Supply) : (Kolhan, 2020)
- (a) राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) [State Goods and Service Tax (SGST)]  
 (b) केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) [Central Goods and Service Tax (CGST)]  
 (c) एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) [Integrated Goods and Service Tax (IGST)]  
 (d) राष्ट्रीय माल एवं सेवा कर (एनजीएसटी) [National Goods and Service Tax (NGST)]
18. निम्नलिखित मदों पर जीएसटी लगाया जाएगा ? (On which are of the following items, GST will be levied ?) (Ranchi, 2020)
- (a) विमानन ईंधन (Aviation Fuel) (b) तरल पेट्रोलियम गैस (Liquefied Petroleum Gas)  
 (c) प्राकृतिक गैस (Natural Gas) (d) डीजल (High Speed Diesel Oil)
- [उत्तर—1. (c), 2. (b), 3. (d), 4. (a), 5. (b), 6. (c), 7. (d), 8. (c), 9. (b), 10. (b), 11. (d), 12. (c), 13. (b), 14. (a), 15. (b), 16. (d), 17. (c), 18. (b).]

**सत्य या असत्य कथन (State True or False)**

1. GST सर्वप्रथम फ्रांस में सन् 1954 में लागू किया गया। (GST was first of all implemented in France in the year 1954.)
2. GST वर्तमान में 160 देशों में कार्यरत है। (Presently GST is implemented in 160 countries.)
3. GST द्वारा अप्रत्यक्ष करों की प्रक्रिया को कठिन किया गया है। (Through GST the process of indirect taxes in made complicated.)
4. GST भारत में जुलाई 2017 से लागू किया गया। (GST was implemented in India from July 2017.)
5. वर्तमान स्थिति में प्राकृतिक गैस पर GST लागू नहीं है। (In present situation the GST is not implemented on Natural Gas.)
6. GST वस्तुओं की आवश्यकता एवं प्रकृति के हिसाब से 5 स्तरों में विभाजित है। (GST is divided in 5 slabs according to the nature and importance of Goods.)

[उत्तर—1. सत्य (True), 2. सत्य (True), 3. असत्य (False), 4. सत्य (True), 5. सत्य (True), 6. सत्य (True) ]

**रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए (Fill in the Blanks)**

1. भारतवर्ष में GST को लागू करने की प्रक्रिया लगभग ..... के लम्बे अन्तराल में पूर्ण हुई। (In India the process of implementing GST has been completed in the long tenure of .....)
2. राज्य सरकार ..... का करारोपण एवं प्रशासन करेगी (State Government will implement & Administer .....)
3. भारतवर्ष में कृषि के अतिमहत्वपूर्ण उत्पाद ..... GST टैक्स स्तर में है। (In India the most important agri-goods are in ..... tax slab of GST.)
4. मुख्यतः विलासिता की वस्तुओं को ..... GST कर स्तर में रखा गया है। (Mainly luxury goods are kept in ..... tax slab of GST.)
5. GST के द्वारा एक कर, एक बाजार एवं ..... का नारा बुलन्द किया गया। (Through GST one tax, one market and ..... slogan has been promoted.)

[उत्तर—1. 17 वर्ष (years), 2. SGST, 3. 0%, 4. 28%, 5. एक राष्ट्र (One nation) ]



### ■ 2.1 महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Important Definitions)

**कुल टर्नओवर :** इसका अर्थ है निम्नलिखित सभी का कुल मूल्य :

- (a) करयोग्य आपूर्तियाँ (b) कर से मुक्त आपूर्तियाँ  
(c) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का निर्यात  
(d) अखिल भारतीय आधार पर गणना करने पर समरूप स्थायी खाता संख्या (PAN) वाले व्यक्तियों की अंतर्राज्यीय आपूर्तियाँ परंतु इसमें निम्नलिखित को बाहर रखा गया है :

- (a) आपूर्ति का मूल्य, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा रिवर्स चार्ज पर कर देय होता है।  
(b) केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ शासित प्रदेश कर, एकीकृत कर।

**उदाहरण :** (a) यदि एक डेयरी की दुकान दूध (कर से मुक्त) और मक्खन, छैना आदि (करयोग्य) बेच रही है, तो उसके कुल टर्नओवर में दूध की बिक्री के साथ-साथ मक्खन, छैना आदि की बिक्री भी शामिल होगी। यदि दूध की बिक्री ₹ 35 लाख है और मक्खन, छैना आदि की बिक्री ₹ 6 लाख है, तो व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि कुल टर्नओवर ₹ 40 लाख की सीमा से अधिक है (एकमात्र वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पंजीकरण के लिए सीमा-रेखा)

(b) आगरा (उत्तर प्रदेश) में एक निर्माता द्वारा ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में स्थित उसके मालगोदाम में स्टॉक हस्तांतरण को टर्नओवर में शामिल किया जाएगा।

#### 2.1.1 कारोबार (Business) [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (17)]

कारोबार या व्यापार में निम्नलिखित विवरण शामिल हैं—

- (a) कोई व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशा, व्यवसाय, साहस, दांव या कोई अन्य सामानिक गतिविधि, चाहे वह एक आर्थिक लाभ के लिए है या नहीं; (Any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager or any other similar activity, whether or not it is for a pecuniary benefit)

**ध्यान दें—**

यहाँ तक कि यदि कोई व्यापार, निर्माण, वाणिज्य, पेशा जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है या उससे कोई लाभ अर्जित नहीं किया जाता है तो भी इसको कारोबार माना जा सकता है।

**उदाहरण—**

अक्षय कुमार एक प्रसिद्ध अभिनेता कुछ चित्रों को चित्रित करता है और उन्हें बेचता है। ऐसी बिक्री से जो प्रतिफल आएगा उसको वह एक चैरिटेबल ट्रस्ट – 'Kind Human' को दान करेगा। अभिनेता द्वारा चित्रों की बिक्री को आपूर्ति माना जायेगा भले ही यह एक बार की घटना हो।

- (b) उपरोक्त के संबंध में या उसके संयोगिक (Incidental) या सहायक कोई गतिविधि या लेनदेन (Any activity or transaction in connection with or incidental or ancillary to the above sub-clause (a))

**ध्यान दें—**

1. इस बिन्दु (b) के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यदि मुख्य गतिविधि व्यवसाय की परिभाषा में आती है तभी उसकी सहायक गतिविधि करयोग्य है। उदाहरण के लिए, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर द्वारा लड्डू की बिक्री व्यापार नहीं हो सकती क्योंकि मंदिरों की मुख्य गतिविधि व्यवसाय नहीं होती है।
2. पुराने संयंत्र और मशीनरी, पुराने कंप्यूटर, पुराने फर्नीचर, पुरानी कार, पुराना प्रिंटर, स्क्रीप की बिक्री पर जीएसटी लगेगा भले ही करयोग्य व्यक्ति इन संपत्तियों को बेचने का कारोबार न करता हो।

- (c) उपरोक्त (a) की प्रकृति (nature) में की गई कोई भी गतिविधि या लेनदेन कारोबार की परिभाषा में शामिल होगी भले ही उस गतिविधि या लेनदेन की मात्रा, आवृत्ति (frequency), निरंतरता (continuity) या नियमितता (regularity) हो या न हो;

[Any activity or transaction in the nature of sub-clause (a), whether or not there is volume, frequency continuity or regularity of such transaction;]

**नोट**—ऐसे लेन-देन जो अनियमित (casual or irregular) आधार पर किए जाते हैं वह भी इस बिन्दु की वजह से कारोबार की परिभाषा में शामिल माना जायेगा।

- (d) व्यवसाय को शुरू करने या बंद करने के संबंध में वस्तुओं (पूँजीगत वस्तुओं को शामिल करके) और सेवाओं की आपूर्ति या अर्जन करना (acquisition); (Supply or acquisition of goods including capital goods and services in connection with commencement or closure of business)

**नोट**—जब कोई साझेदार फर्म को शुरू करने के लिए अपने पूँजी योगदान (Capital contribution) के रूप में कोई संपत्ति या स्टॉक लाते हैं या फर्म के विघटन के समय जब साझेदारों को फर्म के द्वारा कोई संपत्ति का वितरण (Distribution) किया जाता है तब इस लेनदेन को व्यवसाय की परिभाषा में शामिल किया जाता है।

- (e) किसी क्लब, संघ, समाज, या वैसी ही संस्था द्वारा उसके सदस्यों के लिए (किसी अंशदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) कोई सुविधा या व्यवस्था;

Provision by a club, association, society, or any such body (for a subscription or any other consideration) of the facilities or benefits to its members;

**नोट्स और उदाहरण :**

1. क्लब और उसके सदस्यों को अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में माना जाता है।
2. भोज हॉल (Banquet Hall)/ रेस्टोरेंट/ खेल सुविधाएँ/लाइब्रेरी सेवाएँ इत्यादि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो उपरोक्त संस्थाएँ अपने सदस्यों को प्रदान करती हैं।
3. एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (Resident Welfare Association) कुछ मामूली शुल्कों के बदले अपने मेम्बर्स के पानी के बिल जमा करने की सेवा प्रदान करता है। किसी क्लब या एसोसिएशन या समाज द्वारा अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करने को आपूर्ति के रूप में माना जाता है क्योंकि इसे 'कारोबार' की परिभाषा में शामिल किया गया है।

- (f) किसी भी परिसर में प्रतिफल के बदले व्यक्तियों का प्रवेश;

(Admission, for a consideration, of persons to any premises)

**उदाहरण—**

शुल्क या अन्य प्रतिफल के बदले में मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल या गेमिंग इवेंट जैसे किसी भी परिसर में प्रवेश करना।

- (g) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पद धारक के रूप में दी की गई सेवाएँ जो उसने अपने व्यापार, पेशे या कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर (furtherance) करने के लिए स्वीकार किया है:

(Services supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or vocation)

**नोट**—यदि एक प्रक्रिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट को कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो इसका अर्थ यह है कि उसने यह पद अपने कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर (furtherance) करने के लिए स्वीकार किया है।

- (h) रेस क्लब द्वारा टोटलाइजेटर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ या ऐसे क्लब द्वारा बुक-मेकर को अपने क्लब के लिए लाइसेंस देना;

(Services provided by a race club by way of totalisator or a licence to book maker in such club)

**ध्यान दें—**

1. टोटलाइजेटर को एक पार-म्यूचुअल मशीन (par-mutual machine) या एक कंप्यूटर कहा जाता है जो दांव (bets) रिकॉर्ड करता है और विजेताओं के बीच शर्त की कुल राशि को विभाजित करता है।
2. एक बुकमेकर रेस कोर्स या स्पोर्टिंग ग्राउंड में आम जनता को सट्टेबाजी (wagering) की सेवाएँ प्रदान करता है।



- (i) केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की गई कोई भी गतिविधि या लेन-देन जिसमें वे सार्वजनिक प्राधिकरण (public authorities) के रूप में लगे हुए हैं।

**नोट**—केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की संप्रभु गतिविधियों (Sovereign activities) पर जीएसटी की छूट है।

**2.1.2 कारोबार का कार्य क्षेत्र (Business vertical) [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (18)]**

कारोबार कार्यक्षेत्र से आशय किसी ऐसे उद्यम(enterprise) के विशिष्ट घटक(distinguishable component) से है, जो ऐसे अलग-अलग वस्तु या सेवाओं के या ऐसे संबंधित वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति में लगा हुआ है, जिसके जोखिम और प्रत्याय (risks and returns) अन्य कारोबार कार्यक्षेत्र से अलग हैं।

**स्पष्टीकरण**—वस्तु और सेवाएँ संबंधित हैं या नहीं, यह जानने के लिए जिन कारकों का ध्यान रखा जाना चाहिए उनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

- (a) वस्तु या सेवाओं की प्रकृति;
- (b) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति;
- (c) वस्तु या सेवाओं के ग्राहकों का प्रकार या वर्ग;
- (d) वस्तु या सेवाओं की पूर्ति करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ; तथा
- (e) विनियामक पर्यावरण (Regulatory environment) की प्रकृति (जहाँ भी लागू हो), इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, या सार्वजनिक उपयोगिताएँ (public utilities) आती हैं;

**2.1.3 प्रतिफल (Consideration) [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (31)]**

वस्तु या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्रतिफल के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं—

प्रावधान (Provisions)	उदाहरण सहित विश्लेषण (Analysis with Examples)
<p>(a) वस्तु या सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, वस्तु या सेवाओं या दोनों की 'आपूर्ति के संबंध में' या उनके बदले में या उनकी 'प्रलोभन (inducement) के संबंध में' चाहे धन के रूप में या अन्य रूप में किया गया या किया जाने वाला कोई भुगतान प्रतिफल कहलायेगा।</p> <p>इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सब्सिडी शामिल नहीं होगी।</p>	<p><b>ध्यान दें—</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रतिफल मौद्रिक या गैर-मौद्रिक रूप में हो सकता है या आंशिक रूप से मौद्रिक रूप में और आंशिक रूप से गैर-मौद्रिक रूप में हो सकता है।                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) मौद्रिक प्रतिफल में नकदी, चेक या क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर और बैंक खाते से कटौती(deduction) द्वारा भुगतान शामिल है।</li> <li>(b) गैर मौद्रिक प्रतिफल का अर्थ वस्तु-विनिमय, आंशिक विनिमय, कोई काम करने या न करने के लिए सहमति देने से है।</li> </ul> </li> <li>2. 'आपूर्ति' के संबंध में' या 'प्रलोभन के संबंध में' का अर्थ                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) इसका अर्थ है कि आपूर्ति और प्रतिफल के बीच एक सीधा संबंध होना चाहिए।</li> <li>(b) 'प्रलोभन के संबंध में' का मतलब है किसी व्यक्ति को कुछ देना ताकि वह बदले में कुछ और कर दे।</li> </ul> </li> </ol> <p><b>उदाहरण—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) एक रेस्टोरेंट के मालिक ने संभावित ग्राहकों को अपने रेस्टोरेंट पर लाने के लिए यात्रियों को ले जाने वाली बसों के ड्राइवरों को मुफ्त भोजन खिलाने का प्रलोभन दिया। चूंकि खाली बसों के ड्राइवरों को भोजन नहीं दिया जाता है इसीलिए यात्रियों को रेस्टोरेंट तक लाने के कार्य में और मुफ्त भोजन खिलाने के बीच एक सीधा संबंध है। यहाँ पर निःशुल्क भोजन को प्रतिफल माना जायेगा।</li> </ul>

<p>(b) वस्तु या सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, वस्तु या सेवाओं या दोनों की 'आपूर्ति के संबंध में' या उनके बदले में या उनके 'प्रलोभन (inducement) में' किसी कार्य को करने या उससे अलग रहने का मौद्रिक मूल्य भी प्रतिफल माना जायेगा। इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सब्सिडी शामिल नहीं होगी।</p>	<p>(ii) अनाथालय को दान देना प्रतिफल नहीं माना जायेगा क्योंकि बदले में अनाथालय द्वारा दाता को माल या सेवाओं की कोई आपूर्ति नहीं है।</p> <p>3. प्रतिफल वस्तु या सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हो सकता है। श्रीमान ने, श्रीमान के साथ एक बाध्यकारी अनुबंध किया जिसके अंतर्गत श्रीमान हथौड़ों की सफ़ाई श्रीमान को करेगा। यहाँ पर श्रीमान को प्रतिफल श्रीमान से मिल रहा है भले ही उसने वस्तु की आपूर्ति श्रीमान से की है।</p> <p><b>उदाहरण के लिए—</b> श्रीमान प्रवीण AB Associates के पार्टनर थे जो फर्म से रिटायर हो रहे हैं। फर्म ने ₹ 1 करोड़ देने के बदले में 5 साल के लिए श्रीमान प्रवीण के साथ 'गैर-सक्षमता समझौते' (non-competence agreement) पर हस्ताक्षर करवाए जिसके अंतर्गत वह 5 साल तक फर्म का प्रतिस्पर्द्धी (competitor) नहीं बन सकता है। इस मामले में, श्रीमान प्रवीण प्रतिस्पर्द्धी व्यवसाय को नहीं करने के लिए समझौता कर रहे हैं जिसको एक कर योग्य आपूर्ति माना जायेगा और उस पर जीएसटी लगाया जायेगा।</p>
--	--

**अपवाद (Exception)**—वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में दी गई जमाराशि को ऐसी आपूर्ति के लिए किये गए भुगतान के रूप में नहीं माना जाएगा, जब तक आपूर्तिकर्ता ऐसी जमाराशि को आपूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में प्रयोग न करे।

#### 2.1.4 वस्तु का अर्थ (Meaning of Goods) [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (52)]

“वस्तु” से आशय धन और प्रतिभूतियों के अलावा हर प्रकार की चल संपत्ति (Movable property) से है। जिसमें अभियोज्य दावे (actionable claim), उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके हिस्से के रूप में ऐसी घास और वस्तुएँ शामिल हैं जिनको आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के अनुबंध के अंतर्गत देने की सहमति दी गई है।

#### 2.1.5 सेवाओं के अर्थ (Meaning of Services) [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (102)]

वस्तु, धन और प्रतिभूतियों के अलावा प्रतिफल के बदले सब कुछ करना सेवाओं के अंतर्गत आता है। लेकिन एक ऐसी गतिविधि जिसके अंतर्गत किसी करेंसी को नकद या किसी और करेंसी में परिवर्तित किया जाता है और जिसके बदले में अलग से प्रतिफल लिया जाता है तब ऐसी आपूर्ति को भी सेवाओं में शामिल किया जायेगा।

##### उदाहरण—

1. एक विदेशी मुद्रा डीलर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में परिवर्तन करने के लिए कमीशन लेता है। जिन सेवाओं की गतिविधियों से संबंधित कमीशन अलग से चार्ज किया जाता है, उन्हें 'आपूर्ति' माना जाता है।

2. श्रीमान ने घर के निर्माण के उद्देश्य से बैंक से 5 साल की अवधि के लिए ₹ 5,00,000 का ऋण लिया। किस्त प्रत्येक महीने के अंत में देय होगी। ऋण लेने के समय श्रीमान ने ₹ 5,000 के दस्तावेज शुल्क (documentation charges) का भुगतान किया। ऐसे मामले में, ऋण लेना सेवाओं की आपूर्ति नहीं है लेकिन दस्तावेज शुल्क पर जीएसटी लगेगा।

3. यदि श्रीमान बैंक में ₹ 1,00,000 की नकदी जमा करते हैं तो यह सेवा की आपूर्ति नहीं मानी जाती है। बैंक में नकदी जमा करने पर जीएसटी नहीं लगता।

#### 2.1.6 पूँजीगत वस्तु (Capital Goods) [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (19)]

पूँजीगत वस्तु का अर्थ है ऐसी वस्तु, जिसके मूल्य को खातों में ऐसे व्यक्ति द्वारा पूँजीकृत (Capitalised) किया जाता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है और उस माल को कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए इस्तेमाल करता है या करेगा।

**2.1.7 इनपुट का अर्थ (Meaning of Inputs) [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (59)]**

इनपुट से आशय ऐसी वस्तु से है जो पूँजीगत वस्तु नहीं है तथा जिसका इस्तेमाल आपूर्तिकर्ता द्वारा कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है या किया जायेगा।

**2.1.8 इनपुट सेवा का अर्थ (Meaning of Input Service) [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (60)]**

इनपुट सेवा से आशय ऐसी सेवा से है जिसका इस्तेमाल आपूर्तिकर्ता द्वारा कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है या किया जायेगा।

**2.1.9 इनपुट टैक्स का अर्थ (Meaning of Input Tax) [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (62)]**

किसी पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में इनपुट कर से आशय वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाये गए केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्य क्षेत्र सम्बन्धी कर से है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं—

- (a) वस्तुओं के आयात पर लगाए गए एकीकृत वस्तु और सेवा कर;
- (b) CGST अधिनियम की धारा 9(3) और 9(4) के प्रावधानों के तहत रिवर्स चार्ज के रूप में देय कर;
- (c) IGST अधिनियम की धारा 5(3) और 5(4) के प्रावधानों के तहत रिवर्स चार्ज के रूप में देय कर;
- (d) संबंधित SGST अधिनियम की धारा 9(3) और 9(4) के प्रावधानों के तहत रिवर्स चार्ज के रूप में देय कर; या
- (e) UTGST अधिनियम की धारा 7(3) और 7(4) के प्रावधानों के तहत रिवर्स चार्ज के रूप में देय कर,

**नोट**—इसमें कम्पोजीशन विकल्प के अधीन भुगतान किया गया कर शामिल नहीं है।

**2.1.10 आवक आपूर्ति (Inward Supply) [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(67)]**

किसी व्यक्ति के संबंध में आवकपूर्ति से आशय क्रय, अर्जन(acquisition) या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल सहित या उसके बिना वस्तु या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति से है।

**2.1.11 जावक आपूर्ति (Outward Supply) [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (83)]**

किसी कर योग्य व्यक्ति के संबंध में जावकपूर्ति से आशय कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए वस्तु या सेवाओं या दोनों की बिक्री, स्थानांतरण, बार्टर, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निपटान या किसी अन्य तरीके से की गई आपूर्ति से है। यह आपूर्ति कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी करार (agreement) के अंतर्गत की जाती है।

**2.1.12 प्रधान (Principal) [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (88)]**

प्रधान से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसकी ओर से कोई एजेंट वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या प्राप्ति का कारोबार करता है।

**2.1.13 अभिकर्ता (Agent) [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (5)]**

एजेंट का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति या प्राप्ति या दोनों का व्यवसाय किसी और के लिए करता है और इसमें एक फैक्टर (Factor), दलाल, कमीशन एजेंट, अरहतिया, डेल क्रेडेर एजेंट, नीलामकर्ता या कोई अन्य व्यापारिक एजेंट जिसे किसी भी नाम से बुलाया जाता है, शामिल है।

**2.1.14 सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के स्थान (Location of the Supplier of Services) [IGST अधिनियम, 2017 की धारा 2 (15)]**

“सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के स्थान” से आशय निम्न प्रकार से है—

परिस्थिति (Situation)	आपूर्तिकर्ता का स्थान (Location of the Supplier)
अगर आपूर्ति ऐसे कारोबार के स्थान से की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है। Where a supply is made from a place of business for which the registration has been obtained.	जिस स्थान का पंजीकरण करवाया गया है उस स्थान को सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान माना जायेगा। The location of such place of business.

अगर आपूर्ति व्यापार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (इसका अर्थ कहीं भी स्थापित प्रतिष्ठान से है)। Where a supply is made from a place other than the place of business for which registration has been obtained (a fixed establishment else where).	इस तरह के स्थापित प्रतिष्ठान के स्थान को सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान माना जायेगा। The location of such fixed establishment.
अगर आपूर्ति एक से अधिक प्रतिष्ठान से की जाती है, चाहे वह कारोबार का स्थान हो या स्थापित प्रतिष्ठान हो। Where a supply is made from more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment.	जिस प्रतिष्ठान का आपूर्ति से सबसे सीधे सम्बन्ध हो उस स्थान को सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान माना जायेगा। The location of the establishment most directly concerned with the provision of the supply.
उपरोक्त सभी स्थानों के अभाव में। In absence of such places.	आपूर्तिकर्ता के सामान्य निवास स्थान को सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान माना जायेगा। The location of the usual place of residence of the supplier.

**टिप्पणी**—उपरोक्त परिभाषा केवल सेवाओं से संबंधित है। 'वस्तु के आपूर्तिकर्ता के स्थान' के शब्द को अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।

#### 2.1.15 सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का स्थान (Location of the Recipient of Services) [IGST अधिनियम, 2017 की धारा 2(14)]

“सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के स्थान” का अर्थ निम्नलिखित बातों से लगाया जा सकता है—

परिस्थिति (Situation)	सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के स्थान (Location of the Recipient of Services)
अगर आपूर्ति ऐसे कारोबार के स्थान से प्राप्त की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है। Where a supply is received at a place of business for which the registration has been obtained.	जिस स्थान का पंजीकरण करवाया गया है उस स्थान को सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का स्थान माना जायेगा। The location of such place of business.
अगर आपूर्ति व्यापार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से प्राप्त की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (इसका अर्थ कहीं भी स्थापित प्रतिष्ठान से है); Where a supply is receive data place other than the place of business for which registration has been obtained (a fixed establishment else where).	इस तरह के स्थापित प्रतिष्ठान के स्थान को सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का स्थान माना जायेगा। The location of such fixed establishment.
अगर आपूर्ति एक से अधिक प्रतिष्ठान से प्राप्त की जाती है, चाहे वह कारोबार का स्थान हो या स्थापित प्रतिष्ठान हो। Where a supply is received at more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment.	जिस प्रतिष्ठान का आपूर्ति से सबसे सीधे सम्बन्ध हो उस स्थान को सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का स्थान माना जायेगा। The location of the establishment most directly concerned with the receipt of the supply.
उपरोक्त सभी स्थानों के अभाव में। In absence of such places.	आपूर्तिकर्ता के सामान्य निवास स्थान को सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का स्थान माना जायेगा। The location of the usual place of residence of the recipients.

**2.1.16 व्यापार का स्थान (Place of Business) [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (85)]**

व्यापार के स्थान में निम्नलिखित शामिल हैं—

- ऐसा स्थान जहाँ से आमतौर पर व्यापार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भण्डार गृह, गोदाम, या कोई अन्य स्थान भी है, जहाँ कर योग्य व्यक्ति अपनी वस्तु का भण्डारण करता है, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करता है या प्राप्त करता है;
- वह स्थान, जहाँ कर योग्य व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को रखता है;
- वह स्थान, जहाँ एक कर योग्य व्यक्ति किसी एजेंट(whatever name called) के माध्यम से व्यापार में लगा हुआ है।

**2.1.17 व्यक्ति (Person) [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (84)]**

व्यक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं—

- कोई व्यक्ति (Individual);
- एक हिंदू अविभाजित परिवार (A Hindu Undivided Family);
- एक कंपनी (A Company);
- एक फर्म (A Firm);
- सीमित दायित्व साझेदारी (Limited Liability Partnership);
- भारत में या भारत के बाहर व्यक्तियों या समुदाय या संघ (An Association of Persons or a Body of Individuals) चाहे निगमित (Incorporated) हो या नहीं;
- किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या सरकारी कंपनी;
- भारत के बाहर निगमित निकाय (Anybody corporate in incorporated by or under the laws of a country outside India);
- सहकारी समिति (A co-operative society);
- एक स्थानीय प्राधिकरण (A local authority);
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार (Central government or State government);
- सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत परिभाषित सोसाइटी (Society as defined under the Societies Registration Act, 1860);
- ट्रस्ट (Trust); तथा
- प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (Every artificial juridical person), जो उपर्युक्त में से नहीं आता हो।

**2.1.18 उचित शासन (Appropriate Government)**

जीएसटी में उचित शासन द्वारा केन्द्र सरकार को IGST, UTGST एवं CGST तथा राज्य सरकार को SGST भेजा जाता है।

केन्द्रीय सरकार को अन्तर्राज्य आपूर्ति पर जीएसटी के कर उगाही एवं संग्रह का अधिकार है एवं राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार अन्तर्राज्य आपूर्ति पर कर उगाही एवं संग्रह का समवर्ती अधिकार रखती है।

केन्द्र सरकार को केन्द्र शासित प्रदेशों में अन्तर्राज्य आपूर्ति के मामले में कर उगाही एवं संग्रह का अधिकार भी प्राप्त है।

**अभ्यास प्रश्न****दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)**

- निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें (Define the following terms) :
  - एजेंट (Agent)
  - कारोबार (Business)
  - कारोबार कार्यक्षेत्र (Business vertical)
  - पूँजीगत सामान (Capital goods)
- निम्नलिखित शर्तों को परिभाषित करें (Define the following terms) :
  - प्रिंसिपल और एजेंट (Principal and Agent)
  - सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान (Location of the supplier of services)
  - व्यापार का स्थान (Place of business)
  - सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान (Location of there recipient of services)

**लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)**

निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें (Define the following terms) :

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| (i) एजेंट (Agent)   | (ii) व्यापार (Business)              |
| (iii) कारोबार कार्यक्षेत्र (Business Vertical)                                | (iv) पूँजीगत वस्तुएँ (Capital Goods) |
| (v) माल (Goods)   | (vi) प्रतिफल (Consideration)         |
| (vii) सेवाएँ (Services)   | (viii) इनपुट (Inputs)                |
| (ix) इनपुट सेवा (Input Service)   | (x) इनपुट कर (Input Tax)             |
| (xi) प्रिंसिपल और एजेंट (Principal and Agent)                                 |                                      |
| (xii) आवक और जावक आपूर्ति (Inward and Outward Supply)                         |                                      |
| (xiii) सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान (Location of the Supplier of Services) |                                      |
| (xiv) व्यवसाय स्थल (Place of Business)  |                                      |
| (xv) सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान (Location of the Recipient of Services)  |                                      |

**बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)**

- व्यापार में शामिल हैं (Business includes) :
  - कोई व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशा, व्यवसाय, साहस, दांव या कोई अन्य सामानिक गतिविधि, चाहे वह एक आर्थिक लाभ के लिए है या नहीं (any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager or any other similar activity, whether or not it is for a pecuniary benefit)
  - उपर्युक्त उप-खंड (a) के संबंध में या उस के संयोगिक या सहायक कोई गतिविधि या लेनदेन [any activity or transaction in connection with or incidental or ancillary to the above sub-clause(a)]
  - उपर्युक्त (a) की प्रकृति में की गई या कोई भी गतिविधि या लेनदेन कारोबार की परिभाषा में शामिल होगी भले ही उस गतिविधि या लेनदेन की मात्रा, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो (any activity or transaction in the nature of sub-clause (a) whether or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction.)
  - उपर्युक्त सभी (all of the above)
- निम्नलिखित वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्रतिफल के संबंध में निम्न शामिल नहीं हैं (The following are not included in relation to the consideration of supply of goods or services or both) :
  - प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, वस्तु या सेवाओं या दोनों की ' आपूर्ति के संबंध में ' या उनके बदले में या उनकी ' प्रलोभन के संबंध में ' चाहे धन के रूप में या अन्य रूप में किया गया या किया जाने वाला कोई भुगतान (any payment made or to be made whether in money or otherwise, in respect of, in response to or for the inducement of the supply of goods or services or both whether by the recipient or by any other person.)
  - प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, वस्तु या सेवाओं या दोनों की ' आपूर्ति के संबंध में ' या उनके बदले में या उनके ' प्रलोभन में ' किसी कार्य को करने या उससे अलग रहने का मौद्रिक मूल्य। the monetary value of any act or forbearance, in respect of, in response to, or for the inducement of, the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person.)
  - (a) और (b) दोनों [Both (a) and (b)]
  - केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सब्सिडी। (any subsidy given by the Central Government or a State Government.)
- "माल" से आशय धन और प्रतिभूतियों के अलावा हर प्रकार की.....संपत्ति से है। इसमें अभियोज्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके हिस्से के रूप में ऐसी घास और वस्तुएँ शामिल हैं जिनको आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के अनुबंध के तहत देने की सहमति दी है। ('Goods' means every kind of.....property other than money and securities but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply.)
  - चल (Movable)
  - अचल (Immovable)
  - चल या अचल (Movable or immovable)
  - चल और अचल (Movable and immovable)

4. पूँजीगत माल का अर्थ है ऐसा माल, जिसके मूल्य को खाते में ऐसे व्यक्ति द्वारा.....किया जाता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है और उस माल को कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए इस्तेमाल करता है या करेगा। (Capital goods means goods, the value of which is.....in the books of account of the person claiming the input tax credit and which are used or intended to be used in the course or furtherance of business.)
- (a) पूँजीकृत (Capitalised) (b) पूँजीकृत नहीं (Not capitalised)  
 (c) (a) और (b) दोनों [(a) and (b) both] (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
5. इनपुट कर में शामिल नहीं है (Input tax does not includes) :
- (a) वस्तुओं के आयात पर लगाए गए एकीकृत वस्तु और सेवा कर (the integrated goods and services tax charged on import of goods)  
 (b) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (3) और 9 (4) के रिवर्स चार्ज प्रावधानों के तहत देय कर (the tax payable under the reverse charge provisions of section 9(3) & 9(4) of CGST Act)  
 (c) आई जीएसटी अधिनियम की धारा 5 (3) और 5 (4) के रिवर्स चार्ज प्रावधानों के तहत देय कर (the tax payable under the reverse charge provisions of section 5(3) & 5(4) of IGST Act)  
 (d) कम्पोजीशन लेवी के तहत भुगतान कर (the tax paid under the composition levy)
6. एजेंट में शामिल हैं (Agent includes) :
- (a) फ़ैक्टर (factor) (b) दलाल (broker)  
 (c) कमीशन एजेंट (commission agent) (d) इनमें से सभी (all of these)
7. व्यापार के स्थान में शामिल हैं (Place of business includes) :
- (a) ऐसा स्थान जहाँ से आमतौर पर व्यापार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भण्डार गृह, गोदाम, या कोई अन्य स्थान भी है, जहाँ करयोग्य व्यक्ति अपने माल का भण्डारण करता है, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करता है या प्राप्त करता है (a place from where the business is ordinarily carried on, and includes a ware house, a godown or any other place where a taxable person stores his goods, supplies or receives goods or services or both, or)  
 (b) वह स्थान, जहाँ करयोग्य व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को रखता है (a place where a taxable person maintains his books of account or)  
 (c) वह स्थान, जहाँ एक कर योग्य व्यक्ति किसी एजेंट के माध्यम से व्यापार में लगा हुआ है (a place where a taxable person is engaged in business through an agent, by whatever name called)  
 (d) उपरोक्त सभी (All of the above)
8. व्यक्ति में शामिल हैं (Person includes) :
- (a) एक व्यक्ति, एक हिन्दू अविभाजित परिवार, एक कंपनी (an individual, a Hindu Undivided Family, a company)  
 (b) एक फर्म, सीमित दायित्व साझेदारी (a firm, a Limited Liability Partnership)  
 (c) भारत में या भारत के बाहर व्यक्तियों या समुदाय या संघ चाहे निगमित हो या नहीं (an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, in India or outside India.)  
 (d) उपरोक्त सभी (All of the above)
9. रामा लिमिटेड ने सितम्बर महीने के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है (Rama Ltd. has provided following information for the month of September) :
- |  |             |
|--|-------------|
| (a) राज्य के अन्दर जावक आपूर्ति (Intra-State outward supply)                             | ₹ 8,00,000  |
| (b) अंतर-राज्य कर-मुक्त जावक आपूर्ति (Inter-State exempt outward supply)                 | ₹ 5,00,000  |
| (c) निर्यातित वस्तुओं का कारोबार (Turnover of exported goods)                            | ₹ 10,00,000 |
| (d) GTA सेवा का लाभ उठाने के लिए किया गया भुगतान (Payment made for availing GTA service) | ₹ 80,000    |
- रामा लिमिटेड के कुल कारोबार की गणना कीजिये (Calculate the aggregate turnover of Rama Ltd.) :
- (a) ₹ 8,00,000 (b) ₹ 23,80,000  
 (c) ₹ 23,00,000 (d) ₹ 18,00,000

[उत्तर—1. (d), 2. (d), 3. (a), 4. (a), 5. (d), 6. (d), 7. (d), 8. (d), 9. (c).]

**सत्य या असत्य कथन (State True or False)**

1. GST पूर्ववर्ती पर व्यवस्था का उपचार है। (GST is the ammendment of previous tax system.)
2. अगर सालाना टर्नओवर 20 लाख से अधिक है तो GST जरूरी है। (GST is essential if the annual turnover is more than 20 lac.)
3. जहाँ आवर्त 1.5 करोड़ से अधिक होगा, वहाँ करदाता सिर्फ केन्द्र सरकार को GST देगा। (Where the turnover is more than 1.5 crore then the trader will pay GST to central govt. only.)
4. GST को मुख्यतः पाँच प्रकारों में विभक्त किया गया है। (GST is mainly bifurcated in 5 types.)
5. अगर कोई पुराना फर्नीचर या कम्प्यूटर आदि बेचता है तो उस पर GST नहीं लगेगा। (If anybody sales old furniture or computer etc then GST will not imposed.)

[उत्तर—1. सत्य (True), 2. सत्य (True), 3. असत्य (False), 4. सत्य (True), 5. असत्य (False)।]

**रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए (Fill in the Blanks)**

1. सारे पुराने अप्रत्यक्ष करों की जगह अब ..... ने ले ली है। (All old indirect taxes has been replaced by ..... )
2. दूध जैसे जरूरी उत्पाद GST से ..... हैं। (The essential product like Milk are..... from GST.)
3. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, प्राधिकरणों की संप्रभु गतिविधियों पर ..... में छूट है। (The sovereign activities of any authority, central govt. and state govt. is free from ..... )
4. किसी बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया पर कोई GST ..... है। (There is ..... GST on taking loans from any banks.)
5. प्रधान से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसके लिए कोई वस्तु या सेवा की प्राप्ति या आपूर्ति का कारोबार करता है। (Principal is considered as a person for whom any ..... is serving for trading of goods or services.)

[उत्तर—1. GST, 2. कर मुक्त (Tax free), 3. GST, 4. नहीं (No), 5. प्रतिनिधि (Agent).]





जीएसटी के अंतर्गत करयोग्य घटना वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति होगी जो कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए (Furtherance) प्रतिफल के बदले की जाती है। मौजूदा अप्रत्यक्ष कर में अलग-अलग करयोग्य घटना (जैसे कि निर्माण, बिक्री या सेवा के प्रावधान) थी जिसको GST में समाप्त करके एक करयोग्य घटना बना दी गई है जो आपूर्ति के नाम से जानी जाती है।

एक बार जब व्यक्ति GST के अंतर्गत पंजीकृत हो जाता है तब उसके बाद उसके द्वारा किए गए किसी भी गतिविधि अर्थात् बिक्री, सेवा, जॉबवर्क, किराया, लाइसेंस इत्यादि को आपूर्ति की परिभाषा में शामिल किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से कानून के तहत उस गतिविधि को आपूर्ति की परिभाषा से बाहर न किया गया हो।

कारोपण के उद्देश्य के लिए केवल आपूर्ति ही एकल गतिविधि होगी। एक व्यक्ति को कर मुक्त वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर सभी वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाना होगा।

### ■ 3.1 आपूर्ति का अर्थ और दायरा (Meaning and Scope of Supply) (GST अधिनियम, 2017 की धारा 7)

GST अधिनियम की धारा 7 में आपूर्ति का अर्थ और दायरा बताया गया है और यही अर्थ और दायरा IGST/SGST/UTGST अधिनियम के तहत भी बताया गया है।

‘आपूर्ति’ एक बहुत व्यापक शब्द है और धारा 7 (1) ने आपूर्ति की एक समावेशी (inclusive) परिभाषा दी है। समावेशी परिभाषा का अर्थ है कि धारा में लिखे गए लेन-देन (transactions) केवल व्याख्यात्मक (illustrative) हैं और इसके अलावा अन्य वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति भी इसमें आ सकती हैं भले ही वह धारा में सूचीबद्ध नहीं हैं।

आपूर्ति में निम्नलिखित शामिल हैं—

- प्रतिफल के बदले में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवा की आपूर्ति (All forms of supply of goods and services with consideration);
- सेवा का आयात (Import of service);
- अनुसूची I में बताई गई बिना किसी प्रतिफल की गतिविधियाँ (The activities specified in Schedule I without consideration);
- आगे धारा 7 (1A) निर्धारित करती है कि जहाँ कुछ गतिविधियाँ या लेनदेन, उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुरूप, आपूर्ति का गठन करते हैं, उन्हें वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा जैसा कि अनुसूची II में उल्लिखित है। इस धारा का महत्व यह है कि एक लेनदेन को धारा 7 (1) (a) या 7 (1) (b) या 7 (1) (c) के अनुसार आपूर्ति की कसौटी जाँच के अनुकूल होना होगा, उसके बाद ही तय किया जायेगा कि यह वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति अनुसूची II के अनुसार है या नहीं। गतिविधियाँ या लेनदेन पर कर को लगाना जो नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उसके सदस्यों या गठन को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हो।

### व्यवसाय के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए आपूर्ति (Supply in Course of Furtherance of Business)

एक व्यावसायिक लेनदेन को ‘आपूर्ति’ के रूप में माना जायेगा, यदि वह व्यवसाय के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए हो। व्यवसाय के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए की जाने वाली आपूर्ति कर के लिए उत्तरदायी होती है। यदि आपूर्ति व्यवसाय के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं की जाती है, तो वह कर के लिए उत्तरदायी नहीं है, प्रतिफल के बदले में सेवाओं की आयात को छोड़कर, भले ही वह व्यवसाय के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, पर क्योंकि यह विशेष रूप से GST के अंतर्गत आता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि आवक आपूर्ति के मामले में, व्यवसाय के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी। इसका अर्थ है कि भले ही इनपुट अंतिम

आउटपुट का हिस्सा नहीं बनता है, परंतु यह पर्याप्त है कि इनपुट का उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।

**उदाहरण के लिए :** कृत्रिम आभूषण बनाने के लिए धातु को धोने में कुछ रसायनों का उपयोग किया जाता है। अब ITC ऐसे रसायनों पर उपलब्ध होगा, भले ही वे आउटपुट आपूर्ति का हिस्सा नहीं बन रहे हों।

भले ही माल स्टॉक में रखा जाता है और आउटपुट आपूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो भी ITC उपलब्ध होगा क्योंकि माल को व्यवसाय के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किये जाने के इरादे से रखा जाता है।

**(A) प्रतिफल के बदले में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवा की आपूर्ति [धारा 7(1)(a)](All Forms of Supply of Goods and Services with Consideration)**

आपूर्ति में वे सभी आपूर्तियाँ शामिल हैं जो कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए (Furtherance) प्रतिफल के बदले किसी व्यक्ति द्वारा की जाती हैं या किये जाने का करार किया जाता है और इसमें निम्नलिखित वस्तुएँ शामिल हैं—

- बिक्री (Sales),
- अंतरण (Transfer),
- वस्तु-विनिमय (Barter),
- विनिमय (Exchange),
- लाइसेंस (Licence),
- किराया (Rental),
- पट्टा (Lease),
- निपटान (Disposal)।

**उदाहरण—**

1. यदि श्रीराम, श्री श्याम को मुफ्त कोचिंग सेवा प्रदान करते हैं, तो राम द्वारा किये गए इस कार्य को आपूर्ति नहीं मान सकते क्योंकि इसमें राम को कोई भी प्रतिफल नहीं मिल रहा है।
2. मनीष अपने निजी इस्तेमाल के लिए एक मोबाइल फोन खरीदता है और छह महीने बाद इसे मोबाइल डीलर को बेच देता है। मनीष द्वारा मोबाइल डीलर को मोबाइल बेचना GST अधिनियम के तहत आपूर्ति नहीं माना जायेगा क्योंकि मनीष ने यह बिक्री कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए (Furtherance) नहीं की है।

**विभिन्न शब्दों का अर्थ (Meaning of various Terms)—**

<b>बिक्री (Sale)</b>	जब एक व्यक्ति अपने माल का स्वामित्व दूसरे व्यक्ति को प्रतिफल के बदले में दे देता है तो उसको बिक्री कहा जाता है।
<b>अंतरण (Transfer)</b>	जब किसी वस्तु का मालिक अपना अधिकार, जो उसका उस वस्तु पर है, किसी और को देता है ताकि वह उस वस्तु पर वही अधिकार प्राप्त कर सके, जो उसके पास है तो उसको अंतरण कहा जाता है।
<b>वस्तु-विनिमय (Barter)</b>	पैसे के लेनदेन के बिना वस्तुओं का आदान-प्रदान करना वस्तु-विनिमय कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति लैपटॉप के बदले में प्रिंटर लेता है तो उसको वस्तु-विनिमय कहते हैं।
<b>विनिमय (Exchange)</b>	पैसे के लेनदेन के साथ वस्तुओं का आदान-प्रदान करना विनिमय कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिये श्री मोहन ने नया फोन ₹ 10,000 का खरीदा जिसके बदले में उसने ₹ 8,000 और अपना पुराना मोबाइल दिया। इस तरह के लेनदेन को विनिमय कहा जाता है जहाँ वस्तुओं के लेनदेन के साथ पैसे भी जुड़े हों।
<b>लाइसेंस (Licence)</b>	कुछ विशेषाधिकारों का उपयोग करने के लिए अधिकार-युक्त अधिकारी से लाइसेंस लिया जाता है। बिना लाइसेंस के विशेषाधिकारों का उपयोग करना अवैध माना जाता है।
<b>किराया (Rental)</b>	किसी अन्य संपत्ति के उपयोग के लिए समयानुसार भुगतान करना। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की कार, संपत्ति उपयोग करता है तब वह उसको किराया देता है।
<b>पट्टा (Lease)</b>	एक संविदात्मक समझौता (Contractual agreement) के द्वारा जब एक पार्टी विभिन्न शर्तों के अधीन किसी अन्य पार्टी को अपनी संपत्ति मूल्य के बदले में एक सीमित अवधि के लिए देती है तो उसको पट्टा कहा जाता है। लेकिन इस अवस्था में स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं होता है।
<b>निपटान (Disposal)</b>	निपटान को एक छुटकारा पाने या देने से परिभाषित किया जाता है, खासतौर से इसे फेंककर। उदाहरण के लिए व्यापार की संपत्ति का निपटान।

(B) किसी व्यक्ति द्वारा उसके सदस्यों या गठन के लिए गतिविधियाँ या लेनदेन [धारा 7(1) (aa)] [Activities or transactions by a person other than individual to its members or constituents or vice versa Section 7(1) (aa)]

यह खण्ड नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, अपने सदस्यों के साथ एसोसिएशन, क्लब, आदि के बीच लेनदेन को शामिल करता है। यह खण्ड पारस्परिकता की अवधारणा को खारिज करता है जो कहता है कि एसोसिएशन और उसके सदस्यों के बीच बिक्री या सेवा का प्रावधान नहीं हो सकता क्योंकि एसोसिएशन और सदस्य एक ही व्यक्ति है।

**उदाहरण :**

- लायंस क्लब अपने सदस्यों की रुचि हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जैसे—पर्यटन, पिकनिक, आदि। इस उद्देश्य हेतु वह अपने सदस्यों से राशि एकत्र करता है। अब यह सेवा जीएसटी के तहत कर-योग्य है।
- भारतीय निवेशक संघ शेयर बाजार में निवेश करने हेतु अपने सदस्यों के लिए जागरूकता सह-शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। प्रति प्रतिभागी ₹ 5,000 शुल्क लिया गया। यह लेनदेन जीएसटी के तहत 'आपूर्ति' माना जायेगा और कर के लिए उत्तरदायी है।
- अपने सदस्यों को बैज, टाई और कोट बेचने वाला रोटरी क्लब कर के लिए उत्तरदायी है।

(C) सेवा का आयात [(धारा 7(1)(b)) (Import of Service)]

प्रतिफल के बदले में सेवाओं का आयात आपूर्ति कहलायेगा चाहे उसे कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए (Furtherance) किया गया हो या नहीं।

इस तरह की सेवाओं पर GST विपरीत प्रभार (रिवर्स चार्ज) के अंतर्गत लगेगा यानि प्राप्तकर्ता GST देने के लिए उत्तरदायी होगा।

**उदाहरण :** मान लीजिए श्रीमान ए (Mr. A) ने अपने कारोबार के उद्देश्य के लिए \$ 2000 के प्रतिफल के बदले संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ आर्किटेक्ट सेवा आयात की। इस मामले में सेवा के आयात को आपूर्ति की परिभाषा में शामिल किया जाएगा क्योंकि यह आयात प्रतिफल के बदले किया जा रहा है और श्री ए रिवर्स चार्ज (Reverse Charge Mechanism—RCM) के तहत GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

**नोट :** यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल के बदले में सेवाओं का आयात कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए (Furtherance) किया जाये। भले ही सेवाओं का आयात निजी उद्देश्य के लिए किया गया हो, तो भी यह आपूर्ति की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

**उदाहरण :** एक व्यक्ति द्वारा घर के इंटीरियर के लिए आर्किटेक्ट की सेवाओं को आयात करना जीएसटी को आकर्षित कर सकता है, भले ही यह एक व्यक्तिगत व्यय है और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं।

(D) अनुसूची I में बताई गई बिना किसी प्रतिफल की गतिविधियाँ [धारा 7(1)(c)] (The Activities Specified in Schedule I without Consideration)

अनुसूची I में कुछ ऐसी गतिविधियाँ निर्दिष्ट हैं जो बिना किसी प्रतिफल के करयोग्य होती हैं जोकि निम्नलिखित हैं—

क्र.सं.	शीर्षक	प्रावधान	महत्वपूर्ण बिन्दु उदाहरण सहित
1.	व्यापारिक संपत्तियों का स्थायी हस्तांतरण या निपटान (Permanent transfer or disposal of business assets)	ऐसी व्यावसायिक संपत्तियों का स्थायी हस्तांतरण या निपटान जहाँ संपत्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है।	यह ध्यान देने योग्य है कि यह प्रावधान तभी लागू होगा जब ऐसी संपत्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया हो। <b>उदाहरण—</b> मान लीजिए श्री अमित ने व्यावसायिक उपयोग के लिए लैपटॉप खरीदा है जिस पर उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। खरीदने के दो साल के बाद वह इस लैपटॉप को अपने बेटे को उसके निजी उपयोग के लिए देता है। इस तरह के मामले में वह GST देने के लिए उत्तरदायी होगा।

2.	<p><b>संबंधित या भिन्न व्यक्ति के बीच माल या सेवा का लेनदेन (Goods or services between related or distinct person)</b></p>	<p>कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए (Furtherance) संबंधित व्यक्तियों या भिन्न व्यक्तियों के बीच माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति किया जाना। यदि किसी कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दिया गया उपहार वित्तीय वर्ष में ₹ 50,000 से अधिक नहीं है तो इसे वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। यह ध्यान देना जरूरी है कि कर्मचारी संबंधित व्यक्ति की परिभाषा में शामिल हैं।</p>	<p>अंतर-राज्य स्व-आपूर्ति (Inter-State Self-supplies) जैसे—स्टॉक ट्रांसफर, शाखा (branch) हस्तांतरण या consignment बिक्री GST के तहत कर योग्य होगी, भले ही ऐसे लेन-देन में प्रतिफल शामिल न हो।</p> <p><b>उदाहरण—</b>एबीसी इंडस्ट्रीज (ABC Industries) अपने हरियाणा में स्थित कारखाने से बिना प्रतिफल लिए कुछ सामान अपने पंजाब वाले शोरूम में स्थानांतरित करता है। इसे माल की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा, भले ही इसे बिना किसी प्रतिफल के स्थानांतरित किया गया हो।</p>
<p><b>संबंधित व्यक्ति का अर्थ—</b>व्यक्ति 'संबंधित व्यक्ति' होगा अगर—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के व्यवसाय के अधिकारी या निदेशक होते हैं;</li> <li>(ii) ऐसे व्यक्ति कानूनी रूप से व्यवसाय में भागीदार हैं;</li> <li>(iii) ऐसे व्यक्ति नियोक्ता और कर्मचारी हैं;</li> <li>(iv) कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 25% या उससे अधिक बकाया मतदान स्टॉक (outstanding voting stock) या शेयर या दोनों को अपने स्वामित्व, नियंत्रण या अधीन (hold) रखता है;</li> <li>(v) उनमें से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं;</li> <li>(vi) उनमें से दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं;</li> <li>(vii) एक साथ वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं; या</li> <li>(viii) वे एक ही परिवार के सदस्य हैं।</li> </ul> <p><b>भिन्न व्यक्ति का अर्थ—</b>एक ऐसा व्यक्ति जिसने GST के अंतर्गत एक राज्य या संघीय क्षेत्र (Union territory) या एक से अधिक राज्य या संघीय क्षेत्र में एक से अधिक पंजीकरण करवाए हैं या वह एक से अधिक पंजीकरण करवाने के लिए बाध्य है। तब ऐसा व्यक्ति अपने प्रत्येक पंजीकरण के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों (Provisions) के अंतर्गत भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के रूप में माना जायेगा।</p> <p><b>उदाहरण—</b>नीरज एक पंजीकृत व्यापारी है जिसका प्रधान कार्यालय हरियाणा में स्थित है। उसकी पंजाब राज्य में एक शाखा है जिसका पंजीकरण उन्होंने पंजाब राज्य से प्राप्त किया हुआ है। हरियाणा और पंजाब में पंजीकरण के संबंध में नीरज को अलग-अलग व्यक्ति माना जाएगा।</p> <p><b>परिवार का अर्थ—</b>(i) व्यक्ति के पति/पत्नी (spouse) और बच्चे तथा (ii) व्यक्ति के माता-पिता, दादा-दादी, भाई और बहन अगर वे पूरी तरह से या मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर निर्भर हैं।</p>			
3.	<p><b>अपने एजेंट को प्रधान द्वारा माल की आपूर्ति एवं इसके विपरीत करना (Supply of goods by Principal to agent or vice versa)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) अपने एजेंट को प्रधान द्वारा माल की आपूर्ति, जहाँ एजेंट प्रधान की ओर से ऐसे सामान की आपूर्ति करता है; या</li> <li>(b) एजेंट द्वारा प्रधान को माल की आपूर्ति, जहाँ एजेंट प्रधान की तरफ से ऐसे सामान को प्राप्त करता है।</li> </ul>	<p><b>उदाहरण—</b></p> <p>1. हरियाणा में स्थित एक्सवाईजेड (XYZ) मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड ने पंजाब में मोती लाल को माल बेचने के लिए अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया। एक्सवाईजेड मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड ने हरियाणा से माल को पंजाब में अपने एजेंट के पास भेजा</p>

	<p>4. संबंधित व्यक्ति से सेवा का आयात (Import of Service from related person)</p>	<p>एक करयोग्य व्यक्ति द्वारा</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ किसी संबंधित व्यक्ति से या</li> <li>✓ भारत के बाहर अपने किसी भी संस्थान से,</li> </ul> <p>कारोबार या कारोबार को आगे बढ़ाने में सेवाओं का आयात आपूर्ति माना जायेगा। ऐसे मामले में सेवा के आयातकर्ता (यानी प्राप्तकर्ता) रिवर्स चार्ज [Reverse Charge Mechanism (RCM), के तहत लागू दर के अनुसार GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>नोट</b>—आमतौर पर बिना प्रतिफल के सेवाओं का आयात आपूर्ति की परिभाषा में नहीं आया। लेकिन अगर किसी संबंधित व्यक्ति से या भारत के बाहर अपने ही किसी अन्य प्रतिष्ठान से कारोबार या कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सेवाओं को आयात किया जाता है तो यह आपूर्ति के दायरे में आ जाएगा भले ही इसमें कोई भी प्रतिफल न हो और GST का भुगतान करना होगा।</p> </div>	<p>ताकि एजेंट उसको आगे बेच सके। इस लेन देन (transaction) को माल की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा भले ही एजेंट ने अभी तक कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया है।</p> <p>2. हरियाणा में स्थित एक्सवार्डजेड (XYZ) मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड ने पंजाब में मोती लाल को हर महीने पंजाब के बाजार से माल खरीदने के लिए अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया। मोती लाल माल खरीदकर हर महीने अपने प्रधान को भेज देता है। ऐसे मामले में, एजेंट द्वारा प्रधान को बिना किसी प्रतिफल के भेजा गया सामान माल की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।</p> <p><b>उदाहरण—</b></p> <p>1. मनोज ने अमेरिका में स्थित अपने भाई से, जो कि एक आर्किटेक्ट है, बिना किसी प्रतिफल के दिल्ली में अपने घर को बनवाने के लिए सेवा प्राप्त की। यह सेवा आपूर्ति के रूप में करयोग्य नहीं होगी क्योंकि यह कारोबार या कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>2. यदि एक पंजीकृत व्यक्ति श्रीमान ए (भारत) किसी संबंधित व्यक्ति श्री बी (USA) से कारोबार या कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए परामर्श सेवा लेता है तो इसे इस खंड के तहत सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा और GST के तहत करयोग्य होगा।</p>
--	---	---	---

प्रश्न 1. श्रीराम एक पंजीकृत व्यक्ति वाशिंग मशीन के डीलर हैं। उन्होंने कुछ वाशिंग मशीन खरीदी जिन पर उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले लिया। श्रीराम अपने निवास पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यापार में से अपने स्टॉक से स्थायी रूप से एक वाशिंग मशीन स्थानांतरित करते हैं। तय करें कि क्या इस लेनदेन को आपूर्ति के रूप में जाना जाएगा या नहीं (Mr. Ram a registered person is a dealer of washing machine. He purchased some washing machines on which Input Tax Credit has been availed. Mr. Ram transfer permanently one washing machine from his stock in trade, for personal use at his residence. Decide whether this transaction will be termed as supply or not.)

उत्तर— आपूर्ति में वे सभी आपूर्तियाँ शामिल हैं जो कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए (Furtherance) प्रतिफल के बदले किसी व्यक्ति द्वारा की जाती हैं या किये जाने का करार किया जाता है और इसमें बिक्री, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा और निपटान शामिल हैं।

अनुसूची 1 के अनुसार, व्यावसायिक संपत्तियों का स्थायी हस्तांतरण या निपटान (disposal) को आपूर्ति माना जायेगा जहाँ ऐसी संपत्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है भले ही माल की आपूर्ति बिना किसी प्रतिफल के हुई हो।

उपरोक्त प्रावधान के संदर्भ यह कहा जा सकता है कि राम द्वारा वाशिंग मशीन के हस्तांतरण को जिस पर उन्होंने पहले से ही इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है को आपूर्ति माना जायेगा और श्रीराम इस पर GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(D) अनुसूची II में बताई गई गतिविधियों या लेनदेनों को माल की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा, यदि वे धारा 7 (1) (a), (b) या (c) के प्रावधानों के अनुरूप आपूर्ति का गठन करते हैं। [The Activities or Transactions specified in schedule II to be treated as supply of Goods or Supply of services, if they constitute a supply in Accordance with the provisions of section 7 (1) (a), (b) or (c)]. (Schedule II)

कराधान के पुराने शासन में इतने सारे भ्रम थे कि कोई गतिविधि बिक्री है या सेवा है जैसे सॉफ्टवेयर की बिक्री, रेस्तरां की गतिविधि। GST अधिनियम की अनुसूची II में ऐसी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से जीएसटी के तहत सामान की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है ताकि इस तरह के भ्रम से बच सके।

इसके अलावा अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुसूची II यह परिभाषित नहीं करेगी कि कोई लेनदेन एक 'आपूर्ति' है या नहीं। धारा 7 के अनुसार यदि कोई विशेष लेनदेन एक आपूर्ति है, तो केवल अनुसूची II निर्धारित करेगी कि यह आपूर्ति वस्तुओं की है या सेवाओं की। यदि कोई लेनदेन धारा 7 एवं अनुसूची I के अनुसार आपूर्ति नहीं है, तो अनुसूची II को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

GST अधिनियम में, सामानों की आपूर्ति और सेवाओं की आपूर्ति के लिए कुछ प्रावधान अलग-अलग दिए गए हैं। उदाहरण के लिए—

(i) वस्तु की आपूर्ति का समय (time of supply of goods) और सेवाओं की आपूर्ति का समय (time of supply of services) के प्रावधान अलग-अलग हैं।

(ii) वस्तु की आपूर्ति और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लागू कर की दर अलग-अलग हो सकती है।

उपर्युक्त कारणों से, वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं की आपूर्ति में अंतर किया गया है।

लेन-देन (Transaction)	गतिविधि के प्रकार (Types of Activity)	आपूर्ति की प्रकृति (Nature of Supply)
1. स्वामित्व और बिना स्वामित्व के सम्पत्तियों का स्थानांतरण (Transfer of goods with or without title)	(a) माल में स्वामित्व (title) का कोई भी हस्तांतरण।  उदाहरण— (i) श्री गुप्ता लैपटॉप में डील करते हैं। वह एक लैपटॉप को अपने ग्राहक को आपस में तय किये गए प्रतिफल के बदले	इस गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।

	<p>में स्थानांतरित करते हैं। लैपटॉप में स्वामित्व के हस्तांतरण को माल की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।</p> <p>(ii) जब सामान चोरी हो जाता है तब माल का स्वामित्व बीमा कंपनी का माना जाता है। इसे भी आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। इस गतिविधि को माल की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा</p> <p>(b) किसी भी वस्तुओं के स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना वस्तुओं के अधिकार में या सामान के अविभाजित शेयर (undivided share) को हस्तांतरण करना। <b>उदाहरण—</b> मनोज अपनी कॉफी मशीन में स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना 1 महीने की अवधि के लिए रजत के साथ अपनी कॉफी मशीन साझा करने पर सहमत हुए। इसे सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।</p> <p>(c) माल के स्वामित्व का भविष्य में पूर्ण प्रतिफल के भुगतान के बाद हस्तांतरण करने का अनुबंध। <b>उदाहरण—</b> श्री राजेश ने सितंबर, 2017 में एक खरीदार को मोटर बाइक का अधिकार किराया खरीद योजना (Hire purchase agreement) के तहत दिया। खरीदार को 36 किस्तों में मोटर कार का भुगतान करना है जिसमें से पहली किस्त अग्रिम दी जाएगी। इसके अलावा, मोटर बाइक का स्वामित्व खरीदार को केवल अंतिम किस्त के भुगतान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस लेनदेन को माल की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।</p>	<p>इस गतिविधि को माल की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।</p> <p>इस गतिविधियों को माल की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।</p>
<p>2. भूमि और भवन को किराये या पट्टे इत्यादि पर देना (Renting, leasing etc. of Land and Building)</p>	<p>(a) भूमि पर अधिकार (occupy) करने के लिए कोई पट्टा, किरायेदारी, सुखाधिकार (easement), लाइसेंस। हालांकि खाली भूमि (vacant land) का किराया जो कृषि से संबंधित है चाहे उस पर कोई भी संरचना (structure) भूमि के उपयोग के लिए बना हो या न बना हो, कर से मुक्त है। <b>उदाहरण—</b> अपोलो सर्कस ने एक महीने की अवधि के लिए प्रतिफल के बदले में नगर पालिका की भूमि पर सर्कस चलाने के लिए लाइसेंस लिया। भूमि का यह लाइसेंस सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।</p> <p>(b) कारोबार या वाणिज्य (business or commerce) के लिए या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कोई भवन वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय कॉम्प्लेक्स के रूप में पट्टे पर या किराये पर देना। हालांकि निवास के उपयोग (uses of residence) के लिए आवासीय आवास (residential dwelling) किराए</p>	<p>इस गतिविधि को माल की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।</p> <p>इस गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।</p>

	<p>पर देना पूरी तरह से कर मुक्त है (टैक्स अधिसूचना संख्या 12 /2017. दिनांकित 28-06-2017).</p> <p><b>उदाहरण—</b></p> <p>श्री राम ने श्री श्याम को कारोबार करने के लिए 5 साल के लिए अपना वाणिज्यिक भवन किराये पर दिया जो 5 साल के बाद फिर से नवीनीकरण(renew) हो सकता है। इमारत के इस पट्टे को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।</p>	
3. प्रशोधन या प्रक्रिया (Treatment or Process)	<p>कोई भी प्रशोधन या प्रक्रिया जो किसी अन्य व्यक्ति के सामान पर की जाती है <i>i.e.</i> जॉब वर्क।</p> <p><b>जॉब वर्क का अर्थ [धारा 2 (68)]</b></p> <p>जॉब वर्क का अर्थ किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति से संबंधित सामानों पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी प्रशोधन (treatment) या प्रक्रिया (process) से है।</p> <p><b>उदाहरण—</b></p> <p>राम कपड़ों पर प्रिंटिंग का काम करवाने के लिए गगन को कपड़े भेजता है। दिए गए मामले में, गगन द्वारा प्रिंटिंग की गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है की गगन ने प्रिंटिंग के लिए राम द्वारा प्रदान कि जाने वाली प्रिंटिंग सामग्री का उपयोग किया है या अपनी प्रिंटिंग सामग्री का उपयोग किया है।</p>	इस गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।
4. कारोबार की संपत्तियों का स्थानांतरण (Transfer of Business Assets)	<p>(a) जहाँ किसी व्यवसाय का कोई भी माल जो उसकी संपत्ति का हिस्सा है, व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसके निर्देशों के तहत, अंतरण (transferred) या निपटान (disposal) कर दिया जाता है जिससे अब वह उन संपत्तियों का भाग नहीं रहता है।</p> <p><b>उदाहरण—</b></p> <p>श्री गुप्ता लैपटॉप के डीलर हैं। वह एक क्षतिग्रस्त लैपटॉप का निपटान (disposal) केवल ₹ 2,000 में कर रहे हैं जो कि बहुत कम कीमत है। वह पहले से ही इस लैपटॉप पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हैं। इस कारोबारी संपत्तियों के हस्तांतरण को माल की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।</p> <p>(b) जहाँ व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसके निर्देशों के तहत व्यवसाय के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान प्रतिफल या बिना प्रतिफल के निजी उपयोग में लाये जाते हैं या व्यापारिक उद्देश्य के अलावा किसी भी और उद्देश्य के लिए प्रयोग किये जाते हैं।</p> <p><b>उदाहरण—</b></p> <p>रेशमा कॉफी मशीन की डीलर है। रेशमा ने अपने व्यापारिक स्टॉक से एक कॉफी मशीन ली और इसे प्रिया को ₹ 500 प्रति माह के हिसाब से किराये पर दिया। इस लेनदेन को सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।</p>	<p>इस गतिविधि को माल की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।</p> <p>इस गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।</p>



	<p>(c) अगर एक व्यक्ति करदाता नहीं रहता, तो जितना भी माल उसके करदाता व्यक्ति नहीं रहने से पहले व्यवसाय का था तो उसे यह मान (deemed) लिया जायेगा कि उसने यह माल कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए (Furtherance) बेच दिया है।</p> <p>हालांकि, निम्नलिखित दो मामलों में ऐसे हस्तांतरण को माल की आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा यदि:</p> <p>(i) व्यवसाय को किसी अन्य व्यक्ति को एक चालू अवस्था (going concern) के रूप में स्थानांतरित किया जाता है; या</p> <p>(ii) व्यवसाय एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि (personal representative) के द्वारा किया जाता है जो कि उस व्यवसाय के लिए एक करयोग्य व्यक्ति कहलायेगा।</p> <p>दूसरे शब्दों में, जब व्यवसाय चालू अवस्था में किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तिगत प्रतिनिधि को हस्तांतरित किया जाता है, तो इसे माल की आपूर्ति नहीं माना जायेगा।</p> <p><b>उदाहरण—</b></p> <p>कनाडा के प्रवासन (migration) के कारण श्री अंकित ने अपना कारोबार बंद कर दिया है। लेकिन भारत में उनके द्वारा किए गए व्यवसाय की संपत्तियों का हिस्सा जैसे स्टॉक और पूंजीगत वस्तुओं अब भी रह गई है जिसको अभी तक बेचा नहीं गया है। इस मामले में यह माना (deemed) जाता है कि करयोग्य व्यक्ति नहीं रहने से पहले व्यवसाय का कोई भी माल जो उसकी संपत्ति का हिस्सा है उसको कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए (Furtherance) बेच दिया गया है।</p>	
<p>5. विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आपूर्ति (Supply of different Types of Services)</p>	<p>(a) अचल संपत्ति का किराया</p> <p><b>उदाहरण—</b></p> <p>श्री राम ने 1 वर्ष की अवधि के लिए अपनी खाली भूमि का अधिकार श्री श्याम जोकि एक कार डीलर हैं को पार्किंग के उद्देश्य के लिए किराए पर दिया है। खाली भूमि के किराए को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।</p> <p>(b) कॉम्प्लेक्स, भवन, सिविल संरचना (civil structure) का निर्माण सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, लेकिन जहाँ पूरा प्रतिफल पूर्णता प्रमाण-पत्र (completion certificate) प्राप्त होने या कब्जा देने के बाद, दोनों में जो पहले हो, प्राप्त हुआ हो तब उसे आपूर्ति नहीं माना जाएगा।</p> <p><b>उदाहरण—</b></p> <p>सोहन एक बिल्डर है जिसने फरीदाबाद, हरियाणा में 250 फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू किया, जिसका उद्देश्य फ्लैटों को निर्माण कार्य की अवधि के दौरान किस्तों में बिक्री करना था। फ्लैटों की यह आपूर्ति सेवा की आपूर्ति के रूप में मानी जाएगी।</p>	<p>इस गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।</p> <p>इस गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।</p>

	<p>(c) किसी भी बौद्धिक संपदा (intellectual property right) के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थायी रूप से हस्तांतरण करना। [कृपया ध्यान दें यदि बौद्धिक संपदा के स्वामित्व का स्थायी हस्तांतरण किया जाता है तब उसको माल की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा न सेवाओं की आपूर्ति के रूप में।]</p> <p><b>उदाहरण—</b> श्री एक्स जो कि किताबों के प्रकाशक हैं, GST पर पुस्तक प्रकाशित करने के लिए कॉपीराइट के मालिक हैं। उन्होंने GST पुस्तक के लेखक के साथ चर्चा करने के बाद प्रतिफल के बदले इस कॉपीराइट को श्री वार्ड को अस्थायी रूप से हस्तांतरित कर दिया। इस हस्तांतरण को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।</p> <p><b>बौद्धिक सम्पदा</b> GST अधिनियम में यह परिभाषित नहीं है। हालांकि, सामान्यतया बौद्धिक संपदा में पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट और अन्य अमूर्त संपत्ति (intangible property) के समान अधिकार शामिल हैं।</p>	<p>इस गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।</p>
	<p>(d) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, वृद्धि(enhancement), कार्यान्वयन (implementation)</p> <p><b>उदाहरण—</b> आईटी सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग या विकास को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।</p>	<p>इस गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।</p>
	<p>(e) एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब निम्नलिखित किसी भी गतिविधियों को किया जाता है तब उसको सेवाओं की आपूर्ति माना जाता है—</p> <p>(i) किसी कार्य से विरत(refrain) मना/वचना से सहमत होना; या</p> <p>(ii) किसी कार्य को सहन(tolerate) करने या स्थिर रखने से सहमत होना; या</p> <p>(iii) किसी कार्य को करने के लिए सहमत होना।</p> <p><b>उदाहरण—</b> 1. श्रीमान राम ने श्रीमान श्याम से अनुरोध किया कि वे विशेष क्षेत्र में 5 साल तक किसी विशेष विषय को न पढ़ाये। श्रीमान राम इसके बदले में श्रीमान श्याम को ₹ 5,00,000 देंगे। इस लेनदेन में श्याम GST का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे क्योंकि इसको श्रीमान श्याम द्वारा सेवाओं की आपूर्ति माना जायेगा।</p>	<p>इस गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।</p>

	<p>2. कंपनी के कर्मचारी श्री राम ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने उनसे कहा कि वह 5 साल की अवधि के लिए उसकी कंपनी के किसी प्रतिस्पर्धी कंपनी में नौकरी नहीं करेंगे और इस बात के लिए उनको ₹ 8,00,000 मिलेंगे। श्रीराम प्रतिफल के बदले में कंपनी के नियमों और शर्तों से सहमत हो गए। इस लेनदेन में श्रीराम GST का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे क्योंकि इसको श्रीराम द्वारा सेवाओं की आपूर्ति माना जायेगा।</p> <p>(f) नकद, स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी उद्देश्य (किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए या नहीं) के लिए किसी भी सामान के उपयोग करने के अधिकार को हस्तांतरण करना।</p> <p><b>उदाहरण—</b></p> <p>श्रीमान राम ने श्री श्याम को उसके विवाह के अवसर पर 10 दिनों की अवधि के लिए किराये पर कॉफी मशीन को उपयोग करने का अधिकार दिया। कॉफी मशीन को किराये पर देने की गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।</p>	
<p>6. विशिष्ट संयुक्त आपूर्ति (Specified composite Supply)</p>	<p>निम्नलिखित संयुक्त आपूर्ति को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा :</p> <p>(a) कार्य संविदा (work contract); तथा</p> <p>(b) लोगों के उपभोग के लिए खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों आदि की माल एवं सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति (मानव उपभोग के लिए मादक शराब के अलावा)</p> <p><b>कार्य संविदा (work contract) का अर्थ</b></p> <p>कोई भवन बनाने या किसी अचल संपत्ति के कंस्ट्रक्शन, फेब्रिकेशन, इंरेक्शन, स्थापना, फिटिंग, सुधार, संशोधन, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण, या परिवर्तन करने का अनुबंध करना कार्य संविदा कहलाता है।</p> <p>इस तरह के अनुबंध के निष्पादन (execution) में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे सामान के रूप में या कुछ अन्य रूप में) शामिल होता है।</p> <p><b>मुख्य बातें—</b></p> <p>(i) एक कार्य संविदा में सामान और सेवाओं दोनों का संयुक्त मिश्रण होता है जैसे—एक नई इमारत का निर्माण या संयंत्र और मशीनरी (plant and machinery) की स्थापना करना। इस पूरे कार्य संविदा को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।</p> <p>(ii) इस प्रावधान के तहत रेस्तरां / खानपान की सुविधा (catering facility) को सेवा के रूप में माना जायेगा।</p>	<p>इस गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा</p>

प्रश्न 2. श्री आर एक पंजीकृत डीलर है जिसने श्री एस को किराया खरीद (hire purchase) पर ₹ 1,00,000 की कीमत पर कार बेच दी जिसमें से ₹ 10,000 का अग्रिम भुगतान होगा और शेष राशि का भुगतान 9 साल की समान किस्तों में होगा (Mr. R, registered dealer, sold car to Mr. S on hire purchase at a price of ₹ 1,00,000 against the payment of ₹ 10,000 as down payment and the balance amount in 9 yearly equal instalments with interest.)

लेकिन कार के मालिकाना हक का हस्तान्तरण श्री एस को भविष्य में सारी 9 किस्तों के भुगतान के बाद होगा। यह निर्णय लें कि इस लेनदेन को 'आपूर्ति की परिभाषा' में शामिल किया जायेगा या नहीं (However, title of the car shall be transfer to Mr. S on the future date upon making full and final payment in 9 instalments. Decide whether this transaction is covered under 'the term of supply' or not.)

उत्तर— धारा 7 (1) (a) के अनुसार, आपूर्ति में 'हस्तांतरण' शामिल होता है, अतः यह लेनदेन 'आपूर्ति' के लिए योग्य है। GST अधिनियम की अनुसूची II के अनुसार माल के स्वामित्व का भविष्य में पूर्ण प्रतिफल के भुगतान के बाद हस्तांतरण करने के अनुबंध को माल की आपूर्ति माना जायेगा।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार श्री आर द्वारा बेची गई कार आपूर्ति की परिभाषा में शामिल की जाएगी और GST का भुगतान करना होगा।

प्रश्न 3. जेड लिमिटेड ने एक मशीनरी ₹ 1,18,000 (जिसमें GST ₹ 18,000 शामिल है) की खरीदी। मशीनरी की लाइफ 5 साल और स्कैप मूल्य ₹ 20,000 है। लेकिन प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण, कंपनी ने मशीन को ₹ 2,000 में निपटान कर दिया। तय करें कि मशीन का निपटान GST के तहत करयोग्य है या नहीं (Z Ltd. purchased machinery of ₹ 1,18,000 (inclusive of GST of ₹ 18,000). The life and scrap value of machinery is 5 years and ₹ 20,000 respectively. However, due to change in technology, the company has disposed of the machinery in ₹ 2,000. Decide whether disposal of assets is taxable under GST.)

उत्तर— आपूर्ति में वे सभी आपूर्तियाँ शामिल हैं जो कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए (Furtherance) प्रतिफल के बदले किसी व्यक्ति द्वारा की जाती हैं या किये जाने का करार किया जाता है और इसमें बिक्री, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा और निपटान शामिल है। (धारा 7 केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर)।

CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची I के अनुसार, व्यावसायिक संपत्तियों का स्थायी हस्तांतरण या निपटान जहाँ ऐसी संपत्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है, को आपूर्ति माना जायेगा, भले ही ऐसे लेनदेन बिना प्रतिफल के किये गए हों।

CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची II यह भी बताती है कि व्यावसायिक संपत्तियों का हस्तांतरण या व्यावसायिक संपत्तियों का निपटान, चाहे प्रतिफल के बदले हो या न हो उसे माल की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।

उपरोक्त प्रावधान के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि कंपनी द्वारा मशीन का निपटान करने को आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और कंपनी GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

प्रश्न 4. यह तय करें कि CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियाँ सेवाओं की आपूर्ति मानी जायेंगी या माल की आपूर्ति (Determine whether the following activities are supply of services or supply of goods as per Schedule II of CGST Act, 2017 ?)

(i) व्यवसाय के एयर कंडीशनर का व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए अंतरण करना (Change of use of Air conditioner from business to personal use.)

(ii) आवासीय उद्देश्य के लिए आवासीय संपत्ति के उपयोग के अधिकार का स्थानांतरण (Transfer of the right to use of immovable property for residential purpose.)

(iii) जहाँ किसी भी व्यक्ति ने अपने व्यापार को किसी अन्य व्यक्ति को चालू अवस्था (going concern) में स्थानांतरित कर दिया हो (Where any person transferred its business as a going concern to another person.)

(iv) लोगों के उपभोग के लिए खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों आदि की माल एवं सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति (मानव उपभोग के लिए मादक शराब के अलावा)(Supply of food or any other article for human consumption or any drink (except alcoholic drink.)

(v) किसी भी बौद्धिक संपदा (intellectual property) के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थायी रूप से हस्तांतरण करना (Temporary transfer or permitting the use or enjoyment of any intellectual property right.)

उत्तर—

क्रमांक	गतिविधि	टिप्पणियाँ
(i)	व्यवसाय के एयर कंडीशनर का व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए अंतरण करना।	अनुसूची II निर्दिष्ट करती है कि जहाँ व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसके निर्देशों के तहत व्यवसाय के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान किसी भी निजी उपयोग या व्यापार के उद्देश्य के अलावा किसी भी और उद्देश्य के लिए प्रयोग किये जाते हैं, चाहे इसमें प्रतिफल हो या नहीं, तो ऐसे सामानों के उपयोग को सेवाओं की आपूर्ति माना जाता है।
(ii)	आवासीय उद्देश्य के लिए आवासीय संपत्ति के उपयोग के अधिकार का स्थानांतरण।	अनुसूची II निर्दिष्ट करती है कि कारोबार या वाणिज्य (Business or commerce) के लिए या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कोई भवन वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय कॉम्प्लेक्स के रूप में पट्टे पर या किराये पर देना सेवाओं की आपूर्ति माना जायेगा। हालांकि निवास के उपयोग (uses of residence) के लिए आवासीय आवास (residential dwellin) किराए पर देना पूरी तरह से कर मुक्त है (टैक्स अधिसूचना संख्या 12/2017- दिनांकित 28.06.2017). इसलिए, आवासीय उद्देश्य के लिए अचल संपत्ति के किराए पर कोई GST लागू नहीं होगा।
(iii)	जहाँ किसी भी व्यक्ति ने अपने व्यापार को किसी अन्य व्यक्ति को चालू अवस्था (going concern) में स्थानांतरित कर दिया हो।	अनुसूची II निर्दिष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय बंद कर रहा है तो उसके स्टॉक में शेष सामान उसके द्वारा आपूर्ति किए जाने के लिए समझा जाएगा और उसे माल की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा। हालांकि, जहाँ किसी भी व्यक्ति ने अपने व्यापार को किसी अन्य व्यक्ति के चालू अवस्था (going concern) में स्थानांतरित किया है, तो यह माल की आपूर्ति नहीं मानी जायेगी और इस पर GST नहीं लगेगा।
(iv)	लोगों के उपभोग के लिए खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों आदि की माल एवं सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति (मानव उपभोग के लिए मादक शराब के अलावा)।	अनुसूची II निर्दिष्ट करती है कि लोगों के उपभोग के लिए खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों आदि की माल एवं सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति (मानव उपभोग के लिए मादक शराब के अलावा) को सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।
(v)	किसी भी बौद्धिक संपदा (intellectual property) के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थायी रूप से हस्तांतरण करना।	अनुसूची II निर्दिष्ट करती है कि किसी भी बौद्धिक संपदा (intellectual property) के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थायी रूप से हस्तांतरण करना सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।

प्रश्न 5. सुनील जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का व्यापारी है वह 10.12.2017 को अपने व्यापार को बंद कर रहा है लेकिन निम्नलिखित अंतिम स्टॉक (closing stock) उसके पास पड़ा हुआ है (Mr. Sunil, dealer of electronic items, has closed down his business on 10-12-2017, but he was left with following closing stocks) :

1. 150 एयर कंडीशनर @ ` 25,000 प्रति (150 air conditioners @ ₹ 25,000 each)
2. 200 वॉशिंग मशीन @ ` 15,000 प्रति (200 washing machine @ ₹ 15,000 each)
3. 120 कूलर @ ` 8,000 प्रति (120 cooler @ ₹ 8,000 each)

अगर श्री सुनील ने अपना कारोबार बंद कर दिया तो यह निर्धारित करें कि उपरोक्त आइटम GST के अधीन हैं या नहीं (Determine whether the above items are subject to GST, if Mr. Sunil closed down his business.)

उत्तर—अगर एक व्यक्ति करदाता नहीं रहता, तो जितना भी माल उसके करदाता व्यक्ति नहीं रहने से पहले व्यवसाय का था तो उसे यह मान (deemed) लिया जायेगा कि उसने यह माल कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए (Furtherance) आपूर्ति की गयी है।

हालांकि, निम्नलिखित दो मामलों में ऐसे हस्तांतरण को माल की आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा यदि—

- (i) व्यवसाय को किसी अन्य व्यक्ति को एक चालू अवस्था (going concern) के रूप में स्थानांतरित किया जाता है; या
- (ii) व्यवसाय एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि (personal representative) के द्वारा किया जाता है जो कि उस व्यवसाय के लिए एक करयोग्य व्यक्ति कहलायेगा।

दूसरे शब्दों में, जब व्यवसाय चालू अवस्था में किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तिगत प्रतिनिधि को हस्तांतरित किया जाता है, तो इसे माल की आपूर्ति नहीं माना जायेगा।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, यह माना (deemed) जायेगा की श्री सुनील ने करयोग्य व्यक्ति नहीं रहने से पहले अंतिम स्टॉक को जो उसकी संपत्ति का हिस्सा है उसको कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए (Furtherance) बेच दिया है तथा वह GST देने के लिए उत्तरदायी होगा।

प्रश्न 6. ओमैक्स बिल्डर ने हरियाणा में 200 फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू किया। यह निर्धारित करें कि फ्लैट की निम्नलिखित आपूर्ति GST के तहत उत्तरदायी होगी या नहीं (Omaxe Builders started the construction of 200 flats in Haryana. Determine whether the following supply of flats shall be liable under GST or not.)

फ्लैटों की संख्या (No. of Flats)	प्रतिफल प्राप्त हुआ (Consideration Received)	पूर्णता प्रमाण-पत्र मिलने की तारीख (Date of Completion Certificate)	कब्जा देने की तारीख (First Occupation Date)
100	नवंबर, 2017 तक आंशिक प्रतिफल और नवंबर 2017 के बाद शेष प्रतिफल (Partly consideration till November, 2017 and balance consideration after November 2017.)	01/02/2018	01/12/2017
30	नवंबर, 2017 तक पूर्ण प्रतिफल (Full consideration till November, 2017.)	01/02/2018	01/12/2017

20	नवंबर, 2017 के बाद पूर्ण प्रतिफल (Full consideration after November, 2017.)	01/02/2018	01/12/2017
----	---	------------	------------

**उत्तर**— अनुसूची II के अनुसार, काम्प्लेक्स, भवन, सिविल संरचना (civil structure) का निर्माण सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, लेकिन जहाँ पूरा प्रतिफल पूर्णता प्रमाण-पत्र (completion certificate) प्राप्त होने या कब्जा देने के बाद, दोनों में जो पहले हो, प्राप्त हुआ हो तब उसे आपूर्ति नहीं माना जायेगा।

इसलिए उपरोक्त उदाहरण में 100 फ्लैटों की बिक्री और 30 फ्लैटों की बिक्री GST के तहत करयोग्य होगी क्योंकि प्रतिफल, चाहे आंशिक या पूर्ण, पूर्णता प्रमाण-पत्र (completion certificate) प्राप्त होने या कब्जा देने से पहले ही प्राप्त कर लिया है।

हालांकि 20 फ्लैटों की बिक्री GST के तहत शामिल नहीं होगी क्योंकि पूरा प्रतिफल पूर्णता प्रमाण-पत्र (completion certificate) प्राप्त होने या कब्जा देने के बाद, दोनों में जो पहले हो, प्राप्त हुआ है।

■ **3.2 गतिविधियाँ या लेनदेन जिन्हें न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा [अनुसूची 3] (Activities or Transactions which shall be treated neither as a Supply of Goods nor a Supply of Services) [Schedule 3]**

क्रम संख्या	प्रावधान	उदाहरण सहित महत्वपूर्ण बातें
1.	किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता को रोजगार के संबंध में या उसके दौरान दी जाने वाली सेवाएँ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>● कर्मचारियों को उनके समझौते के अनुसार पारिश्रमिक और अनुलाभ (perquisites) देना GST के अंतर्गत नहीं आता है।</li> <li>● नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बिना किसी समझौते के अनुसार ₹ 50,000 से अधिक का उपहार (gift) देना अनुसूची I के अनुसार करयोग्य होगा।</li> </ul>
2.	उपयुक्त (applicable) कानून के तहत स्थापित किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>● न्यायालय में जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट शामिल है।</li> </ul>
3.	<p>(a) संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय अधिकारियों के सदस्यों द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ;</p> <p>(b) संविधान के प्रावधानों के द्वारा धारण (hold) किये गए पद का पालन करने के लिए दी जाने वाली सेवाएँ; या</p> <p>(c) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण (local authority) द्वारा स्थापित किसी निकाय में अध्यक्ष या सदस्य या निदेशक (इनको कर्मचारी नहीं माना गया है) के रूप में दी जाने वाली सेवाएँ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश एक संवैधानिक पद है, उनके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक GST के अधीन नहीं होगा।</li> <li>● CBDT (Central Board of Direct Taxes) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय है। इसके अध्यक्ष/सदस्य/निदेशक (जिनको कर्मचारी नहीं माना गया है) द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ GST के दायरे से बाहर होंगी।</li> </ul>
4.	मृतक के परिवहन सहित अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मृत्यु घर की सेवाएँ।	भगवान का शुक्र है कि मृत्यु के बाद कोई कर नहीं है।

5.	जमीन की बिक्री GST के दायरे से बाहर की गयी है और कॉम्प्लेक्स, भवन, सिविल संरचना (civil structure) का निर्माण आपूर्ति में नहीं आयेगा जहाँ पूरा प्रतिफल पूर्णता प्रमाण-पत्र (completion certificate) प्राप्त होने या कब्जा देने के बाद, दोनों में जो पहले हो, प्राप्त हुआ हो।	हालांकि इस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी।
6.	अभियोज्य दावे (Actionable claims) [लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ को छोड़कर]।	लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ GST के दायरे के अन्दर आते हैं। <b>अभियोज्य दावे (Actionable claims)</b> अभियोज्य दावे वह दावे हैं जिसमें कानून की सहायता से दीवानी आधार (civil grounds) पर राशि वसूल की जाने के लिए योग्य है।
		<b>उदाहरण के लिए—</b> ● लॉटरी में होने वाले ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार। ● किराए के बकाया के लिए दावा। ● शेयरों पर बकाया लाभांश के लिए दावा। ● सावधि जमा रसीदें (Fixed deposit receipts)। ● जीवन बीमा की पॉलिसी के तहत देय राशि।
7.	केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की गई ऐसी गतिविधियाँ या लेनदेन जिसमें वे सार्वजनिक प्राधिकरण (public authorities) के रूप में कार्यरत (engaged) हैं।	❖ यह गतिविधियाँ/लेनदेन सरकार द्वारा अधिसूचना (Notification) जारी करके अधिसूचित की जायेंगी।
8.	भारत में माल के प्रवेश किये बिना गैर-करयोग्य क्षेत्र में एक स्थान से गैर-करयोग्य क्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर माल की आपूर्ति	यह प्रावधान फरवरी 1, 2019 से लागू किया जाता है जो ऐसे लेनदेनों को आपूर्ति के दायरे से बाहर रखता है जो भारत में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा किये जाते हैं, परंतु माल भारत में न प्रवेश करता है और न ही भारत से बाहर जाता है। उदाहरण : दिल्ली के निवासी श्री अजय ने चीन से कुछ सामान खरीदा। भारत में इस सामान के प्रवेश किये बिना सीधे जापान में एक व्यक्ति को बेच दिया।
9.	(a) आयात के मामले में आंतरिक उपभोग के लिए निकासी से पहले किसी व्यक्ति को गोदाम के सामान की आपूर्ति	माल भारत में सीमा-शुल्क के भुगतान पर आयात किया जा सकता है। परंतु इस माल को सीमा-शुल्क के भुगतान बिना सीमा-शुल्क वाले गोदाम में रखा जा सकता है और उनकी बाद में आंतरिक-उपभोग के लिए निकासी की जा सकती है। परंतु आंतरिक-उपभोग के लिए ऐसे



		<p>माल की निकासी से पहले यदि उनकी आपूर्ति की जाती है, तो फिर उन्हें आपूर्ति के दायरे से बाहर रखा जाता है।</p> <p>उदाहरण : श्रीमान शंकर चीन से लैपटॉप आयात कर रहे थे। जब माल मुंबई पोर्ट पर पहुँचा, तो उन्होंने सीमा-शुल्क का भुगतान किये बिना ही माल को मुंबई में सीमा-शुल्क वाले गोदाम में रखवा दिया। उन्होंने उक्त माल की गोदाम से सीधे मिस्त्र के श्रीमान E को आपूर्ति कर दी। इस प्रकार का लेनदेन आपूर्ति के दायरे से बाहर है।</p>
	(b) माल विदेश से भारत भेजने के बाद, परंतु आंतरिक-उपभोग के लिए निकासी से पहले, माल के स्वामित्व के दस्तावेजों के अनुमोदन के माध्यम से प्रेषिणी (consignee) द्वारा किसी व्यक्ति को माल की आपूर्ति (उच्च समुद्री विक्रय)	<p>भारत में आयात किये जाने वाले माल की आवाजाही के दौरान, ऐसे माल की दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से किसी व्यक्ति को आपूर्ति। ऐसे मामले को 'आपूर्ति' के रूप में माना नहीं जायेगा।</p> <p>उदाहरण : संजय भारत में फ्रांस से मोबाइल फोन आयात कर रहा था। माल का फ्रांस के पोर्ट से निकलने के बाद, दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से इस माल को संजय द्वारा राजीव को बेच दिया गया। इसे उच्च समुद्री विक्रय के रूप में माना जाता है और आपूर्ति के दायरे से बाहर रखा जाता है।</p>

■ **3.3 संयुक्त और मिश्रित आपूर्ति का अर्थ और उन पर कर देयता (GST अधिनियम, 2017 की धारा 8) (Meaning and Taxability of Composite and Mixed Supply)**

**1. समग्र-आपूर्ति (Composite Supply)**

'समग्र आपूर्ति' का अर्थ, किसी करदाता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को दी गई ऐसी करयोग्य आपूर्ति से है जिसमें दो या दो से अधिक माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति शामिल है जो एक दूसरे के साथ मिलकर स्वाभाविक रूप से बंडल (naturally bundled) के तौर पर कारोबार के साधारण अनुक्रम (ordinary course) में दी जाती है जिसमें एक आपूर्ति मुख्य आपूर्ति होती है।

**उदाहरण—**

- ❖ यदि माल को पैक करके व बीमा करवा के उसका परिवहन किया जाता है तो चूँकि माल की आपूर्ति के साथ पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा भी शामिल है इसलिए इसे समग्र आपूर्ति माना जायेगा जिसमें से माल की आपूर्ति को मुख्य आपूर्ति के तौर पर माना जायेगा।
- ❖ जब कोई उपभोक्ता एक टेलीविजन सेट खरीदता है और उसे टीवी के साथ वारंटी और रखरखाव अनुबंध (maintenance contract) भी मिलता है, तो यह आपूर्ति एक समग्र आपूर्ति कहलाती है। इस उदाहरण में, टीवी की आपूर्ति प्रमुख आपूर्ति है और वारंटी और रखरखाव सेवा उसके अधीनस्थ (ancillary) है।

**3.3.1. समग्र आपूर्ति पर कर देयता (Tax Liability on a Composite Supply)**

दो या दो से अधिक आपूर्ति वाली एक समग्र आपूर्ति, जिसमें से एक प्रमुख आपूर्ति है, को प्रमुख आपूर्ति के रूप में आपूर्ति माना जाएगा।

दूसरे शब्दों में, समग्र आपूर्ति पर GST की दर वही होगी जो दर सामानों और सेवा की प्रमुख आपूर्ति पर लागेगी।

**उदाहरण—** मान लें कि एक डीलर लैपटॉप के साथ बैग बेचता है। लैपटॉप और बैग पर GST की दर अलग है। चूँकि लैपटॉप एक प्रमुख आपूर्ति है, इसलिए लैपटॉप की दर ही समग्र आपूर्ति पर लागू होगी।

## 2. मिश्रित आपूर्ति (Mixed Supply)

मिश्रित आपूर्ति से आशय किसी करयोग्य व्यक्ति द्वारा दो या दो से अधिक प्रकार के माल या सेवाओं का या उसके किसी भी संयोजन (any combination) का एक ही कीमत पर आपूर्ति किया जाना है। मिश्रित आपूर्ति में अलग-अलग वस्तुओं का अलग-अलग अस्तित्व होता है और ऐसी आपूर्ति को समग्र आपूर्ति नहीं कहा जा सकता है।

### उदाहरण—

- ❖ एक कीमत (single price) पर एक डिब्बाबंद पैकेज जिसमें खाद्य पदार्थ, मिठाई, चॉकलेट, केक, ड्राईफ्रूट, वाष्पित पेय और फलों के रस हैं को एक मिश्रित आपूर्ति कहते हैं। इन वस्तुओं में से प्रत्येक की अलग से आपूर्ति की जा सकती है और कोई भी किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। यदि इन वस्तुओं की अलग से आपूर्ति की जाती है तो यह एक मिश्रित आपूर्ति नहीं होगी।
- ❖ एक दुकानदार एक कीमत (single price) पर रेफ्रिजरेटर के साथ पानी की बोतलें भी बेचता है तो यह एक मिश्रित आपूर्ति कहलाती है। बोतलें और रेफ्रिजरेटर की कीमत आसानी से निकाली जा सकती है और अलग से बेची जा सकती है। यदि इन वस्तुओं की अलग से आपूर्ति की जाती है तो यह एक मिश्रित आपूर्ति नहीं होगी।

### 3.3.2. मिश्रित आपूर्ति पर कर देयता (Tax Liability on a Mixed Supply)

दो या दो से अधिक वस्तुओं की यदि एक सेट के रूप में या एक पैकिंग में मिलाकर आपूर्ति की जाती है तो जो सबसे ऊँची दर वाला माल होगा उसके आधार पर मिश्रित आपूर्ति पर कर देय होगा।

दूसरे शब्दों में, मिश्रित आपूर्ति पर GST दर मिश्रित आपूर्ति के दिए गए संयोजन (combination) में शामिल वस्तुओं या सेवाओं पर लागू उच्चतम GST दर होगी।

### उदाहरण—

- ❖ मैसर्स कैडबरी ने चॉकलेट और ताजा रस के पैकेट एक सेट के रूप में एक कीमत पर बेचे। मान लीजिए चॉकलेट की GST दर 28% है और ताजा रस पर GST दर 12% है। यह एक मिश्रित आपूर्ति का उदाहरण है जिस पर 28% पर GST लगेगा (अर्थात् 12% या 28% में जो सबसे अधिक होगा)।
- ❖ मान लीजिये किसी व्यक्ति द्वारा एक कॉम्बो पैक ₹ 10,000 में बेचा जाता है जिसमें टाई, पेन, कैल्कुलेटर, वॉलेट, वॉच शामिल है। मान लीजिये टाई पर GST की दर 18%, पेन पर 12%, वॉलेट पर 5% और वॉच पर 28% है। यहाँ कॉम्बो पैक को मिश्रित आपूर्ति के रूप में माना जायेगा और जिस पर उच्चतम दर 28% से कर लगाया जायेगा।

## प्रश्नोत्तर

### 1. क्या सेवाओं का आयात करना GST के अधीन कर के लिए उत्तरदायी है (Is import of services liable to tax under GST regime ?)

उत्तर— निम्नलिखित मामलों में सेवाओं का आयात आपूर्ति माना जायेगा—

1. प्रतिफल के बदले में सेवाओं का आयात, चाहे वह कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए (Furtherance) हो या नहीं।
  2. एक करयोग्य व्यक्ति द्वारा किसी संबंधित व्यक्ति से या भारत के बाहर अपने किसी भी संस्थान से कारोबार या कारोबार को आगे बढ़ाने में सेवाओं का आयात करना।
2. मिस अंकिता सहगल जो एक वेडिंग प्लानर है, ने श्री अनिल कपूर के बेटे के विवाह के संबंध में अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं। मिस अंकिता ने अपनी सेवाओं के बदले में उनसे कोई शुल्क नहीं लिया क्योंकि वह श्री अनिल कपूर की करीबी रिश्तेदार हैं। क्या GST ऐसी मुफ्त सेवा की आपूर्ति पर देय है (Miss Ankita Sehgal, a wedding planner, has rendered service to Mr. Anil Kapoor in relation to planning the marriage of his son. Miss Ankita, being a close relative of Mr. Anil Kapoor, has not charged any fee from him. Is GST payable on such free, but taxable supply.)

उत्तर— धारा 7 (1) के अनुसार प्रतिफल के बदले में की गई सेवाओं को करयोग्य आपूर्ति माना जाता है। इसलिए यदि कोई प्रतिफल नहीं है तो सेवाओं को करयोग्य आपूर्ति नहीं माना जाता है।

इस प्रकार सेवा की आपूर्ति का मूल्य शून्य होने पर इस पर कोई भी GST देय नहीं है। हालांकि, यह सिद्धांत तभी लागू होता है जब वास्तव में यह 'निःशुल्क सेवा' हो और इस मूल्य को अन्य तरीकों से वसूल न किया गया हो।

इसलिए उपर्युक्त चर्चा के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि मिस अंकिता द्वारा श्री अनिल कपूर को दी गई सेवा पर कर देय नहीं है क्योंकि मिस अंकिता ने श्री अनिल कपूर से कोई शुल्क नहीं लिया है।

3. एक व्यक्ति व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक कार खरीदता है और एक साल बाद वह उसे कार डीलर को बेच देता है। क्या CGST/SGST अधिनियम के तहत इस लेनदेन को आपूर्ति माना जायेगा? कारण के साथ उत्तर दें (An individual buys a car for personal use and after a year sells it to a car dealer. Will the transaction be a supply in terms of CGST/SGST Act? Give reasons for the answer.)

उत्तर—नहीं, क्योंकि व्यक्ति द्वारा कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए (Furtherance) आपूर्ति नहीं की गई है। इसके अलावा, अधिग्रहण के समय ऐसी कार पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया था क्योंकि यह गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए था।

4. एयर कंडीशनर का एक डीलर अपने आवास पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपने व्यापार में से स्टॉक को स्थायी रूप से एयर कंडीशनर स्थानांतरित करता है। क्या यह गतिविधि आपूर्ति मानी जायेगी (A dealer of air-conditioners permanently transfers an air conditioner from his stock in trade, for personal use at his residence. Will the transaction constitute a supply?)

उत्तर—हाँ, अनुसूची-1 के अनुसार यदि व्यावसायिक संपत्तियों का स्थायी हस्तांतरण या निपटान किया जाता है जहाँ ऐसी संपत्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है तब वह GST के तहत आपूर्ति मानी जाएगी भले ही उसमें कोई प्रतिफल शामिल न हो।

5. क्या किसी क्लब या एसोसिएशन या समाज द्वारा अपने सदस्यों को सेवा या सामान का प्रावधान आपूर्ति के रूप में माना जायेगा (Whether provision of service or goods by a club or association or society to its members will be treated as supply or not?)

उत्तर—हाँ, किसी क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी या उसके सदस्यों को ऐसे किसी भी निकाय द्वारा सुविधाओं की व्यवस्था को आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। इसे धारा 7(1)(aa) के अनुसार आपूर्ति की परिभाषा में शामिल किया गया है।

6. कार्य सविदा और खानपान सुविधा को माल की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा अथवा सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा (Whether Works contracts and Catering services will be treated as supply of goods or supply of services?)

उत्तर—कार्य सविदा और खानपान सुविधा को सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा क्योंकि दोनों को अनुसूची-2 के तहत निर्दिष्ट किया गया है।

7. क्या जीएसटी के तहत स्व-आपूर्ति करयोग्य है? (Are self-supplies taxable under GST?)

उत्तर—अंतर-राज्य (inter-state) स्व-आपूर्ति जैसे स्टॉक ट्रांसफर, शाखा (branch) हस्तांतरण या consignment बिक्री IGST के तहत करयोग्य होगी, भले ही ऐसे लेन-देन में प्रतिफल शामिल न हो। प्रत्येक सप्लायर उस राज्य या संघ शासित प्रदेश में जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण करवाने के लिए उत्तरदायी है जहाँ से वह माल या सेवाओं या दोनों की करयोग्य आपूर्ति करता है।

8. जीएसटी के आर्टिकल 366 (12A) के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य घटना से आप क्या समझते हैं? [What is taxable event in GST as per provisions of Article 366 (12A)?] (Kolhan, 2020)

उत्तर—जीएसटी के आर्टिकल 366 (12A) (101वाँ संशोधन) के अधिनियम के अनुसार मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लागू होगा।

### अभ्यास प्रश्न

#### दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. आपूर्ति का क्या अर्थ है? आपूर्ति के दायरे पर भी संक्षिप्त टिप्पणी दें (What is meaning of supply? Also give the brief note on the scope of supply.) (Jabalpur UGC, 2019)
2. क्या प्रतिफल के बदले सेवाओं का आयात GST के अधीन है या नहीं भले ही वह कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए (Furtherance) किया गया हो या नहीं? बिना प्रतिफल किसी संबंधित व्यक्ति / भिन्न व्यक्ति से व्यवसाय के दौरान या उसको आगे की बढ़ाने के लिए किया गया सेवाओं के आयात पर GST के प्रावधान को भी समझाएँ (Whether import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business are subject to GST or not? Also explain the applicability of GST on import of service from a related person/ distinct person in the course or furtherance of business without consideration?)

3. GST अधिनियम, 2017 अनुसूची I में वे कौन सी निर्दिष्ट गतिविधियाँ हैं जिन्हें बिना प्रतिफल के भी आपूर्ति के रूप में माना जायेगा (What are the activities to be treated as supply, made without consideration as per Schedule I of CGST Act, 2017 ?)
4. CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची II में बताई गई कौन सी गतिविधियों को माल की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा या कौन सी गतिविधियों को सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा (What are the activities to be treated as supply of goods or supply of services as per Schedule-II of CGST Act, 2017 ?)
5. CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची -III के अनुसार कौन सी ऐसी गतिविधियाँ या लेनदेन हैं जो न तो माल की आपूर्ति के रूप में और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में मानी जाती हैं (What are the activities or transactions which shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services as per Schedule-III of CGST Act, 2017 ?)
6. समग्र और मिश्रित आपूर्ति का अर्थ क्या है और इसकी कर देयता के बारे में बतायें (What are the meaning of composite and mixed supply and explain its taxability ?) *(Jamshedpur UGC, 2019)*
7. पूर्ति से आप का क्या आशय है? यह कैसे अन्तर करेंगे कि किसी पूर्ति में माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति निहित है? (What do you mean by Supply? How to distinguish whether a particular supply involves supply of goods or supply of services ?) *(Jamshedpur Women College, 2019)*
8. आईजीएसटी तन्त्र की क्या विशेषताएँ हैं? (What are the features of IGST Mechanism ?) *(Jamshedpur Women College, 2019)*
9. जीएसटी के अधीन कराधान क्या है? (What is Incidence of tax under GST ?) *(Jamshedpur Women College, 2019)*

#### लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. 'आपूर्ति' का अर्थ क्या है (What is the meaning of 'supply' ?)
2. GST के तहत एक समग्र-आपूर्ति पर कर देयता कैसे निर्धारित की जाएगी (How will tax liability on a composite supply be determined under GST ?)
3. GST अधिनियम के तहत मिश्रित आपूर्ति क्या है (What is a mixed supply under GST Act ?) *(Jabalpur UGC, 2019)*
4. मिश्रित आपूर्ति के मामले में कर देयता कैसे निर्धारित की जाएगी (How would the tax liability be determined in case of mixed supply ?)
5. किराया खरीद के आधार पर आपूर्ति किए गए सामानों को माल की आपूर्ति माना जायेगा या सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा (Whether goods supplied on hire purchase basis will be treated as supply of goods or supply of services ?)
6. GST अधिनियम के तहत एक समग्र-आपूर्ति क्या है (What is a composite supply under GST Act ?)

#### बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)

1. GST में माल और सेवाओं की कुछ मुफ्त आपूर्ति करयोग्य आपूर्ति है। इसका उदाहरण है (Certain Free Supply of Goods and Services are Taxable Supply in GST. Its example is) :
  - (a) किसी और को बिजनेस की सम्पत्ति का मुफ्त हस्तांतरण या विपंजीकरण (de-registration) के बाद संपत्तियाँ को अपने पास रखना (Free Transfer of Business Assets to someone else or Assets retained after De-Registration)
  - (b) गैर-व्यावसायिक जरूरतों या माल या सेवाओं की स्वयं आपूर्ति के लिए बिजनेस सम्पत्ति का अस्थायी प्रयोग (Temporary Application of Business Asset for a non-business needs or self supply of goods or Services)
  - (c) स्टॉक का दूसरे राज्य की शाखा को स्थानांतरण (Stock/Branch Transfer Out to another State)
  - (d) उपरोक्त सभी (All of the Above)
2. निम्नलिखित में से किसको आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा? (Which one of the following shall not be treated as supply ?)
 

(a) किराया (Rental)	(b) लीज (Lease)
(c) अभियोज्य दावे (Actionable claim)	(d) लाइसेंस (License)

3. निम्न में से सेवाओं की आपूर्ति के उदाहरण कौन-कौन से हैं? (Which are the examples of Supply of Services in the case of followings ?)
- अचल संपत्ति और बौद्धिक संपदा अधिकार के अस्थायी हस्तांतरण का किराया (Renting of Immovable Property and Temporary Transfer of Intellectual Property Right)
  - कार्य सविंदा (Works contract)
  - एग्रीगेटर्स की सेवाएँ (Services of Aggregators)
  - उपरोक्त सभी (All of the Above)
4. जीएसटी में करयोग्य घटना क्या होगी? (What will be a Taxable Event in GST ?)
- निर्माण (Manufacture)
  - माल और सेवाओं की करयोग्य आपूर्ति (Taxable Supply of Goods and Services)
  - उपर्युक्त (a) और (b) दोनों (Both (a) and (b) above)
  - उपरोक्त में से कोई नहीं (None of the Above)
5. कार्य सविंदा का अर्थ है (Works contract is) :
- माल की आपूर्ति (Supply of Goods)
  - सेवाओं की आपूर्ति (Supply of Services)
  - दोनों की आपूर्ति (Supply of Both)
  - न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति (Neither Supply of Goods nor Supply of Services)
6. 'समग्र-आपूर्ति' में निम्नलिखित को आपूर्ति के रूप में माना जाएगा (In 'composite supply' the following shall be treated as the supply) :
- कर की उच्चतम दर वाली आपूर्ति (Supply with highest rate of tax)
  - आपूर्ति जो रिवर्स चार्ज को आकर्षित करती है (Supply which attracts reverse charge)
  - आपूर्ति जो प्रमुख आपूर्ति है (Supply which is the principal supply)
  - वस्तु की आपूर्ति जिसे अलग से बेचा जा सकता है (Supply of item which can be separately sold)
7. आपूर्ति के दायरे में कौन-कौन सी विभिन्न प्रकार की आपूर्तियाँ शामिल हैं? (What are different types of supplies covered under the scope of supply ?)
- बिना प्रतिफल के की गई आपूर्तियाँ (Supplies made without consideration)
  - प्रतिफल के साथ की गई आपूर्तियाँ (Supplies made with consideration)
  - उपर्युक्त में से कोई नहीं (None of the above)
  - उपर्युक्त दोनों (Both of the above)
8. समग्र-आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति को अलग करने वाले कारक क्या हैं? (What are the factors differentiating Composite Supply and Mixed Supply ?)
- प्रमुख आपूर्ति का अस्तित्व (Existence of Principal Supply)
  - कृत्रिम या प्राकृतिक बंडल की प्रकृति (Nature of bundling i.e. artificial or natural)
  - उपर्युक्त में से कोई नहीं (None of the above)
  - (a) और (b) दोनों [Both (a) and (b)]
9. किस आपूर्ति को 'मिश्रित आपूर्ति' के रूप में माना जायेगा? (In 'Mixed supply' the following shall be treated as the supply ?)
- कर की उच्चतम दर वाली आपूर्ति (Supply with highest rate of tax)
  - आपूर्ति जो रिवर्स चार्ज को आकर्षित करती है (Supply which attracts reverse charge)
  - आपूर्ति जो प्रमुख आपूर्ति है (Supply which is the principal supply)
  - वस्तु की आपूर्ति जिसे अलग से बेचा जा सकता है (Supply of item which can be separately sold)



**क्रियात्मक प्रश्न (हल सहित)**

1. परीक्षण करें क्या निम्न स्वतंत्र मामलों में सेवा के आयात की गतिविधि CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अंतर्गत आपूर्ति होगी (Examine whether the activity of import of service in the following independent cases would amount to supply under section 7 of the CGST Act, 2017) ?
- सुश्री श्रीनीति कौशिक ने Sydney (Australia) के श्री रचल से बान्द्रा मुंबई में स्थित अपने निवास के लिए वास्तु परामर्श सेवा को प्राप्त किया। उक्त सेवा के लिए भुगतान राशि 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। [Miss Shriniti received vaastu consultancy services for her residence located at Bandra, Mumbai from Mr. Racheal of Sydney (Australia). The amount paid for the said service is 5,000 Australian dollar].
  - सुश्री श्रीनीति कौशिक ने Sydney (Australia) में निवास करने वाले अपने भाई श्री वरूण से बान्द्रा मुंबई में स्थित अपने निवास के लिए वास्तु परामर्श सेवा को प्राप्त किया। आगे सुश्री श्रीनीति ने उक्त सेवा के लिए किसी प्रतिफल का भुगतान नहीं किया। (Miss Shriniti Kaushik received vaastu consultancy services for her residence located at Bandra, Mumbai from her son, Mr. Varun residing in Sydney (Australia). Further, Miss Shriniti did not pay any consideration for the said service).
  - सुश्री श्रीनीति कौशिक ने Sydney (Australia) में निवास करने वाले भाई श्री वरूण से बान्द्रा स्थित व्यापार परिसर के लिए वास्तु परामर्श सेवा का प्रदान किया। आगे सुश्री श्रीनीति ने उक्त सेवा के लिए किसी प्रतिफल का भुगतान नहीं किया (Miss Shriniti Kaushik received vaastu consultancy services for her business premises located at Bandra, Mumbai from her son, Mr. Varun residing in Sydney (Australia). Further, Miss Shriniti did not pay any consideration for the said service).

उत्तर—

- CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अंतर्गत आपूर्ति में
    - एक प्रतिफल के लिए सेवा का आयात सम्मिलित है।
    - चाहे यदि यह व्यापार के दौरान अथवा बढ़ाने के लिए नहीं है।
 इसलिए, यद्यपि सुश्री श्रीनीति कौशिक के द्वारा प्रतिफल के लिए सेय का आयात व्यापार के बढ़ाने के लिए या उसके दौरान नहीं है, क्योंकि वस्तु परामर्श सेवा का निवास के संबंध में प्राप्त नहीं किया, यह आपूर्ति होगी।
  - CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7, जिसे अनुसूची I के साथ पढ़ा जाये, प्रावधान करता है कि बिना प्रतिफल के बिना भारत से बाहर संबंधित व्यक्ति से करयोग्य व्यक्ति द्वारा सेवा के आयात को आपूर्ति के रूप में माना जाता है यदि इसे व्यापार के दौरान अथवा बढ़ाने में प्रदान किया जाता है।  
दिये गये मामले में, सुश्री श्रीनीति द्वारा अपने भाई श्री वरूण ( भाई, उसी परिवार का सदस्य एक संबंधित व्यक्ति है) से प्रतिफल के बिना आयात को आपूर्ति नहीं माना जायेगा क्योंकि यह व्यापार को बढ़ाने या उसके दौरान नहीं है।
  - CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7 जिसे अनुसूची I के साथ पढ़ा जाये प्रदान करता है कि बिना प्रतिफल के भारत से बाहर स्थित संबंधित व्यक्ति से करयोग्य व्यक्ति द्वारा सेवा का आयात आपूर्ति के रूप में माना जाता है यदि इसे व्यापार को बढ़ाने अथवा के दौरान प्रदान किया है।  
सुश्री श्रीनीति द्वारा अपने भाई वरूण ( भाई जो कि उसी परिवार का सदस्य है संबंधित व्यक्ति है) के द्वारा प्रतिफल के बिना सेवा का आयात को आपूर्ति के रूप में माना जाता है क्योंकि वह अपने व्यापार परिसर के लिए अर्थात् व्यापार के दौरान अथवा बढ़ाने के लिए सेवा प्रदान करती है।
2. बताइये कि CGST अधिनियम की अनुसूची II के अंतर्गत निम्नलिखित आपूर्तियों को वस्तुओं की आपूर्ति अथवा सेवाओं की आपूर्ति किसके रूप में माना जायेगा (State whether the following supplies would be treated as supply of goods or supply of services as per Schedule II of CGST Act) :
- अचल सम्पत्ति किराए पर देना (Renting of immovable property)
  - वस्तुओं में स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना वस्तुओं में अधिकार का हस्तांतरण (Transfer of right in goods without transfer of title in goods)
  - कार्य संविदा सेवाएँ (Work contract services)

- (iv) किसी भी बौद्धिक संपदा के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थायी रूप से हस्तांतरण करना (Temporary transfer of permitting use or enjoyment of any intellectual property right)
- (v) एक अनुबंध के तहत वस्तुओं में स्वामित्व का हस्तांतरण जो यह निर्धारित करता है कि भावी तारीख पर संपत्ति पारित होगी (Transfer of title in goods under an agreement which stipulates property shall pass at a future date)

उत्तर—

- (i) CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के संदर्भ में अचल संपत्ति किराए पर देने को सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।
- (ii) CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के अंतर्गत, वस्तुओं में स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना वस्तुओं में अधिकार के हस्तांतरण को सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।
- (iii) CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के अंतर्गत, कार्य संविदा सेवाओं को सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।
- (iv) CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के अंतर्गत, किसी भी बौद्धिक सम्पदा के उपयोग या उपयोग की अनुमति देना या अस्थायी रूप से हस्तांतरण करने को सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।
- (v) CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के अंतर्गत, एक अनुबंध के तहत वस्तुओं में स्वामित्व का हस्तांतरण जो यह निर्धारित करता है कि भावी तारीख पर संपत्ति पारित होगी, को वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।
3. जनकपुरी में एक एयर कंडीशनर डीलर Sahab Sales की सफदरजंग इन्क्लेव में अपने नये निर्मित गृह के लिए 4 एसी की आवश्यकता है। इसलिए उसने उक्त उद्देश्य के लिए स्टॉक से 4 एसी (जिस पर उसके द्वारा पहले ITC को प्राप्त किया) को अंतरित किया। बताइये कि क्या उक्त गतिविधि CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अंतर्गत आपूर्ति के रूप में मापी जायेगी? (Sahab Sales, an air-conditioner dealer in Janakpuri, Delhi, needs 4 air-conditioners for his newly constructed house in Safdarjung Enclave. Therefore, he transfers 4 air-conditioners [on which ITC has already been availed by it] from its stock, for the said purpose. Examine whether the said activity amounts to supply under section 7 of the CGST Act, 2017).

एक जनकपुरी निवासी, आकाश, Sahab sales पहुँचा। उसने एक एसी Sahab Sales को ₹ 5,000 में बेचा। आकाश ने छह महीने पहले उक्त एसी को अपने निवास के लिए खरीदा था। क्या Sahab Sales को आकाश द्वारा एसी की बिक्री CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अंतर्गत आपूर्ति के रूप में मानी जायेगी? (Further, a Janakpuri resident, Aakash, approached Sahab Sales. He sold an air-conditioner to Sahab Sales for ₹ 5,000. Aakash had bought the said air-conditioner six months before, for his residence. Does sale of the air conditioner by Aakash to Sahab Sales amount to supply under section 7 of the CGST Act, 2017)?

उत्तर—CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7 निर्धारित करती है कि 'आपूर्ति' के रूप में अर्हता प्राप्त करने हेतु :

- (a) आपूर्ति वस्तुओं और/या सेवाओं की होनी चाहिए।
- (b) आपूर्ति प्रतिफल के बदले की जानी चाहिए।
- (c) आपूर्ति व्यवसाय के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए।

CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची I स्पष्टीकरण करती है कि प्रतिफल के बिना भी की जाने वाली गतिविधियों को आपूर्ति के रूप में माना जायेगा। व्यावसायिक संपत्तियों का स्थायी हस्तांतरण या निपटान (disposal) को आपूर्ति माना जायेगा जहाँ ऐसी संपत्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है भले ही माल की आपूर्ति बिना किसी प्रतिफल के हुई हो।

उक्त प्रावधानों के अनुसार, अपने आवास पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपने स्टॉक से Sahab Sales द्वारा एसी का स्थायी अंतरण, भले ही बिना किसी प्रतिफल के हुआ हो, आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।

लेकिन, CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अंतर्गत Sahab Sales को आकाश द्वारा एसी की बिक्री को आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा क्योंकि भले ही यह प्रतिफल के बदले किया गया हो, परंतु व्यवसाय के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं है।

4. शिव एण्ड कम्पनी पंजाब के भीतर और पड़ोसी राज्यों दिल्ली एवं हरियाणा में रेडीमेड कपड़ों की आपूर्ति का व्यवसाय शुरू करना चाहता है। कृपया बताइए कि जीएसटी के तहत कर-योग्य घटना क्या है? (Shiv & Co. wishes to commence the business of supplying ready-made garments within Punjab and in the neighbouring States of Delhi and Haryana. Kindly state as to what is the taxable event under GST.)

उत्तर—जीएसटी के तहत कर-योग्य घटना वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति है।



5. समग्र आपूर्ति (Composite Supply) को उस विशेष वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाता है जो कर की उच्चतम दर को आकर्षित करती है। इस कथन की वैधता की जाँच करें। (Composite supply is treated as supply of that particular goods or services which attracts the highest rate of tax. Examine the validity of the statement.)

**उत्तर**—यह कथन सही नहीं है। समग्र आपूर्ति को मूल आपूर्ति की आपूर्ति के रूप में माना जाता है। वह मिश्रित आपूर्ति होती है जिसे उस विशेष वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाता है जो कर की उच्चतम दर को आकर्षित करती है।

6. बताइए कि क्या निम्नलिखित आपूर्तियों को सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची-II के अनुसार माल की आपूर्ति या सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा (State whether the following supplies would be treated as supply of goods or supply of services as per Schedule II of the CGST Act) :

- अचल सम्पत्ति का किराया (Renting of immovable property.)
- व्यापार सम्पत्ति का हिस्सा बनने वाले सामान को व्यापार करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के तहत स्थानांतरित या निपटारा जाना (Goods forming part of business assets are transferred or disposed of by/under directions of person carrying on the business.)
- माल में शीर्षक के हस्तांतरण के बिना माल में अधिकार का हस्तांतरण (Transfer of right in goods without transfer of title in goods.)
- एक समझौते के तहत माल में शीर्षक का हस्तांतरण जो यह निर्धारित करता है कि सम्पत्ति भविष्य की तारीख में पारित होगी (Transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property shall pass at a future date.)

**उत्तर**—(a) सेवाओं की आपूर्ति।  
 (b) वस्तुओं की आपूर्ति।  
 (c) सेवाओं की आपूर्ति।  
 (d) वस्तुओं की आपूर्ति।

7. किराया खरीद के आधार पर आपूर्ति की गई वस्तुओं को सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा। इस कथन की वैधता की जाँच करें (The goods supplied on hire purchase basis will be treated as supply of services. Examine the validity of the statement.)

**उत्तर**—यह कथन सही नहीं है। किराया खरीद पर वस्तुओं की आपूर्ति को वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा, क्योंकि इसमें शीर्षक का हस्तांतरण होता है, यद्यपि भविष्य की तारीख में।

8. निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित आपूर्तियाँ समग्र आपूर्ति के बराबर हैं (Determine whether the following supplies amount to composite supplies) :

- एक होटल 4 दिन - 3 रात का पैकेज प्रदान करता है जिसमें कमरे के आवास के साथ-साथ नाश्ते एवं रात के खाने की सुविधा प्रदान की जाती है। (A hotel provides 4 days-3 nights package wherein the facility of breakfast and dinner is provided alongwith the room accommodation.)
- एक दूधपेस्ट कम्पनी ने दूधपेस्ट के साथ मुफ्त साबुन की योजना की पेशकश की है। (A toothpaste company has offered the scheme of free soap alongwith the toothpaste.)

**उत्तर**—समग्र आपूर्ति के तहत, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की दो या दो से अधिक कर-योग्य आपूर्तियाँ, या उसके किसी भी संयोजन को व्यापार के सामान्य दौर में, एक-दूसरे के साथ संयोजन में स्वाभाविक रूप से बँधे एवं आपूर्ति की जाती है, जिनमें से एक प्रमुख आपूर्ति है [सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(30)]। इसको ध्यान में रखते हुए—

- चूँकि होटल में आवास के साथ नाश्ते एवं रात के खाने की आपूर्ति स्वाभाविक रूप से बँधे हुए हैं, उक्त आपूर्ति 'समग्र आपूर्ति' के रूप में मानी जायेगी।
- चूँकि दूधपेस्ट के साथ साबुन की आपूर्ति स्वाभाविक रूप से बँधी नहीं होती है, उक्त आपूर्ति 'समग्र आपूर्ति' के रूप में मानी नहीं जायेगी।

9. मनि, दिल्ली का एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, ने पंजाब में मुखी उपहार की दुकान को ₹ 30 प्रत्येक पर 20,000 पैकेज की आपूर्ति की है। प्रत्येक पैकेज में 2 चॉकलेट, फलों के रस की 2 बोतलें और खिलौना गुब्बारों का एक पैकेट है। दिये गये मामले में जीएसटी की दरों को निम्नानुसार मानते हुए लागू जीएसटी की दरें निर्धारित कीजिए (Mani a registered supplier of Delhi, has supplied 20,000 packages at ₹ 30 each to Mukhi Gift Shop in Punjab. Each package consists of 2 chocolates, 2 fruit juice bottles and a packet of toy balloons. Determine the rate(s) of GST applicable in the given case assuming the rate of GST to be as under) :

वस्तु/सेवा की आपूर्ति (Goods/Services Supplied)	जीएसटी दर (GST Rate)
चॉकलेट (Chocolates)	18%
फलों के रस की बोतलें (Fruit juice bottles)	12%
खिलौना गुब्बारे (Toy balloons)	5%

**उत्तर**—सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2(74) के अनुसार, मिश्रित आपूर्ति का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं की दो या दो से अधिक व्यक्तिगत आपूर्ति, या उनका कोई संयोजन, एक कर-योग्य व्यक्ति द्वारा एक ही कीमत पर एक-दूसरे के साथ संयोजन के रूप में किया जाता है, जहाँ ऐसी आपूर्ति एक समग्र आपूर्ति का गठन नहीं करती है।

चॉकलेट, फलों के रस की बोतलें और खिलौना गुब्बारों के पैकेट की आपूर्ति एक 'मिश्रित आपूर्ति' है क्योंकि इनमें से प्रत्येक वस्तु की अलग से आपूर्ति की जा सकती है और यह किसी अन्य पर निर्भर नहीं है।

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 8(b) के अनुसार, मिश्रित आपूर्ति को उस विशेष आपूर्ति की आपूर्ति के रूप में माना जाता है जो कर की उच्चतम दर को आकर्षित करती है। अतः दिये गये मामले में, पैकेज की आपूर्ति को चॉकलेट की आपूर्ति के रूप में माना जाता है (क्योंकि यह कर की उच्चतम दर को आकर्षित करती है) और ₹ 6,00,000 (20,000 × ₹ 30) के पैकेज पर लागू जीएसटी की दर 18% है।



*image  
not  
available*